द्वितीय माला, खण्ड ९—अंक १५
२९ नवम्बर, १९५७ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Third Session)

(खण्ड ९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)
263 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ९--अंक ११ से २०--दिनांक २५ नवम्बर से ६ दिसम्बर, १९५७)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार २५ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२० से ४२६, ४२८, ४२९, ४३२, ४३३, ४३५, ४३७, ४४३ से ४४८ और ४५० से ४५२ . . . ९९९–१०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७, ४३०, ४३१, ४३४, ४३६, ४३८ से ४४१, ४४९ और ४५३ से ४७६ . . . . १०२६–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७९ से ५९८, ६०० से ६४० और ६४२ से ६५४ . . . . . १०४०–७०

स्थगन प्रस्ताव--

२३–११–५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल की दुर्घटना . . १०७०–७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र– १०७३–७४

राज्य-सभा से सन्देश १०७४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १०७४

दिल्ली निगम विधेयक तथा दिल्ली विकास विधेयक के बारे में याचिका . १०७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

मलावार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कल्लाई में उत्पादन बन्द होना १०७४

नागा पहाड़ियां–तुएनसांग क्षेत्र विधेयक १०७५–९३

विचार करने का प्रस्ताव १०७५

खण्ड २ से ७ और १ . . १०९१–९३

पारित करने का प्रस्ताव १०९३

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संकल्प तथा भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . १०९४–९७, ११००–०५

२३-११-५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . १०९७–११००

दैनिक संक्षेपिका ११०६–११

अंक १२--मंगलवार, २६ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४७७, ४७९ से ४८३, ४८५, ४८६, ४८८ से ४९३ और ४९८ से ५०१ ११११–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८, ४८४, ४९४ से ४९७ और ५०२ से ५२८ . ११३६–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५५ से ७१७ . ११४९–७७

स्थगन प्रस्ताव—

२३–११–५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना . . . ११७७–७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ११७९

भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ११७९–८०

खण्डवार विचार—खण्ड १–४ स्वीकृत हुए . . ११७९–८०

पारित करने के लिये प्रस्ताव ११८०

कतिपय राज्यों में सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव– . . ११८०–९७

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा पारित रूप में . ११९७–१२१५

दैनिक संक्षेपिका १२१६–२०

अंक १३—बुधवार, २७ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२८-क, ५२९ से ५३९, ५४१, ५४२, ५५०, ५५२, ५५५ और ५५८ से ५६० . . . १२२१–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४०, ५४३ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५४, ५५६, ५५७, ५६१ से ५६३, ५६५ से ५७९ और ५८१ से ५८५ . . . . . १२४७–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१८ से ७३५ और ७३७ से ७७७ . १२६१–८७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२८७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १२८८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बसवां प्रतिवेदन १२८८

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १२८८–१३२०

खण्ड २ से ५८ . . १३०५–२०

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . १३२०–२६

दैनिक संक्षेपिका १३२७–३१

पृष्ठ

अंक १४—गुरुवार, २८ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ से ५९४, ५९७, ५९८, ६०० से ६०५, ६०९ और ६११ से ६१७ . १३३३–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५, ५९६, ५९९, ६०६ से ६०८, ६१० और ६१८ से ६२९ . . . . . . १३६०–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७८ से ७८२, ७८४ से ८३२ और ८३४ से ८४१ १३६७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १३८९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

फर्रुखाबाद कानपुर सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना १३८९-९०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . १३९०

पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . १३९०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित १३९०–९१

वित्त मंत्री की, विदेश यात्रा सम्बन्धी उन के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . १३९१–९९, १४००–१२

सभा का कार्य १३९९–१४००

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक १४१२–३९

खण्डवार विचार १४१२–२५

दैनिक संक्षेपिका १४३५–३९

अंक १५—शुक्रवार, २९ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३४, ६३६ से ६४१, ६४३, ६४४, ६४७ से ६५१, ६५७ और ६५९ से ६६३ . १४४१–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३५, ६४२, ६४५, ६४६, ६५२ से ६५६, ६५८ और ६६४ से ६६९ . . . . . . १४६७–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२, ८४३, ८४५ से ८६२, ८६४ से ८७५ और ८७७ से ९११ . १४७३–१५००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैक्टरी में हड़ताल की धमकी १५००

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५००–०१

राज्य-सभा से सन्देश १५०१

हिमाचल प्रदेश में बस दुर्घटना १५०१–०२

सभा का कार्य १५०२

	पृष्ठ
भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक .	१५०३–१५
विचार करने का प्रस्ताव	१५०३
खण्ड २ से १५ और १	१५१३
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१३
अफ़ीम विधि (संशोधन) विधेयक	१५१५–२१
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१५
खण्ड २ से ६ और १ . .	१५२०–२१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१५२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
दसवां प्रतिवेदन . . .	१५२१
कॉंस्टग परिणामों के प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षा को निमंत्रित करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प	१५२१–२६
बौद्धधर्म अपनाने वालों के लिये संरक्षणों के बारे में संकल्प .	१५२६–३६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . .	१५३६–३७
दैनिक संक्षेपिका	१५३८–४२
अंक १६--सोमवार, २ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० से ६७७, ६८१, ६८३, ६८४, ६८६, ६८७, ६८९, ६९०, ६९२, ६९३ और ६९५ से ६९९	१५४३–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७८ से ६८०, ६८२, ६८५, ६८८, ६९१, ७०० से ७११, २६८ और २७८ . . .	१५६६–७४
अतारांकित प्रश्न संख्या ९१२ से ९३०, ९३२ से ९३६ और ९३९ से ९७०	१५७४–१६००
श्री रहीमतुल्ला चिनाय का निधन . .	१६००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	१६००–०१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	१६०१
कार्य मंत्रणा समिति--	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६०१
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१६०१–०२
समितियों के निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव	१६०२–०३
कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक-- पुरःस्थापित किया गया .	१६०३

पृष्ठ

छावनियां किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में १६०३–०६

विचार करने का प्रस्ताव १६०३
खंडवार विचार १६०६
पारित करने का प्रस्ताव १६०६
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६१०–१६
दैनिक संक्षेपिका १६१७–२१

अंक १७—मंगलवार, ३ दिसम्बर, १९५७—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ से ७१८, ७२०, ७२३ से ७२९, ७३१, ७३२, ७३४, ७३५, ७३७, ७४१ और ७४० . १६२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२१, ७२२, ७३०, ७३३, ७३६, ७३८, ७३९, ७४२ से ७५७ और ७५९ से ७६३ . . . १६४८–५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से १०४१ . . . १६५९–८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८९–९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १३९०

कार्य मंत्रणा समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन १६९०

भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में . . . १६९०
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६९१–१७३०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . १७३०
काजू उद्योग पर आधे घंटे की चर्चा १७३०–३४
दैनिक संक्षेपिका १७३५–४०

अंक १८—बुधवार, ४ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ से ७७१, ७७३, ७७६, ७७७, ७७९, ७८०, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९१ से ७९४ और ७९८ से ८०१ १७४१–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२, ७७४, ७७५, ७७८, ७८१, ७८२, ७८५, ७८८, ७९०, ७९५ से ७९७, ८०२ से ८०७, ८०९ से ८१३ और ३४९ १७६८–७७

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४८, १०५० से १०८४, १०८६ से १०९६, १०९८ से ११२३ और ११२५ से ११३१ .	१७७७–१८१३
जीवन बीमा निगम के विनियोजन पर आधे घंटे की चर्चा की सूचना के बारे में	१८१३–१४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८१४
राज्य-सभा से सन्देश	१८१४
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१८१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत के संविधान की मुद्रित प्रतियों के जलाये जाने का समाचार	१८१५
तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के अनुपूरक के उत्तर की शुद्धि . .	१८१५–१६
तारांकित प्रश्न संख्या २०८ के उत्तर के बारे में वक्तव्य . . .	१८१६
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	१८१६
पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक	१८१६–२६
विचार करने का प्रस्ताव	१८१६
खण्ड १ से ८	१८२५
पारित करने का प्रस्ताव	१८२५
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक .	१८२६–२७
विचार करने का प्रस्ताव	१८२६
खण्ड १ से ३	१८२७
पारित करने का प्रस्ताव	१८२७
जीवन बीमा निगम के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१८२८–४८
दैनिक संक्षेपिका	१८४९–५४

अंक १९—गुरुवार, ५ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२१, ८२३, ८२४, ८२६, ८२९, ८३१, ८३५ से ८४०, ८४२ से ८४४ और ५४७ . .	१८५५–८०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१८८१–८२

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२२, ८२५, ८२७, ८२८, ८३०, ८३२ से ८३४, ८४१ और ८४५ . १८८२–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ से १२१० १८८५–१९१७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९१७

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—पुरःस्थापित १९१७–१८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—पुरःस्थापित . १९१९–२०

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक— १९२०–३१

विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

खंड १ से ३ . . १९३१–३२

पारित करने का प्रस्ताव . . १९३२

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक १९३२–४६

विचार करने का प्रस्ताव १९३२

खंड १ से ७ . १९४६

पारित करने का प्रस्ताव १९४६

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक १९४६–५१

विचार करने का प्रस्ताव १९४६

कार्य मंत्रणा समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन १९५०

दैनिक संक्षेपिका १९५२–५६

अंक २०—शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ से ८५३, ८५५ से ८६१, ८६४, ८६६ से ८६८, ८७०, ८७१, ८७४ और ८७५ १९५७–८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १९८४–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५४, ८६२, ८६३, ८६५, ८६९, ८७२, ८७३, ८७६ से ८९९ और ४४२ १९८५–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२११ से १२२७ और १२२९ से १२९२ १९९८–२०३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०३३–३४

वर्ष १९५७-५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में विवरण . २०३४

सभा का कार्य २०३४

पृष्ठ

आसाम के तेल निक्षेपों से तेल निकालने के लिये रुपया समवाय बनाने के बारे में वक्तव्य १०३५

भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के लिये निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव २०३६

दण्ड-विधि संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित २०३६

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . २०३६–३७

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किराया कर (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित २०३७

डफरिन की काउन्टेस निधि विधेयक—पुरःस्थापित २०३७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन २०३८

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक —

विचार के लिये प्रस्ताव २०३८–५५

खण्ड २ से १८ तथा १ . . २०४६–५४

संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव २०५४

मंजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २०५५–५६

समान पारिश्रमिक विधेयक—पुरःस्थापित २०५६

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . २०५६–६३

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . २०६३–७१

राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव २०७१–७३

आधे घंटे की चर्चा—

खाद्यान्नों पर अग्रिम धन २०७३–७७

दैनिक संक्षेपिका २०७८–८४

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, २९ नवम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नागा पर्वतीय क्षेत्र

+

†*६३०. श्री पाणिग्रही :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या गृह-कार्य मंत्री नागा पर्वतीय क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था की स्थापना के लिये हाल में की गई कार्यवाही बताने की कृपा करेंगे ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : कोहिमा सम्मेलन द्वारा सुझाई गई कार्यवाही के अनुसार कार्य किया गया है। नागा त्वेनसांग क्षेत्र विधेयक संसद् द्वारा पारित कर दिया गया है और अधिकारीगण सजग हैं तथा कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिये आवश्यक कार्यवाही जारी है ।

†श्री पाणिग्रही : क्या कोहिमा सम्मेलन के पश्चात् नागा उपद्रवकारियों द्वारा मनीपुर में छापे मारने के समाचार प्राप्त हुए हैं ?

†श्री दातार : यह कुछ सीमा तक सही है। ऐसी कुछ घटनायें हुई हैं । वस्तुत: इसी सम्बन्ध में मैं ने आज एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया है।

†श्री पाणिग्रही : क्या उक्त क्षेत्र में एक पुलिस इंस्पेक्टर और खुफिया विभाग का एक व्यक्ति गायब है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मैं इस प्रश्न का तत्काल उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : नागा उपद्रवकारियों द्वारा उक्त क्षेत्र में बलात् प्रवेश करने और लूटपाट करने की दुर्बोध स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या इस क्षेत्र में सुरक्षा कार्यवाही की गई है अथवा इस कार्यवाही को दृढ़ता प्रदान की गई है ?

†**श्री दातार** : सरकार अपने कर्त्तव्य से परिचित है और सम्पूर्ण सुरक्षात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्रमती मंजुला देवी** : क्या वहां जो सैनिक प्रबन्ध है वही कानून और व्यवस्था सम्बन्धी कार्य जारी रखेगा ?

†**श्री दातार** : स्वाभाविक है कि प्रत्येक सरकार कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिये उत्तरदायी है ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** : मैं उस सैनिक व्यवस्था के बारे में पूछ रही हूं जो आजकल वहां विद्यमान है ।

†**श्री दातार** : सैनिक अथवा असैनिक—प्रत्येक व्यवस्था पर कानून और अमन का उत्तरदायित्व है ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कोहिमा सम्मेलन के पश्चात् नागा उपद्रवकारियों ने पोक्कोक्चुंग सब डिवीजन में आयोजित, एक वृहद् सभा में यह निर्णय किया है कि इकाई प्रशासन व्यवस्था के प्रादुर्भाव पर तुरन्त अपनी कार्यवाहियां गतिमान कर देंगे ?

†**श्री दातार** : कुछ असंतुष्ट तत्त्व हो सकते हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या फिजो को पकड़ने के लिये १०,००० रुपये के सरकारी इनाम की घोषणा वापस ले ली गई है अथवा अभी विद्यमान है ?

†**श्री दातार** : मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या लोक हित की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय महोदय स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं । माननीय सदस्य के प्रश्न का ढंग ही ऐसा है कि उसका उद्देश्य केवल प्रश्न पूछना है ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह कानून तथा व्यवस्था से सम्बद्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इसका निर्देश कानून और व्यवस्था से है तो मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता । दूसरा प्रश्न ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय राष्ट्रीय पौधशाला

+

†*६३१. { श्री सुबोध हासदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिवपुर, पश्चिमी बंगाल में बोटेनिकल गार्डन में केन्द्रीय राष्ट्रीय पौधशाला के विकास सम्बन्धी योजना की क्रियान्विति की अनुमानित लागत क्या है; और

(ख) इसकी क्रियान्विति के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) लगभग १४,६५,००० रुपये ।

(ख) शिवपुर पौधशाला पश्चिमी बंगाल सरकार से १ अप्रैल, १९५७ को ले ली गई थी। इसे राष्ट्रीय पौधशाला में विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†श्री सुबोध हासदा : पश्चिमी बंगाल सरकार से यह पौधशाला किन शर्तों और अवस्थाओं पर ली गई है ?

†श्री म० मो० दास : अनेक शर्तें और अवस्थायें हैं । इनमें से दो या तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं मैं उन्हें बताऊंगा । एक शर्त यह है कि इस पौधशाला तथा भारत के बोटेनिकल सर्वेक्षण विभाग के पुस्तकालय के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार शिवपुर बोटेनिकल गार्डन में तीन एकड़ भूमि देगी । इसका प्रशासन केन्द्रीय सरकार के हाथों में रहेगा । और रोजमर्रा के प्रशासन के लिये एक प्रशासिका निकाय स्थापित किया जायेगा । इस में पांच प्रतिनिधि रहेंगे—तीन केन्द्रीय सरकार के और दो राज्य सरकार के । तीसरी शर्त यह है कि पौधशाला और भारत बोटेनिकल सर्वे पुस्तकालय कलकत्ता से स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे ।

†श्री सुबोध हासदा : क्या देश में कोई और भी पौधशाला है और इस दिशा में क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†श्री म० मो० दास : भारत के बोटेनिकल सर्वे के पास चार जोन में पौधशालायें स्थापित करने के प्रस्ताव हैं ; उत्तर भारत के लिये देहरादून में, पूर्वी भारत के लिये शिलांग में, पश्चिमी भारत के लिये पूना में और दक्षिणी भारत के लिये संभवतः मैसूर में । इनके अतिरिक्त वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के अन्तर्गत एक पौधशाला लखनऊ में स्थापित की जा रही है । यह पौधशाला केवल उन्हीं पौधों और पेड़ों से सम्बन्धित है । जिनका भारत के लिये कुछ आर्थिक महत्व है ।

†श्री मोहम्मद इलियास : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बोटेनिकल गार्डन के भीतर यातायात दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप वहां यातायात पर प्रतिबन्ध लगाने से दर्शकों को इस सुन्दर उद्यान के परिभ्रमण एवं दिग्दर्शन में काफी कठिनाई होती है और यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central National Herbarium.

†**श्री सुबोध हासदा** : शिवपुर पौधशाला में किन-किन किस्मों के पौधों को संरक्षित किया जायेगा ?

†**श्री म० मो० दास** : कई सहस्र संरक्षित किस्में हैं जो वहां पहले से विद्यमान हैं। जोन कार्यालय द्वारा संग्रहीत पौधे भी दुहरे रूप में वहां रहेंगे। पौधों की नई उपज और नई किस्में भी वहां रहेंगी। उसके साथ ही भारतीयों अथवा विदेशियों के अभियान के परिणाम स्वरूप उपलब्ध होने वाले पेड़-पौधे वहां रखे जायेंगे। विदेशों से विनिमय स्वरूप प्राप्त पौधे भी यहां मिल सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : दूसरा प्रश्न। मैं ने अनेक प्रश्नों की अनुमति दे दी है। सरकार से और विशेष रूप से मंत्रियों के समक्ष मेरा यह सुझाव है कि जब किसी विशिष्ट कार्यक्रम अथवा संस्था में कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा नई बात पैदा होती है तो इसका विस्तृत ब्यौरा टिप्पण के रूप में दे दिया जाये ताकि ये सब अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता उत्पन्न न हो। इन विषयों पर जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिये। माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है। यदि यह सब छपे हुए रूप में उपलब्ध हो जाता तो समय की काफी बचत होती।

भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर[2]

+

†*६३२. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हासदा :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की विज्ञान संस्था, बंगलौर को पी० एच० डी०; डी० एस० सी० आदि प्रचलित डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) और (ख). इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस संस्था को ये अधिकार देना क्यों आवश्यक समझा गया है ?

†**श्री म० मो० दास** : बंगलौर की भारतीय विज्ञान संस्था इस देश की एक सुसज्जित और सुव्यवस्थित टेक्नालोजी और इंजीनियरिंग संस्थाओं में है किन्तु विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। इसका कारण यह है कि इस संस्था द्वारा दिये जाने वाले डिप्लोमा और एसोसिएटशिप इत्यादि का नियोजकों में और स्वयं विद्यार्थियों में भी समुचित सम्मान प्राप्त नहीं है। अतः बी० टेक०, एम० टेक०, बी० एस० सी०, डी० एस० सी०, इत्यादि प्रचलित डिग्रियां प्रदान करने के अधिकार देने का विचार किया गया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या उपरोक्त संस्था को यह अधिकार प्रदान करने के लिये संसद् में विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्री म० मो० दास** : इसके लिये संसद् के समक्ष पृथक विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार यह कार्य

---

†मूल अंग्रेजी में
[2]Indian Institute of Science, Bangalore.

कर सकती है । इस अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशन के आधार पर अधिनियम के अधीन किसी संस्था को विश्वविद्यालय घोषित कर सकती है ।

†**श्री सूपकार :** क्या सरकार इन प्रचलित डिग्रियों के स्थान पर समुचित भारतीय डिग्रियां जैसे विद्या सागर, विज्ञान विद्या निधि अथवा दर्शन कविराज आदि प्रदान करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सामान्य प्रश्न है जो इस विश्वविद्यालय पर ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों पर लागू होता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** उक्त संस्था के विद्यार्थियों को प्रचलित डिग्री सम्बन्धी परीक्षाओं के लिये सम्बन्धित विश्वविद्यालय में सम्मिलित होने में क्या बाधा है ?

†**श्री म० मो० दास :** यह स्वतंत्र संस्था है ; यह किसी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : तो इस में क्या कठिनाई है । खड़गपुर सरीखी और संस्थायें भी हैं ? क्या यह संस्था उदाहरण प्रस्तुत करेगी अथवा क्या इस संस्था के विद्यार्थी पी० एच० डी० के डिग्री कोर्स में सामान्यतः सम्मिलित होंगे जो इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय के छात्रों पर लागू होते हैं ?

†**श्री म० मो० दास :** माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि जहां तक खड़गपुर संस्था का सम्बन्ध है वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं है । संसदीय निधि के आधार पर खड़गपुर की संस्था को ये डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार है ।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय उपमंत्री ने जो कहा है कि केवल डिप्लोमा प्रदान करने से इस संस्था की ओर अधिक विद्यार्थी आकर्षित नहीं होते हैं तो क्या उस संस्था में टेक्नोलोजीकली और विज्ञान विषयों का स्तर इतना ऊंचा किया जायेगा कि वे पी० एच० डी० और डी० एस० सी० के स्तर तक पहुंच सकें ?

†**श्री म० मो० दास :** जी, हां । इसमें कोई सन्देह नहीं है । आजकल यह संस्था डिप्लोमा, एसोसिएटशिप, मेम्बरशिप आदि प्रदान करती रही है जिनका स्तर प्रचलित डिग्रियों के समान ही है । हम केवल नाम पद्धति में ही अन्तर कर रहे हैं ।

व्यावसायिक पथप्रदर्शन[3]

+
†* ६३३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) क्या विद्यार्थियों के व्यावसायिक पथ प्रदर्शन के लिये पोस्टर और संक्षिप्त चलचित्र उनके मंत्रालय द्वारा तैयार किये जाते हैं ;

मूल अंग्रेजी में
[3] Vocational Guidance.

(ख) यदि हां, तो अभी तक तैयार किये गये पोस्टर और संक्षिप्त चलचित्रों की कितनी संख्या है; और

(ग) उन्हें तैयार करने के लिये कौनसी एजेंसी नियोजित की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या १३१]**

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण में बताया गया है कि मंत्रालय द्वारा खर्च वहन नहीं किया जाता है। फिर खर्च के लिये कौन उत्तरदायी है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह जानकारी विवरण में दी गई है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण में बताया गया है कि पोस्टर और संक्षिप्त एवं वर्णनात्मक चलचित्रों पर अनुमानतः ४७,००० रुपये खर्च किये गये हैं किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यह खर्च कौन वहन करता है—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय अथवा श्रम मंत्रालय।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसका विवरण में उल्लेख है और मुद्रण तथा स्टेशनरी के नियंत्रक इसका भुगतान करेंगे।

†**श्री सूपकार** : इस कार्य के लिये विदेशों से मंगाये गये पोस्टरों चलचित्रों का परिमाण एवं मूल्य क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सब यहीं तैयार किये गये हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन ग्यारह पोस्टर और चलचित्रों के अतिरिक्त और भी तैयार किये जायेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह इस बात पर निर्भर है कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा इन चलचित्र और पोस्टरों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। यदि इनमें सफलता मिली तो हम और भी तैयार करने के लिये प्रस्तुत हैं ?

जहाजी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा सम्बन्धी छूट

†***६३४. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि जहाजी कम्पनियों को विभिन्न देशों से अर्जित विदेशी मुद्रा अपने उत्पत्ति स्थान पर रखने की अनुमति दी जाये और सरकार की विदेशी मुद्रा संचिति से इस आय का कुछ भाग युक्त रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : माननीय सदस्य का ध्यान २० नवम्बर, १९५७ को लोक-सभा में परिवहन मंत्री द्वारा दये गये तारांकित प्रश्न संख्या २९३ के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा:** जहाजी समवायों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा को, भले ही अन्ततोगत्वा सरकार का उस पर नियन्त्रण रहता हो, विभिन्न देशों से विदेशी मुद्रा संचिति तक आने में कुछ समय लगता है। क्या सरकार इसके लिये कोई युक्ति ढूंड रही है कि उपरोक्त प्रक्रिया समाप्त होकर विदेशी मुद्रा सरकार को शीघ्र सुलभ हो जाये ?

†**श्री ब० रा० भगत:** यह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा विनियमित है और जहाजी अथवा अन्य कम्पनियों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा संचिति में पहुंच जाती है तथा उस पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण है। यदि माननीय सदस्य के पास प्रक्रिया में मितव्ययता करने अथवा लालफीते शाही में कमी करने के लिये कोई ऐसा सुझाव है कि विदेशी मुद्रा संचिति में शीघ्र उपलब्ध हो तो मैं निस्सन्देह ही इस पर विचार करूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इन कम्पनियों द्वारा कितनी निधि विदेशी मुद्रा संचिति से युक्त करने की मांग की गई है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** उन्होंने किसी विशिष्ट रकम की मांग नहीं की है, किन्तु उन्होंने कहा है कि जहाजी समवायों की विदेशी मुद्रा आय, उन्हें अधिक टन भार प्राप्त करने के लिये, निर्धारित कर दी जाये और २० नवम्बर को दिये गये उत्तर में परिवहन मंत्रालय ने यह बात स्वीकार नहीं की क्योंकि सिद्धान्त की दृष्टि से तथा अन्य व्यावहारिक कारणों से यह आपत्तिजनक था। उन्होंने कहा कि नवीन टन भार द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा से मूल्य चुकाने अथवा उसे उपलब्ध कराने पर विचार करेगी।

माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक

†*६३६. { **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १७ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने सेकण्डरी स्कूलों के अध्यापकों की वेतन वृद्धि के लिये केन्द्र द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता के उपयोग के लिये योजनाएं प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ?

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३२]**

†**श्री मोहम्मद इलियास :** क्या पश्चिमी बंगाल के उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों द्वारा वेतन वृद्धि के लिये हाल में किये गये आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के निदेश देगी कि उपरोक्त वित्तीय सहायता में से इन अध्यापकों की औचित्य युक्त मांगें अविलम्ब ही पूरी कर दी जायें।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** एसा प्रस्ताव रखना पश्चिमी बंगाल सरकार का काम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोहम्मद इलियास** : क्या सैकण्डरी स्कूलों के अध्यापकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : किसी अभ्यावेदन प्राप्त करने के बारे में मुझे निश्चित जानकारी नहीं है, किन्तु इस अभ्यावेदन पर केन्द्रीय सरकार नहीं वरन् राज्य सरकार विचार करेगी ।

कोयला उत्पादन की लागत का ब्यौरा*

+

†*६३७. { **श्री त० ब० विट्ठल राव** :
श्री अ० क० गोपालन : .

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १७ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उत्पादन के लागत ब्यौरे का परीक्षण करने वाली समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसमें शीघ्रता करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). लागत ब्यौरे के परीक्षण के लिये आधारभूत आंकड़े विभिन्न कोयला खानों में भिन्न भिन्न प्रकार के कोयले के उत्पादन का लागत ही है । समिति ने इस विषय में एक विशद प्रपत्र और प्रश्नावली कोयला खानों के कुछ चुने हुए प्रबन्धकर्ताओं के पास उत्तर के लिये भेजे थे ताकि वे लागत की जांच कर सकें । । कई खान प्रबन्धकर्ताओं से उत्तर प्राप्त हो गये हैं । इनमें कुछ विलम्ब हुआ है और कतिपय मामलों में तो अभी तक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देर हो गई है । फिर भी इस कार्य में शीघ्रता बर्तने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि समिति अपना प्रतिवेदन १९५८ के प्रारम्भ में प्रस्तुत कर देगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह समिति कोयले के निर्यात के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली आय पर भी ध्यान देगी क्योंकि निर्यात करते समय इसकी कीमत अधिक होती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे विश्वास है कि वे सभी सुसंगत तथ्यों पर ध्यान देंगे ।

†**श्री अ० चं० गुह**: कुछ समय पूर्व निश्चित की गई अन्तर्कालीन कीमत समग्र कोयला स्वामियों द्वारा क्रियान्वित कर दी गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरी ऐसी ही धारणा है । किसी भी अवस्था में मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है कि इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

†**श्री बोस** : क्या समिति पूर्णतः खान स्वामियों द्वारा प्रस्तुत रिकार्डों पर ही निर्भर है अथवा यह भ्रमण कर स्वयं वस्तुस्थिति का अवलोकन करती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : लागत लेखे अधिकारी कोयला खानों को देख रहे हैं और अपने हिसाब की जांच कर रहे हैं कि जो विवरण दिये गये हैं वे सचमुच सही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Cost structure of Coal Production.

छोटी कोयला खानों का मिलाया जाना

+

†*६३८. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री झूलन सिंह : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २२ जुलाई, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी-छोटी कोयला खानों के मिलाये जाने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें क्रियान्वित करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) सरकार ने इन कोयला खानों के मिलाये जाने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है । अभी इस सम्बन्ध में विस्तृत रूपरेखा पर निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि इसका परीक्षण हो रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव है कि छोटी-छोटी कोयला खानों के मालिकों द्वारा समामलेन न किये जाने पर विधि का आश्रय लिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सब काल्पनिक बात है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरा विचार है कि किसी प्रकार की विधि आवश्यक होगी । हम अभी भी इस विधान की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और इस बात का परीक्षण कर रहे हैं कि खानों का समामलेन विधान के द्वारा किया जा सकता है अथवा उसके अभाव में भी यह सम्भव है ।

हिमालय का भूतत्वीय सर्वेक्षण

***६३६. श्री भक्त दर्शन :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १८ जुलाई, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर के सम्बन्ध में इस आशय का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय में भूतत्वीय सर्वेक्षण और ग्लेशियरों के अध्ययन का जो कार्यक्रम बनाया गया था उसमें इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसके सम्बन्ध में भविष्य का कार्यक्रम क्या है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). जानकारियों से युक्त विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३३]

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने वर्षों के लिए यह कार्यक्रम स्वीकार किया गया है ?

श्री के० दे० मालवीय : अभी तो सन् १६५८ का कार्यक्रम हमारे सामने है जिस के अनुसार हम काम करने का विचार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जो सर्वेक्षण किया गया है उसके क्या परिणाम निकले हैं और उससे हमारे ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री के० दे० मालवीय : जो इस साल पार्टियां गई थीं वे दो कामों के लिए गई थीं एक तो हिमालय के ग्लेशियर्स के अध्ययन के सम्बन्ध में और दूसरे ज्योलोजिकल सर्वे करने के लिये यानी खनिज पदार्थों की खोजबीन करने के लिए। दोनों पार्टियों की रिपोर्ट आ गई है। जो खनिज पदार्थों की खोज के लिए गई थी वह लेह से लेकर पंजाब तक घूमी और जिन मिनरल्स का उसको पता चला उनमें कायानाइट, मार्बल, लाइम स्टोन इत्यादि हैं। लेकिन अभी तक इस बारे में हम पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि आया उनका उत्पादन हो सकता या नहीं।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो कार्य किया जा रहा है यह अन्तर्राष्ट्रीय जियो-फिज़िकल यीर के सम्बन्ध में किया जा रहा है ? इस अध्ययन का इससे क्या सम्बन्ध है और किस प्रकार से उसे लागू किया जाएगा ?

श्री के० दे० मालवीय : इंटरनैशनल जियो-फिज़िकल यीर के सम्बन्ध में ही ये पार्टियां भेजी गई हैं विशेष तौर पर ग्लेशियर्स की मूवमेंट और उनके स्ट्रक्चर उनके आकार विकार का और किस तरह से वे घुल रहे हैं और उनके क्या असर पड़ रहे हैं हमारे पर्वतों के ऊपर इस सम्बन्ध में वे अध्ययन करने के लिए गई थीं। उन्होंने कुछ काम किया है और कुछ पार्टियां और भी जानने का विचार कर रही हैं और वे सन् १९५८ में भेजी जायेंगी।

बैंकों के प्रबन्ध निदेशक

\+

†*६४०. { **श्री नथवानी** :
श्री मुरारका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९५६ लागू होने के पश्चात् बकों के प्रबन्ध निदेशकों और प्रबन्धकों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन के लिये रिजर्व बक को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इन सब मामलों में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अनुमोदन न करने के लिये क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** (क) ३१ अक्टूबर, १९५७ तक १०५।

(ख) इनमें से ८८ आवेदन पत्र अनुमोदित कर दिये गये हैं; ११ आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और ६ आवेदन रद्द कर दिये गये हैं।

(ग) बैंकिग समवाय अधिनियम की धारा १० में उल्लिखित शर्तों को न मानना ही उक्त प्रार्थना पत्रों को रद्द करने का मुख्य कारण है।

†**श्री नथवानी** : क्या अनुमोदन के अभिप्राय से बक ने किन्हीं नियमों की रचना की है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय रिजर्व बैंक से है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नथवानी :** जी हां ।

†**श्री ब० रा० भगत :** रिजर्व बक प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार करता है और अधिनियम की धारा १० में इसका विशद उल्लेख किया गया । रिजर्व बैंक इसके आधार पर ही निर्णय करता है । तदनन्तर धारा ३५-ख है । अत: प्रपत्र के अनुसार होने की कोई बात नहीं है । यह तो प्रत्येक प्रश्न के गुणावगुण पर विचार करने से सम्बन्धित है ।

†**श्री नथवानी :** बैंक की ओर से इसके निर्णय का अधिकार किसे दिया गया है ।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** अनुसूचित बैंकों के प्रभारी एक डिपुटी गवर्नर हैं । वही सामान्यतया बोर्ड के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं । बोर्ड और गवर्नर ही इसका अन्तिम निर्णय करते हैं । और यदि यह केवल औपचारिक बात ही हुई तो वह स्वयं ही इसका निर्णय कर लेते हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार:** क्या अनुसूचित बकों में प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति को निरुत्साहित करने की रिजर्व बक की नीति है क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीयकरण के पूर्व बीमा समवायों में यह पद्धति समाप्त कर दी थी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मेरी सम्मति में यह स्थिति का संतुलित वर्णन है ।

†**श्री नथवानी :** क्या उक्त शक्तियों को प्रयुक्त करते समय रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार से परामर्श करता है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** जी, नहीं । केन्द्रीय सरकार सर्वथा असम्बद्ध है ।

माध्यमिक प्रक्रम पर तीन भाषाओं का अध्यापन

†*६४१. **श्री बहादुर सिंह :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माध्यमिक प्रक्रम पर तीन भाषाएं पढ़ाने के सम्बन्ध में शिक्षा के केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड की सिफारिशें केवल पांच राज्यों द्वारा ही स्वीकृत की गई है ; और

(ख) अन्य राज्य सरकारों द्वारा इसे अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी, नहीं । सात राज्यों ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

(ख) राज्यों ने अभी तक स्वीकृति की सूचना नहीं दी है अथवा वे इस विषय पर अभी विचार कर रहे हैं ।

†**श्री बहादुर सिंह :** क्या पंजाब राज्य ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** पंजाब राज्य ने अभी तक सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं । स्वीकृत करने वाले राज्य ये हैं :—आसाम, केरल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा.....

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न केवल यह है कि पंजाब इनमें सम्मिलित है अथवा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** पंजाब राज्य सरकार ने लिखा है कि वे अभी इस पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री बहादुर सिंह :** क्या पंजाब में चल रहे भाषा आन्दोलन को दृष्टिगत करते हुए क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से यह सिफारिश मानने के लिये अनुरोध कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं, वर्तमान आन्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु हमने राज्य सरकारों से शिक्षा के केन्द्रीय परामर्श बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित करने के लिये लिख दिया है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** हिन्दी प्रदेश वासियों से एक और आधुनिक भारतीय भाषा सीखने के लिये कहने से सरकार को क्या लाभ होगा ? क्योंकि 'आधुनिक भारतीय भाषा' से तात्पर्य सामान्यतः हिन्दी है तो फिर इसमें क्या लाभ है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** राज्य सरकारों से यह सिफारिश की गई है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वे एक आधुनिक भारतीय भाषा सम्मिलित कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक और भारतीय भाषा।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां। एक और आधुनिक भारतीय भाषा अर्थात् हिन्दी के अतिरिक्त एक और भाषा। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का अध्यापन आरम्भ किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने या शिक्षा विशेषज्ञों ने इस बात का विचार किया है कि हमारे बच्चों के ऊपर तीन तीन भाषाओं के सीखने का बोझा डालना ठीक है या नहीं ?

डा० का० ला श्रीमाली : इससे कोई हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है। योरोप में कई देश ऐसे हैं जहां पर चार-चार भाषायें पढ़ाई जाती हैं और कोई नुक्सान नहीं होता है। हमारे देश में भी तीन भाषायें यदि सीखी जायें तो इससे कोई हानि नहीं बल्कि लाभ होगा।

†**श्री दासप्पा :** तीन भाषाओं में कौन-कौन सी भाषायें समान हैं ? क्या हिन्दी और अंग्रेजी भी हैं ?

†**अध्यक्ष यहोदय :** माननीय सदस्य इन तीन भाषाओं के नाम जानना चाहते हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं पूरी बात बता दूं। राज्य सरकार को इस सूत्र की सिफारिश की गई है : (क) मातृ भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, या मातृ भाषा और प्रादेशिक भाषा का संयुक्त कोर्स, या मातृ भाषा और पुरातन भाषा का संयुक्त कोर्स, या प्रादेशिक भाषा और पुरातन भाषा का संयुक्त रूप, (ख) अंग्रेजी अथवा एक आधुनिक यूरोपीय भाषा और (ग) हिन्दी अथवा अन्य आधुनिक भारतीय भाषा।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी मद्रास गवर्नमेंट ने शिक्षा के सम्बन्ध में जो क्राइट पेपर प्रकाशित किया है, क्या वह केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुकूल है ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कुछ करने का विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मद्रास सरकार ने भी हमें लिखा है कि उन्होंने अभी इस विषय में अन्तिम निर्णय नहीं किया है और वे इस पर विचार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्यनिषेध के बारे में केन्द्रीय समिति

+
†*६४३. **श्री संगण्णा :**
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री बलराम कृष्णय्या :
श्री वोडयार :

क्या गृह-कार्य मंत्री मद्यनिषेध सम्बन्धी केन्द्रीय समिति के बारे में २७ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समग्र राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). अभी तक दस राज्यों से उत्तर प्राप्त हुये हैं। इनमें से सात ने प्रस्ताव से सहमिति प्रकट कर दी है। और शेष तीन ने कोई विचार व्यक्त नहीं किये हैं।

†**श्री संगण्णा :** उड़ीसा राज्य से क्या उत्तर मिला है ?

†**श्री दातार :** वह सहमत है।

†**श्री संगण्णा :** क्या सरकार ने देश के उन भागों की, जहां मद्यनिषेध लागू किया गया है, प्रति व्यक्ति आय तथा व्यय का सर्वेक्षण किया है ?

†**श्री दातार :** यदि यह नहीं किया गया है तो राज्य सरकार अब कर देगी।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि क्या मद्यनिषेध के बाद राजस्व घटा है या बढ़ा है ?

†**श्री दातार :** एकदम यह बताना सम्भव नहीं है।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या अब मद्यनिषेध समिति जारी है और यदि हां, तो अब उसका क्या कार्य है ?

†**श्री दातार :** एक समिति बनाई जानी है। समिति के अब भी विद्यमान होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। केन्द्र में एक समिति स्थापित की जानी है जो सब प्रगति का पुनरावलोकन करेगी और सारे काम का समन्वय करेगी।

बन्दूकों का वितरण

†*६४४. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे शस्त्रों का आयात बन्द करने के बाद सरकारी युद्ध सामग्री कारखाने उन एजेंटों के द्वारा, जो इसी प्रयोजन से नियुक्त किये गये हैं, लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को दुनाली बंदूकें दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सामान एजेंटों के हस्तक्षेप के बिना सीधे लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को न देने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) देश में शस्त्र विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक है । युद्ध सामग्री कारखानों के डायरेक्टर जनरल के पास ऐसा कोई विक्रय संगठन नहीं है जो विक्रय सम्बन्धी पत्र व्यवहार करे, लाइसेंसों और भुगतान आदि को देखे इसलिये यह सब से अधिक सुविधाजनक समझा गया कि ये बन्दूकें राज्य सरकारों की सिफारिश पर नियुक्त किये गये जोनल एजेंटों के जरिये दी जायें । परन्तु अब यह निर्णय किया गया है कि एजेंसियों के वर्तमान करारों के समाप्त हो जाने पर सामान सीधे लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को दिया जायेगा और एजेंटों का उसमें कोई दखल न होगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : यह देखते हुये कि इस समय शस्त्रों का लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं में वितरण एजेंटों के जरिये किया जाता है क्या सरकार ने उनके लाभ का प्रतिशत निर्धारित कर दिया है ?

†**श्री रघुरामैया** : थोक और फुटकर मूल्यों में अन्तर है और वह अन्तर ही उनका लाभ है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : प्रश्न यह है कि क्या लाभ की दर निश्चित है अर्थात् कि एजेंट एक निश्चित मात्रा से अधिक लाभ प्राप्त न करें ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं ने भी यही कहा है । थोक और फुटकर मूल्य निश्चित हैं । एजेंट थोक भाव पर खरीदता है और उसे निश्चित फुटकर मूल्य पर बेचना पड़ता है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : दोनों में कितने प्रतिशत अन्तर है ?

†**श्री रघुरामैया** : मूल्य पुनरीक्षित किये गये हैं । पहले २॥" "चैम्बर" का थोक मूल्य ३०० रुपये था और फुटकर ४०० रुपये । अब पुनरीक्षित थोक मूल्य ३५० रुपये और फुटकर ४५० रुपये । १०० रुपये का अन्तर है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या छोटे शस्त्रों का आयात बिल्कुल बन्द कर दिया गया है और यदि हां, तो क्या हमारे युद्ध सामग्री कारखानों में छोटे शस्त्रों का उत्पादन हमारी सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

†**श्री रघुरामैया** : यह प्रश्न "शाटगनों" के बारे में है और उसका आयात बन्द कर दिया गया है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या सरकार यह नहीं सोचती कि यह लाभ ज्यादा है ?

†**श्री रघुरामैया** यह तो राय का सवाल है ।

दिल्ली के स्कूल

†*६४७. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में बहुत से सरकारी स्कूल अब भी तम्बुओं और इसी प्रकार की जगहों में लग रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५५-५६ और १९५६-५७ में दिल्ली और नई दिल्ली में स्कूलों की कितनी इमारतें बनाई गईं; और

(ग) क्या यह सच है कि इधर इन स्कूलों के लिये इमारतों की कमी थी और १९५६-५७ में दिल्ली-प्रशासन के शिक्षा विभाग की बजट राशि कहीं खर्च न करके लौटा दी गई ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) (१) १९५५-५६.....१५

(२) १९५६-५७..... २

(ग) हां, श्रीमान ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि दिल्ली राज्य में यह गवर्नमेंट स्कूल्स् तम्बुओं आदि में कब तक चलते रहेंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : हमारी कोशिश यह है कि जितनी जल्दी हो सके यह तम्बू हटा दिये जांय और वहां पर ठीक ढंग की इमारतें बना दी जांय ।

श्री जगदीश अवस्थी : क्या मैं जान सकता हूं कि बजट का कितना प्रतिशत: रुपया जो कि बिल्डिंगस् के वास्ते मंजूर हुआ था, वह लैप्स हो गया और उसका क्या कारण था ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, पिछले साल अर्थात सन १९५६-५७ में काफ़ी रुपया उनका लैप्स हो गया और मैं नहीं समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के पास उसके लिये कोई संतोष-जनक जवाब है ।

श्री जगदीश अवस्थी : कितना परसेंट ख़त्म हो गया ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उसकी परसेंटेज तो मेरे पास नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : कितना मनी लैप्स हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : गत वर्ष कुल कितनी राशि व्ययगत हुई है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जब कि कई वर्षों से इस प्रश्न की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार के अधिकारी यहां मौजूद हैं, तो फिर यह दिया तले अंधेरा क्यों है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य को मालूम है कि जहां तक दिल्ली स्टेट का सम्बन्ध था, उसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट की सीधी ज़िम्मेदारी नहीं थी और वह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी । अब सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड एरिया होने के बाद यह सेंट्रल गवर्नमेंट की सीधी ज़िम्मेदारी हो जाती है और तब से बराबर इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके स्कूल विल्डिग्स् तैयार की जांय । इस साल हमने २२ विल्डिग्स् बनाने की मंजूरी दी थी । दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन उसमें से १२ विल्डिगस् बना रहा है और बाक़ी मैं समझता हूं कि जल्दी ही बन जायेंगी और हमारी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके, यह तम्बू वहां से हटा दिये जांय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बेघर लोगों का सर्वेक्षण

+

†*६४८. { राजा महेन्द्र प्रताप :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी उन लोगों की गिनती कराई है जो दिल्ली में सरदियों के मौसम में सड़क की पटरियों पर सोकर रात काटते हैं ;

(ख) क्या २१ अप्रैल, १९५६ को इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के पास कोई अभ्यावेदन भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) नहीं।

(ख) २१ अप्रैल, १९५६ का एक साइक्लोस्टाइल किया हुआ ज्ञापन प्रधान मंत्री को १ मई, १९५६ को मिला था ।

(ग) पहले पहल बेघर लोगों के लिये रात को सोने के दो स्थान प्रयोगात्मक रूप से बनाने का विचार है। क्योंकि शहर में उपयुक्त और खुले स्थान उपलब्ध नहीं हैं, जहां ऐसे निर्माण, बिना आस पड़ोस पर कोई बुरा प्रभाव डाले, किये जा सकें इस लिये गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के साथ ही इस प्रकार के निर्माण के लिये स्थान ढूंढने और निर्माण कार्य का परीक्षण किया जायेगा ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या माननीय मंत्री कभी ऐसे स्थानों पर गई हैं और यदि हां, तो यह देख कर उनकी भावनायें क्या होती हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : हम ने ऐसे स्थान यहीं नहीं बल्कि और भी कहीं देखे हैं। हम सब की भावनायें एक सी ही हैं ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : यदि कोई हत्या करता है तो उसका उसे दंड दिया जाता है। परन्तु यदि कोई दिल्ली में सरदी के कारण मर जाये तो किसे दंड दिया जायेगा ? क्या किसी मंत्री को या किसी अन्य व्यक्ति को ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री पाणिग्रही** : इन में से कितने व्यक्ति बेरोजगार भी हैं ? क्या वे केवल बेघर हैं या कि बेरोजगार भी ?

†**श्रीमती आल्वा** : हमारे पास वे आंकड़े नहीं हैं ।

मूल अंग्रेजी में

परीक्षाओं में असफलतायें

†*६४९. **श्री कोडियान :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में परीक्षाओं में असफलताओं का सर्वेक्षण कराया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३४**]

†**श्री कोडियान :** विवरण से पता चलता है कि स्कूल की अन्तिम परीक्षा में औसतन ५० प्रतिशत छात्र असफल रहते हैं। सब से अधिक संख्या अंग्रेजी और गणित में असफल रहने वालों की उसके बाद भारतीय इतिहास और सिविक्स का नम्बर आता है .....

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सब बताने की क्या आवश्यकता है ? प्रश्न क्या है ?

†**श्री कोडियान :** इन बातों को देखते हुये क्या सरकार ने इतने अधिक छात्रों के असफल रहने का कारण जानने का प्रयत्न किया, और यदि हां, तो हालत को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माध्यमिक शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद् ने हाल ही में इन आंकड़ों का विश्लेषण किया और वह कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा। प्रतिवेदन की पूरी तरह जांच कर लेने के बाद केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सिफारिशें भेजी जायेंगी।

†**श्री कोडियान :** क्या यह सच है कि छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होना, लम्बा और अजीब सा पाठ्यक्रम होना, अध्यापकों की कमी और अध्यापकों के वेतन कम होने के कारण ही इतने अधिक छात्र फेल होते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमली :** ये और कुछ अन्य कारणों से ही अधिक छात्र फेल होते हैं (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय :** छात्रों की अरुचि का उल्लेख नहीं किया गया।

†**श्री स० म० बनर्जी :** मंत्री महोदय उसका भी जिक्र कर देते।

भूमिहीन अनुसूचित जातियां

†*६५०. **श्री साधू राम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह निदेश दिया है अथवा देने का विचार कर रही है कि कृषि योग्य ऊसर भूमि भूमिहीन अनुसूचित जातियों को आवंटित कर दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). १२ अक्तूबर को हुई हरिजन कल्याण के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड की बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि ऊसर कृषि-योग्य भूमि का भूमिहीन लोगों में आवन्टन करते समय हरिजनों को प्राथमिकता दी जाये ?

†**श्री क० उ० परमार** : क्या यह सच है कि बम्बई राज्य ने ग्राम पंचायतों को कुछ शक्तियां प्रदान की हैं और ज्यों ही अनुसूचित जातियों के लोग भूमि के लिये आवेदन पत्र देंगे तो पंचायतें तुरन्त यह संकल्प पारित कर देंगी कि सरकारी ऊसर भूमि को 'गोचरण' माना जाये ?

†**श्रीमती आल्वा** : मुझे यह मालूम नहीं ।

†**श्री तिम्मय्या** : कौन-कौन से राज्य अनुसूचित जाति के लोगों को मुफ्त भूमि आवंटित करते हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : हमें यह जानकारी मांगना पड़ेगी । हम ने राज्य सरकारों से इस बारे में जानकारी भेजने को कहा है ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि अनुसूचित जातियों के लोगों को मुफ्त जमीन देने में राज्य सरकारों को क्या कठिनाइयां होती हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : हम कठिनाई को महसूस करते हैं और इस पर चर्चा की जा चुकी है । भूदान की और सरकारी जमीन उन्हें दे दी जायेगी ।

†**श्री दासप्पा** : इस परिपत्र के जारी होने के बाद कितने हरिजन अथवा अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि आवंटित की गई है और उसका कुल क्षेत्रफल कितना है ?

†**श्रीमती आल्वा** : परिपत्र हाल ही में निकाला गया है परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हों तो मेरे पास इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े हैं कि विभिन्न राज्यों में कितने एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों के लिये आवंटित की गई । मेरे पास कई राज्यों के आंकड़े हैं । माननीय सदस्य बता दें कि वह किस राज्य के आंकड़े जानना चाहते हैं ।

†**श्री दासप्पा** : मैं कुल क्षेत्रफल जानना चाहता हूं ।

†**श्रीमती आल्वा** : कुल ३१७२९९.१२ एकड़ हैं ।

†**श्री कोडियान** : क्या भूमिहीन अनुसूचित जातियों के लोगों को ऊसर भूमि आवंटित करते समय कोई वित्तीय सहायता भी दी जा रही है ?

†**श्रीमती आल्वा** : मैंने प्रश्न को नहीं समझा ।

†**श्री कोडियान** : क्या अनुसूचित जाति के लोगों को ऊसर भूमि आवंटित करते समय कोई वित्तीय सहायता भी दी जाती है ?

†**श्रीमती आल्वा** : हमारे पास राज्य सरकारों की योजनायें हैं और इस बात पर भूमि का आवंटन करते समय विचार किया जाता है ।

†**श्री क० उ० परमार** : क्या यह सच है कि सरकारी पदाधिकारी भूमि का नम्बर नहीं बता रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के लोग इन भूमि खंडों के लिये आवेदन पत्र नहीं दे रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती आल्वा :** यह बात ठीक नहीं है ।

†**श्री तिम्मय्या :** क्या सरकार को विदित है कि जब इस भूमि का आवंटन किया जाता है तो अनुसूचित जाति के लोगों को बिल्कुल बेकार भूमि दी जाती है ?

†**श्री इलथापेरुमाल :** मद्रास राज्य में कुल कितने एकड़ भूमि आवंटित की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि मद्रास राज्य में कितने एकड़ भूमि आवंटित की गई है ।

†**श्रीमती आल्वा :** मेरे पास मद्रास के आंकड़े नहीं हैं ।

पंजाब विश्वविद्यालय

+

†*६५१. { **श्री हेम राज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय ने भूतत्व विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बारह लाख रुपये की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सैंट्रल आर्डनेंस डिपो, कानपुर से श्रमिकों का निकाला जाना

+

†*६५७. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर १९५७ के पहले सप्ताह में सैंट्रल आर्डनेन्स डिपो कानपुर में काम करने वाले ५१ बढ़ई, ३ भंगी और ९ मजदूरों को नौकरी से निकालने के नोटिस दिये गये थे ;

(ख) क्या ये श्रमिक फालतू थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यभार निर्धारित किया गया था; और

(घ) क्या इन व्यक्तियों को उनके पदों के समान वैकल्पिक स्थान दे दिये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) उन व्यक्तियों को वैकल्पिक नौकरियां दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या कुछ कर्मचारियों को एक मास पूरा होने के बाद दिसम्बर के महीने में नौकरी से निकाला जायेगा और क्या मंत्रालय उन के लिये वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही कर रहा है ?

†**श्री रघुरामैया** : मंत्रालय की यह नीति है कि जब कभी सम्भव होता है वह वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था करता है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या इन सब को वैकल्पिक नौकरियां दिये जाने की कोई सम्भावना है ?

†**श्री रघुरामैया** : यह कहना तो कठिन है; परन्तु हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा ।

जीवन बीमा निधि का विनियोजन

†*६५९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वित्त मंत्री ४ सितम्बर १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने कानपुर के श्री एच० डी० मंघरा के बहुत से अंश स्वयं ले लिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह कितनी राशि का सौदा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). जून १९५७ की समाप्ति पर जीवन बीमा निगम ने उन उपक्रमों के जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें श्री एच०डी० मंघरा का हिस्सा है १२६,८६,१०० रुपये के अंश खरीदे थे ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण होने से पूर्व यदि जीवन बीमा समवायों की निधि ऐसे समवायों में विनियोजित की जाती तो क्या सरकार इसकी अनुमति दे देती?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : विनियोजन स्वयं जीवन बीमा निगम करता है। उसमें एक विनियोजन समिति है। वस्तुत: राष्ट्रीय करण से पूर्व ही उस ने गैर-सरकारी उद्योगों में काफ़ी विनियोजन कर रखा था और उनके पास अधिक अंश होने के कारण वह स्वयं ही प्रमुख समवायों का अंशधारी बन जायेगा। जीवन बीमा निगम की विनियोजन समिति ही विनियोजन सम्बन्धी नीति निर्धारित करती है। समय समय पर जो अंश खरीदे जाते हैं उनमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जब लोक-सभा में इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तब सरकार की ओर से निश्चित तौर पर यह कहा गया था कि जीवन बीमा समवाय बिना सोचे समझे विनियोजन करते हैं इसीलिये उनका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। अब सरकार उस आश्वासन को क्यों पूरा नहीं कर रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि यह कहा जाये कि ये विनियोजन बिना सोचे समझे किये गये हैं तो मैं इस से इनकार करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका यह अभिप्राय नहीं है। वह तो केवल माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जीवन बीमा विधेयक पर चर्चा करते समय यह कहा गया था कि जीवन बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण करने का एक कारण यह भी था कि कुछ एक ने बिना सोचे समझे पूंजी का विनियोजन कर रखा था। यदि यह ठीक है तो फिर अब भी वैसे ही क्यों किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** यह ठीक नहीं है। जीवन बीमा निगम जो भी विनियोजन करता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना और ऐसा विनियोजन करना है जिसमें हानि की सम्भावना कम हो। उसकी यही नीति है। प्रश्न यह नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी गुट्ट के साथ पक्षपात किया जाये बल्कि यह है कि निगम को लाभ हो जिसके फलस्वरूप बीमा धारियों को भी लाभ हो ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या उन समवायों के अंशों के मूल्यों को गिरने से रोकने के लिये जिनमें श्री मंधरा के बहुत ज्यादा अंश थे इस विनियोजन की स्वीकृति दी गई थी और यदि हां, तो क्यों ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इस समवाय के अंशों के गिरते हुये मूल्य बढ़ाने के लिये इस समवाय में पूंजी का विनियोजन किया गया था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** जहां तक मुझे मालूम है सम्भव है कि इसमें कोई गलती हो इन समवायों में निगम के अंश पहले से थे। निगम अधिक अंश खरीदना चाहता था क्यों कि उस समय उसे अंश फायदेमंद मूल्य पर मिल रहे थे। बाज़ार के क्रय-विक्रय में जीवन बीमा निगम की कोई रुचि नहीं है क्योंकि यह केवल खरीदता है बेचता नहीं ।

†**श्री फीरोज गांधी :** क्या यह सच है कि कुछ मास पूर्व डा० राम सुभग सिंह द्वारा उल्लिखित समवायों में कुछ अंश बाजार के भाव से अधिक भाव पर खरीदे गये थे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मुझे बताया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई।

†**श्री नथवानी :** क्या ये अंश खरीदने से पूर्व निगम की वित्तीय मंत्रणा समिति से परामर्श किया गया था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसका निर्णय समय समय पर उस समिति को ही करना होता है। इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि उसमें से कितने अधिकारों का प्रयोग वह स्वयं करती है और कितने प्रत्यायोजित हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या यह सच है कि कलकत्ता श्रेष्ठि चत्वर[४] के प्राधिकारियों के अभ्यावेदन करने पर कलकत्ता के श्रेष्ठि चत्वर के दलालों की सहूलियत के लिये जिनके पास बहुत देर से ये अंश पड़े हुये थे, इन अंशों को खरीदा गया था ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** जीवन बीमा निगम का न तो श्रेष्ठि चत्वर से सम्बन्ध है और न ही दलालों से। वह अपने विनियोजन में रुचि रखता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तथ्य जानने का प्रयत्न करें। यदि श्रेष्ठि चत्वरों को चलाने वाले लोगों अथवा वहां काम करने वाले लोगों ने सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है तो उसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। परन्तु किसी के मन की बात तो नहीं बताई जा सकती। ऐसे ही तीन प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उनका एक ही उत्तर दिया गया है। ऐसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[४]Stock Exchanges.

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या माननीय मंत्री सभा-पटल पर यह जानकारी रखने की कृपा करेंगे कि इस समवाय के कितने अंश खरीदे गये, किस तिथि को खरीदे गये और कितनी राशि के खरीदे गये थे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी हां, मैं अवश्य यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : उसमें यह भी जानकारी हो कि बाजार का भाव उस समय क्या था ?

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स

+

†*६६०. {**श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हासदा :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स के विस्तार कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई ;

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत इस्पात कारखानों के लिये कितनी राशि आवंटित की गई और प्रत्येक वर्ष कितनी राशि खर्च की जायेगी ;

(ग) इस इस्पात परियोजना से कितने तैयार इस्पात की आशा की जाती है; और

(घ) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से पूर्व इस इस्पात कारखाने का वार्षिक उत्पादन कितना था ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) (१) **पूरी हो चुकी योजनायें** :

कच्चे लोहे की दो, बिजली से चलने वाली दो भट्टियां, ऐसेटिक एसिड प्लांट, सीमेंट के कारखाने का विस्तार, अन्य सहायक एकक जैसे कि दूकानें, ढलाई के कारखाने, ट्रामवे और अयस्क खानें ।

(२) **चालू योजनायें** :

कास्ट आयरन स्पन पाइप प्लांट तो चालू होने वाला है ।

सिंटरिंग प्लांट —आदेश भेजा जा चुका है और उसके पहुंचने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

फेरी सिलिकन प्लांट का विस्तार—आशा है कि शीघ्र ही आदेश भेज दिया जायेगा ।

इस्पात विस्तार योजनायें — मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स विदेशी समवायों से बात चीत कर रहा है कि उसे इस शर्त पर मशीनें दी जायें कि उनका मूल्य वह बाद में चुकाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ५९५ लाख रुपये; योजना में वर्षवार व्यय का उल्लेख नहीं किया गया है ।

(ग) ८५,००० टन वार्षिक

(घ) लगभग ३६,००० टन तैयार इस्पात ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण इस इस्पात और लोहे के कारखाने की प्रगति में रुकावट पैदा होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** आशा तो यही रखनी चाहिये कि प्रगति नहीं रुकेगी ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इन कारखानों में किस प्रकार के तैयार माल इस समय उपलब्ध हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** १९५६–५७ का उत्पादन निम्नलिखित है :—

कच्चा लोहा ढलाई और 'बेसिर' . . .	५८,६८० टन
तैयार इस्पात	१६,५४८ टन
फैरो सिल्किन और फैरो मैंगानीज . . .	५,४६१ टन

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर से जो आयरन ओर का एक्स्पोर्ट बन्द कर दिया गया है वह क्यों बन्द कर दिया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे पता नहीं है कि वहां से एक्स्पोर्ट बन्द कर दिया गया है । वहां कई माइन्स हैं । पता नहीं आनरेबिल मेम्बर किस माइन के मुताल्लिक पूछ रहे हैं ।

†**श्री दासप्पा :** इस नई योजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये । और यदि निश्चित प्रश्न पूछा जाये तो मैं जानकारी एकत्र करने का प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** इस्पात के उत्पादन व्यय को जहां तक हो सके कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** न मालूम माननीय सदस्य किस प्रकार के उत्तर की आशा रखते हैं । बचत करने के लिये निरन्तर कोई न कोई कार्यवाही की जाती है—ऐसा तो है नहीं कि कोई नये तरीके से उत्पादन किया जाने लगा हो ।

†**श्री सुबोध हासदा :** क्या सदांजवल इस्पात[1] का उत्पादन आरम्भ करने का विचार है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** भद्रावती में सम्भव नहीं है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या इस इस्पात कारखाने का शुमार सरकारी क्षेत्र में किया जाता है या गैर- सरकारी क्षेत्र में ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसी से अनुमान लग सकता है कि इसकी मालिक मैसूर सरकार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Stainless Steel.

मशीन का तेल[1]

+

†*६६१. { श्री हेडा :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस प्रश्न की जांच कर रही है कि कुछ विशेष प्रकार के अशोधित तेल (क्रूड आॅयल) आयात करने देश में ही सभी प्रकार के मशीनी तेलों का उत्पादन किया जाये ;

(ख) क्या बर्मा शैल और स्टैनवैक की मौजूदा तेल शोधनशालायें विशेष प्रकार के मशीनी तेलों का उत्पादन नहीं कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इस प्रकार की कोई प्रस्थापना है; और

(घ) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां :

(ख) जी हां ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपोत्पादों की बहुत सी मात्रा बम्बई की दो शोधनशालाओं द्वारा बेकार फेंक दी जाती है जिसको मशीन के तेलों के उत्पादन में उपयोग में लाया जा सकता था ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे इसकी जानकारी नहीं है । परन्तु अधिकांश मशीन का तेल देश में ही तैयार किया जाता है और बहुत थोड़ी सी मात्रा का आयात किया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कोई माननीय सदस्य पूछते हैं कि इतनी बर्बादी होती है या नहीं तो स्वभावतः माननीय मंत्री को यह बताने की स्थिति में होना चाहिये कि उसके सम्बन्ध में क्या होता है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : पेट्रोलियम सम्बन्धी समस्त उत्तर ऐसे ही होते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि उसको उपयोग में लाया जा सकता है या नहीं । अतः यह सदन ही सर्वोच्च निकाय है जो इन चीजों को उपयोग में लाने के लिये निदेश दे सकता है ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं हल्का सा संकेत भर दे सकता था । मैं नहीं समझता कि वह बेकार फेंक दिया जाता है । इसलिये मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि वह बेकार फेंक दिया जाता है या नहीं । मुझे पक्की तरह से नहीं मालूम कि वह बेकार फेंक दिया जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कह रहे हैं कि वह बेकार फेंक दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lubrication Oil.

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह अत्यन्त प्रविधिक प्रश्न है । उसमें अनेक उपोत्पाद अन्तर्ग्रस्त हैं । यदि वह उन उपोत्पादों के सम्बन्ध में, जिनके बेकार जाने की सम्भावना हो या जो बेकार जाते हों, कोई निर्दिष्ट प्रश्न पूछें तो मैं सम्भवतः उनकी सहायता कर सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न इतना भर है कि क्या कोई उपोत्पाद—-जो कुछ फेंक दिया जाता है—मशीन के तेल के निर्माण के लिये उपयोग में लाया जाता है ।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: श्रीमान्, पेट्रोलियम के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि बहुत सारे उपोत्पाद जिनको उपयोग में लाया जा सकता है; परन्तु इन उपोत्पादों को उपयोग में लाने का व्यय बहुत अधिक है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य यह जानते हैं या नहीं कि ब्रिटेन में इस प्रयोजन के लिये एक कम्पनी चालू की गई थी और वह कम्पनी बराबर नुकसान उठा रही है—आठ या नौ वर्षों से अधिक समय से उपोत्पादों के उपयोग के इस प्रश्न की जांच विभिन्न सबंधित मंत्रालयों, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को सम्मिलित करते हुये, द्वारा जांच की गई थी । हमने देखा कि एक उपकरण की स्थापना की लागत बहुत ज्यादा है । हो सकता है कि बेकार जाने वाले उपोत्पादों का कुल मूल्य इतना न हो कि एक कीमती संयंत्र की स्थापना करना सार्थक हो । अभी भी शोधनशालाओं में गैस हवा में चली जाती है । उससे बहुत सारे उपोत्पाद प्राप्त किये जा सकते हैं परन्तु उसमें कोई बचत नहीं है । इसलिये हमसे ऐसा उत्तर देने के लिये कहना व्यर्थ है जो आर्थिक और प्रविधिक विचार से निर्दिष्ट नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि यदि माननीय मंत्री ने इतना ही कह दिया होता कि उनका उपयोग मशीन के तेल के निर्माण के लिए नहीं किया जाता है तो सदन को संतोष हो जाता । इतना ही पर्याप्त है । यदि फिर यह प्रश्न पूछा जाता है कि उनको उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता है तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि उसके उत्तर के लिये एक लम्बा विवरण देने की आवश्यकता पड़ेगी ।

आदिम जातीय संस्कृति

†*६६२. **श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री ३० अगस्त, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातीय संस्कृति और साहित्य का विकास करने की दृष्टि से उड़ीसा को आदिम जातीय नृत्य का अभिलेखन और सर्वेक्षण करने के लिए वर्ष १९५७–५८ के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री संगण्णा** : क्या आकाशवाणी के उन केन्द्रों में आदिम जातीय संगीत के प्रसारण के लिये कोई समय आवण्टित किया जाता है जिनके कार्यक्रमों को बहुत अधिक लोग सुनते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य यह प्रश्न सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक वित्त निगम

†*६६३. { श्री बीरेन राय :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त निगम के लेखा-परीक्षकों ने यह कहा है कि संदेहपूर्ण ऋणों के लिए उपबन्ध लगभग पच्चीस प्रतिशत बढ़ा दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिए क्या कदम, यदि कोई हों, उठाये जा रहे हैं कि निगम के कर्जदार भविष्य में चूक न करें ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) लेखा परीक्षकों ने भारत के औद्योगिक वित्त निगम के लेखाओं पर ३० जून, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन में यह कहा है कि उनके विचार से संदेहपूर्ण ऋणों के लिए लगभग ५,००,००० रुपये का और उपबन्ध वांछनीय था ।

(ख) चूक के मामलों की निगम द्वारा विस्तृत जांच की जाती है उचित उपचारी कार्यवाही अविलम्ब की जाती है । इसके अतिरिक्त चूक के मामले में मैं कर्जदारों से १/२ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज वसूल किया जा सकता है । यदि फिर भी चूक की जाती है और समस्त उपचारी कार्यवाहियां बेकार जाती हैं तो निगम कर्जदारों की आस्तियों और व्यापार संस्थाओं का प्रबन्ध अपने हाथ में कर लेने का अधिकारी है ।

†श्री बीरेन राय : सोदपुर ग्लास वर्क्स के सम्बन्ध में कर्जदारों और कर्ज की गारंटी देने वालों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : कम्पनी को दिये गये कर्ज की गारंटी करने वालों से देय बकाया की वसूली का प्रश्न निरन्तर निगम के ध्यान में रहता है । परन्तु यह सच है कि न तो कर्जदार और न गारंटी देने वालों की कोई मूर्त परिसम्पत्[7] है । उनके पास जो कुछ भी है उसी के सम्बन्ध में हम कार्यवाही कर रहे हैं ।

†श्री दासप्पा : क्या कोई ऐसे निकाय हैं जो बराबर चूक करते रहते हैं और क्या निगम ने किन्हीं राज्यों में उस व्यापार संस्था को अपने कब्जे में ले लिया है ?

† श्री ब० रा० भगत : सोदपुर का एक ऐसा उदाहरण था । परन्तु सदन की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान सम्बन्धी स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है । उदाहरणार्थ, चूक की राशि आज केवल लगभग ९ लाख रुपये है अथवा यदि अधिक सही कहूं तो ९,८४,००० रुपये है । यह देय राशि का केवल २.७ प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष वह ६.४ प्रतिशत था । जहां तक मूलधन का सम्बन्ध है, चूक लगभग २५ लाख रुपये की है जो कि कुल देय का लगभग ८ प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष वह २२ प्रतिशत था । इसलिए इन भुगतानों और वसूली की प्रगति काफी बढ़ गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[7] Tangible assets

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत् उत्पादक*

†*६३५. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने सूर्य की किरणों से बिजली पैदा करने के लिये एक विद्युत् उत्पादक तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये शिक्षा योजनायें

†*६४२. **श्री अ० सि० सहगल :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्री जी ने हाल में यह घोषणा की है कि इसके बावजूद भी कि दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि का डेढ़ वर्ष समाप्त हो गया है उनकी शिक्षा सम्बन्धी सुधार की बहुत सी योजनायें अभी भी कागजी योजनायें बनी हुई हैं;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना की शिक्षा सुधार सम्बन्धी वे कौन कौन सी योजनायें हैं जो अभी तक कागज तक ही सीमित हैं;

(ग) इतना विलम्ब क्यों हो रहा ; और

(घ) क्या सुधार योजनायें कार्यान्वित की जायेंगी और लक्ष्य की प्राप्ति निर्दिष्ट समय में हो जायेगी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ). एक विवरण जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३५]**

बिलासपुर नगर का भाखड़ा बांध द्वारा जलमग्न होना

†*६४५. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर टाउन के, जो भाखड़ा बांध द्वारा जलमग्न हो जायेगा, निवासियों के पुनर्वास की योजनाओं का ब्यौरा क्या ; और

(ख) क्या उस क्षेत्र के निवासियों को अर्जित की गई भूमि और अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रतिकर दिया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

* Electric Generator.

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) बिलासपुर टाउन के निष्कासित व्यक्तियों को एक नये नगर में बसाया जायेगा जो वर्तमान नगर से लगभग २।। मील दूर निर्मित किया जायेगा। ३३० एकड़ स्थान अर्जित किया जा चुका है जिस पर मुख्य नगर बसाया जायेगा और उसको समतल बनाने का कार्य प्रायः समाप्त होने को है। अन्य सुख-सुविधाओं जैसे सड़कों आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। लगभग ८०० मकानों के प्लाटों का सीमांकन किया जा चुका है और वे निकट भविष्य में ही निष्कासित व्यक्तियों को उपलब्ध कर दिये जायेंगे।

(ख) भूमि अर्जन अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित भूमि के सम्बन्ध में पंचाटों की घोषणा कर दी है। वर्तमान नगर के शहरी क्षेत्र की भूमि और अन्य सम्पत्तियों के लिए पंचाटों में तनिक विलम्ब हो गया है परन्तु आशा की जाती है कि उनकी घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

†*६४६. श्री अब्दुल सलाम : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी कम्पनियों को पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का अधिकार दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि आयात करने वाली कम्पनियों को अपने उत्पाद सरकार द्वारा निश्चित किये गये मूल्यों पर बेचने की अनुमति है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयात करने वाली कम्पनियां प्रत्येक जिले में अभिकर्ताओं की नियुक्ति करती हैं और आयात की गई वस्तुओं को अधिक मूल्य पर बेचती हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) भारत में पांच बड़ी कम्पनियां पेट्रोलियम उत्पादों का आयात कर रही हैं जबकि लगभग पैंसठ अन्य कम्पनियां मुख्यतः उपस्नेहकों का आयात कर रही हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों का नियंत्रण तत्समय चालू आयात नीति द्वारा किया जाता है और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो उसमें विनिहित शर्तों को पूरा करता है, आयात करने का प्राधिकार दे दिया जाता है। परन्तु पेट्रोल, मट्टी का तैल[९] और मोम[१०] के आयातों की अनुमति नहीं है क्योंकि देश इन उत्पादों में आत्मनिर्भर है।

(ख) नहीं श्रीमान्। कुछ प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तैल कम्पनियां सरकार द्वारा मान्य एक सूत्र के आधार पर निश्चित करती हैं। अन्य मामलों में मूल्यों का निश्चय स्वयं तैल कम्पनियों द्वारा स्पर्धा के आधार पर किया जाता है।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री तैल कम्पनियों द्वारा नियुक्त किये गये अभिकर्ताओं के माध्यम से की जाती है। उत्पादों के विक्रय मूल्य प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित आधार पर निश्चित किये जाते हैं। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि पेट्रोलियम उत्पाद अधिक मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[९] Furnace Oil.

[१०] Paraffin Wax.

सरकारी कर्मचारियों द्वारा भेंटों का स्वीकार किया जाना

†*६५२. **श्री वें० प० नायर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का कोई ऐसा आदेश इस समय लागू है जिसमें सरकारी पदाधिकारियों से यह कहा गया है कि वह एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करें जिसमें उनके घर पर विवाह आदि उत्सवों में आमंत्रित व्यक्तियों और ऐसे उत्सवों में प्राप्त भेटों का ब्यौरा दिया गया हो;

(ख) इस प्रकार प्रस्तुत विवरणों के अनुसार अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष कितने मूल्य की भेंट स्वीकार की जाती हैं; और

(ग) क्या लागू आदेश की, यदि कोई हो, एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३६**]

जर्मन छात्रवृत्तियां[11]

†*६५३. **श्री वाजपेयी :**
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष जब हमारे प्रधान मंत्री बॉन गये थे तो क्या संघीय गर्मन गणतन्त्र और अनेक अन्य जर्मन संगठनों ने बहुत सी छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया था ;

(ख) कितनी छात्रवृत्तियों का प्रस्ताव किया गया था और वे कितनी राशि की हैं ;

(ग) इन में से कितनी छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया गया; और

(घ) यदि इनमें से किसी एक का भी लाभ नहीं उठाया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**:(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३७**]

दिल्ली में साइकिल रिक्शा

*६५४. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० जून, १९५८ के पश्चात् दिल्ली में कोई साइकिल रिक्शा नहीं चलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :(क)तथा (ख). यह ध्यान में रखते हुए कि साइकिल रिक्शा चलाने की मेहनत मनुष्य के लिये अनुचित और हानिकारक है, दिल्ली नगरपालिका ने यह निश्चय किया है कि एक निश्चित तिथि के बाद सब साइकिल रिक्शा और उनके चलाने वालों के लाइसेंस रद्द कर दिये जायें । इसके लिये अभी तक कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Federal German Scholarships .

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†*६५५. **श्री सिदय्या :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७२ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) उन स्वयं सेवक संस्थाओं के नाम तथा प्रत्येक को वर्ष १९५६-५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा देश में अस्पृश्यता के निवारण के लिये मंजूर की गई राशि ;

(ख) राशि के व्यय किये जाने की विधि ; और

(ग) अभी तक उपलब्ध परिणाम ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३८]** ये राशियां केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा केवल ऐसी संस्थाओं और संगठनों को मंजूर की गई थीं जो मुख्यतः बोर्ड के पर्यालोकन में आने वाले कार्यों के क्षेत्र में हरिजनों के कल्याण के लिये कार्य कर रहे थे।

(ख) और (ग). आवश्यक जानकारी केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के टैक्सी ड्राइवरों द्वारा हड़ताल

†*६५४. **श्री श्रीनारायण दास:**
श्री तंगामणि :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९५७ में दिल्ली में १००० टैक्सियों की एक सप्ताह तक हड़ताल रही ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ; और

(ग) ये मांगें किस हद तक स्वीकार की गई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) १२९२ टैक्सियों ने ११ से १७ नवम्बर, १९५७ तक हड़ताल रखी।

(ख) और (ग) .एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३९]**

पंजाब विश्वविद्यालय भवन

†*६५८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय भवन के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से पहुंच की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

घाटे की अर्थ व्यवस्था[१२]

†*६६४. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भ से अभी तक की गई घाटे की अर्थ व्यवस्था की राशि कितनी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : १९५६–५७ में केन्द्रीय और राज्य-सरकारों द्वारा २३८ करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था की गई थी । चालू वर्ष की स्थिति का पता वर्ष के अन्त पर ही लग सकता है ।

अर्ध-सरकारी निकायों में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

†*६६५. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से तीन संगठन हैं जो इस समय सरकार की साम्प्रदायिक प्रतिनिधत्व सम्बन्धी हिदायतों का पालन नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) उनके साथ अभी तक की गई लिखापढ़ी का क्या परिणाम हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सम्बन्धित मंत्रालयों ने इन संगठनों को अनुसूचित जातियों और वन-जातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी विशेष आदेशों को कार्यान्वित करने की सलाह दी है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संध्याकालीन कक्षायें

†*६६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १७ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय (कैम्प) कॉलेज जांच समिति के प्रतिवेदन के परिणाम-स्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सन्ध्याकालीन कक्षायें प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) मामले पर सम्बन्धित पक्षों के साथ चर्चा की गई है और उसकी वित्तीय उपलक्षणाओं की जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१२]Deficit Financing.

पन्ना स्थित हीरे की खानें

†*६६७. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री रघुनाथ सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पन्ना स्थित हीरे की खानों के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई कानून बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ;

(ग) क्या खानों का कार्य चलाने के लिये एक स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने का कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो निगम के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आशा है यथाशीघ्र ही ।

(ग) और (घ). इस प्रयोजन के लिये संभवत: एक स्वायत्तशासी परिनियत निगम अथवा एक सरकारी स्वामित्व की प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी स्थापित करना आवश्यक होगा । अन्तिम निर्णय तब किया जायेगा जब मामले की पूरी तरह से जांच कर ली जायेगी और आवश्यक वित्तीय संसाधनों और विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने की पक्की व्यवस्था हो जायेगी ।

उत्कल विश्वविद्यालय

†*६६८. **श्री संगण्णा :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ३० अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल विश्वविद्यालय के विकास सम्बन्धी प्रस्तावों पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या परिणाम निकले ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४०**]

मूल अंग्रेजी में

अस्पृश्यता

†*६६९. **श्री सिदय्या :** क्या गृह-कार्य मंत्री ९ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०३ के उत्तर में रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, पश्चिमी बंगाल, भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्यों और दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में किस प्रकार के प्रविधिक और प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की कमी थी जिसके कारण अस्पृश्यता निवारण के लिये मंजूर की गई बड़ी राशियां व्यय नहीं की जा सकीं ;

(ख) इसके उपचार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों की वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ की योजनायें अन्तिम रूप से कब तैयार हुई थीं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) और (ख). आवश्यक जानकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें १९५६–५७ और १९५७–५८ में राज्य-सरकारों से अन्तिम रूप में तैयार योजनाओं की प्राप्ति की तारीखें दी गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४१]**

झूमियों का पुनर्वास

†८४२. **श्री दशरथ देब :** क्या गृह-कार्य मंत्री २५ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे आदिवासी झूमियों से कुल कितनी याचिकायें प्राप्त हुई हैं जो त्रिपुरा के प्रत्येक डिवीजन में पुनर्वास के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ याचिकायें ३ या ४ वर्ष पुरानी हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों की, विशेषकर सर्वेक्षण कार्य और अनुसन्धान के अन्य प्रारम्भिक कार्य के लिये कर्मचारियों की, कमी के कारण पुनर्वास कार्य धीमा कर दिया गया है ; और

(घ) पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४२]**

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

झूमियों की बस्तियां

†८४३. **श्री दशरथ देब :** क्या गृह-कार्य मंत्री २५ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के प्रत्येक डिवीजन के किन किन गांवों में सरकार झूमियों की बस्तियां स्थापित करना चाहती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन स्थानों के चुने जाने का आधार क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** :(क) एक विवरण जिसमें आवश्यक जानकारी दी गई है लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४३**]

(ख) इन स्थानों के चुने जाने का आधार निम्नलिखित है :

(१) आदिवासी लोगों का वहां इकट्ठा रहना ; और

(२) उस क्षेत्र में 'खास' भूमि का उपलब्ध होना ।

त्रिपुरा में मकान-भाड़ा

†८४५. **श्री दशरथ देब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में मकान भाड़े का नियंत्रण करने के लिये कोई कानून लागू है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

त्रिपुरा में अध्यापकों की गोष्ठियां

†८४६. **श्री दशरथ देब**: क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में त्रिपुरा में अध्यापकों की कितनी गोष्ठियां हुई ;

(ख) इन गोष्ठियों पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) इन गोष्ठियों की सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) क्या इनमें से कोई सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४४**] ।

त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक

†८४७. **श्री दशरथ देब** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में और उसके बाद त्रिपुरा के विभिन्न प्रशासकीय दफ्तरों में प्रतिनियुक्ति पर रखे गये प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या ऐसा करने से प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक वर्ग की संख्या कम पड़ जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

(१) १९५६–५७ . . . ४५
(२) बाद में . . . ४०

(ख) इस समय तो ऐसा करने से प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक वर्ग की संख्या में कोई विशेष कमी नहीं पड़ती है ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

कपड़ा उद्योग से आय

†८४८. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें (१) वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में कपड़ा उद्योग से आय कर और निगम कर के द्वारा वसूल की गई राशि और (२) अनिवार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक भारतीय संघ की वस्त्र उद्योग की इकाइयों द्वारा भारत के रक्षित बैंक में किये गये निक्षेपों की राशि दी गई हो ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (१) समस्त वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में वर्ष १९५६–५७ के कर की वसूलियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और उस जानकारी के एकत्र करने में भारत के प्रत्येक आयकर अधिकारी को निर्देश करना पड़ेगा । जिसमें बहुत परिश्रम करना होगा । परन्तु वस्त्र उद्योग (सूती, जूट, ऊनी, रेशमी, और रेयन उत्पाद, पहनने के वस्त्रों को सम्मिलित करते हुए) से वित्तीय वर्ष १९५६–५७ में आयकर और अधिकर की २६·०८ करोड़ रुपये की मांग की गई थी । (२) भारत की वस्त्र उद्योग की इकाइयों द्वारा अनिवार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक भारत के रक्षित बैंक में किये गये निक्षेपों की कुल राशि एकत्रित की जा रही है और एक विवरण यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दिया जायेगा । परन्तु यह बता दिया जाये कि इस योजना के अन्तर्गत समस्त निर्धार्यों के सम्बन्ध में अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक निक्षेपों की कुल राशि २.९६ करोड़ रुपये थी ।

पुस्तकालय आन्दोलन

†८४९. **श्री मं० वें० कृष्ण राव** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को राज्य में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये १९५०–५१ से १९५७–५८ तक की अवधि में दिये गये अनुदानों की राशि कितनी है ; और

(ख) उपरोक्त सहायता से उसी अवधि में वहां कितने पुस्तकालय खोले गये ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९५३ से, जबकि राज्य का जन्म हुआ था, १९५७–५८ तक ३,१७,५८५ रुपये ।

(ख) एक केन्द्रीय पुस्तकालय । ११ वर्तमान जिला पुस्तकालयों का विकास भी किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार में सम्पदा शुल्क सम्बन्धी मामले

†८५०. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में वर्ष १९५६–५७ में सम्पदा शुल्क सम्बन्धी कितने मामलों का पंजीयन किया गया ;

(ख) उसी अवधि में कितने मामलों का निबटारा किया गया ; और

(ग) उस वर्ष में कुल कितना सम्पदा शुल्क-वसूल किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) २९२।

(ख) २४८ ।

(ग) १,५५,००० रुपये ।

पुनर्नवीकरण प्रव्याजि[13]

†८५१. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ सितम्बर, १९५६ से ३० सितम्बर, १९५७ के बीच ओरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी, हिन्दुस्तान इंश्योरेंस कम्पनी, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी से (जोन-वार) पुरानी जीवन बीमा पालिसियों पर प्रव्याजि के पुनर्नवीकरण की कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४५]**

युद्ध सामग्री कारखानों में दुर्घटनायें

†८५२. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध-सामग्री कारखानों में वर्ष १९५५–५६ और १९५६–५७ में हुई बड़ी और छोटी दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है जिनमें कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ख) दुर्घटना-ग्रस्त कर्मचारियों को कितना प्रतिकर भुगतान किया गया ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) वर्ष १९५५/५६ और १९५६/५७ में युद्ध सामग्री कारखानों में हुई ऐसी बड़ी और छोटी दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है जिनमें कर्मचारी अर्न्तग्रस्त हैं :—

वर्ष	बड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	छोटी दुर्घटनाओं की संख्या
१९५५/५६ . . .	२२०७	१०२९६
१९५६/५७	१८६८	१०४७५

†मूल अंग्रेजी में

[13]Renewal Premiums.

(ख) इन दो वर्षों में दुर्घटना-ग्रस्त कर्मचारियों को भुगतान किये गये प्रतिकर की राशि नीचे दी गई है :—

१९५५/५६ . . .	३५,३८२	रुपये
१९५६/५७ . . .	२१,६२५	रुपये
		(अस्थायी)

केन्द्रीय उंगली चिह्न विभाग

८५३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उंगली चिन्ह विभाग में आधुनिक प्रणाली पर शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं अन्य देशों की प्रणालियों से सहायता ली गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

हिन्दी प्रबोध और प्रवीण परीक्षायें

८५४. **श्री रामजीवर्मा** : क्या **शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय द्वारा चलाई हुई हिन्दी प्रबोध और हिन्दी प्रवीण की परीक्षाओं में से कौनसी परीक्षा राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा, की कोविद परीक्षा के बराबर है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये चालू की गई हिन्दी प्रबोध तथा हिन्दी प्रवीण परीक्षाओं को किसी दूसरी परीक्षा के बराबर नहीं बनाया गया है ।

स्वातंत्र्य संग्राम के स्मारक

८५५. **श्री हेडा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १८५७ के स्वातंत्र्य संग्राम से सम्बद्ध स्थानों पर स्मारक, भवन, पार्क या स्कूल बनाने के लिये क्या निश्चय किया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई योजनायें बनाई गई हैं ; और

(ग) क्या ऐसे स्थानों की कोई सूची तैयार की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क), (ख) तथा (ग). १८५७ से १९४७ तक स्वातन्त्र्य संग्राम के शहीदों की स्मृति में अखिल भारतीय स्मारक दिल्ली में बनाने के अलावा अन्य सम्बद्ध स्थानों पर स्मारक, पार्क या स्कूल आदि बनाने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। योजना बनाना या स्थानों की सूची बनानां और आगे की कार्यवाही राज्य सरकारें स्वयं करेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय पंचांग

८५६. **श्री हेडा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में राष्ट्रीय पंचांग का प्रचलन किया है ; और

(ख) किन-किन राज्यों ने अपने पंचांग भी प्रकाशित किये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों ने अपने कुछ सिविल और सरकारी कार्यों के लिए ग्रिगोरियन क्लेण्डर के साथ साथ राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया है :—

आन्ध्र
बिहार
बम्बई
मद्रास
राजस्थान
उत्तर प्रदेश

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

केन्द्रीय मूल्यांकन संगठन

८५७. **श्री राधा रमण**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्य में अधिकतम सफलता प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस संगठन के पदाधिकारी किस आधार पर चुने गये हैं ; और

(ग) इस संगठन पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय मूल्यांकन संगठन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये १६ असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, इनमें वर्तमान सात रीजनल असिस्टेंट कमिश्नरों के पद भी शामिल हैं । चार नई नियुक्तियां कर ली गई हैं, जो राज्यों के अधिकारियों के डेपूटेशन द्वारा, जो इन पदों पर भर्ती करने के लिये मंजूर की हुई रीति है, और अन्य दो योग्य गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा । इन गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति अस्थायी तौर पर केवल एक वर्ष के लिये की गई है ।

(ग) ९ असिस्टेंट कमिश्नरों के अतिरिक्त कर्मचारियों पर लगभग २ लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च होंगे ।

हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता देना

८५८. **श्री चांडक** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा ली जाने वाली कोविद परीक्षा के अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं को मान्यता देने के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): २३ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १११४ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए विवरण की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है । उसमें जिस मान्यता समिति की चर्चा की गयी थी वह बनायी जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मानचित्र प्रकाशन निदेशालय

†८५९. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री सरजू पांडे :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानचित्र प्रकाशन निदेशालय के निदेशक के अधीन श्रेणी १, २, ३ और ४ के कितने स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(क)

श्रेणी १	७
श्रेणी २	१०
श्रेणी ३	२७२
श्रेणी ४	७९

(ख) ६७६ ।

२५० रुपये से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी

†८६०. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री सरजू पांडे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में २५० रुपये और इस से अधिक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) २५० रुपये से कम वेतन पाने वालों की संख्या क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सांख्यकी संगठन ने ३० जून १९५५ को जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अन्तिम गणना की थी उसके अनुसार २५० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या ३९,१०४ थी और २५० रुपये तक वेतन पाने वालों की संख्या १५, ८०,२४३ थी । बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं ।

इन आंकड़ों में सशस्त्र सेना के कर्मचारी, काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारी (वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट), आनुषंगिक आय-व्ययक में से वेतन पाने वाले कर्मचारी, और विदेश के भारतीय कार्यालयों में नियुक्त किये गये स्थानीय कर्मचारी नहीं लिये गये ।

यदि २५० रुपये की जिस सीमा का उल्लेख किया गया है उसमें वेतन महंगाई भत्ता और प्रतिकर भत्ता भी शामिल हैं तो खेद है कि इस आधार पर सरकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है । ऐसी जानकारी एकत्र करने में इतना अधिक श्रम और समय लगेगा कि वह प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में अनुचित होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा

†८६१. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक इंजीनियरिंग सेवा ने वर्ष १९५५–५६ और १९५६–५७ में विभाग की ओर से और ठेकेदारों द्वारा कितने मूल्य का काम किया है।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या १४६**]

युद्ध-सामग्री कारखानों म औद्योगिक कर्मचारी

†८६२. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री सरजू पांड :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च प्रवीण कर्मचारियों के वेतन क्रम (१३५—१८५ रुपये) पाने वाले ठीक कितने औद्योगिक कर्मचारी युद्ध-सामग्री कारखानों में काम करते हैं ;

(ख) क्या और कर्मचारियों की पदोन्नति इस वेतन क्रम पर की जा रही है ; और

(ग) यदि हां तो उनकी लगभग संख्या क्या है।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघरामैया)** : (क) ३०–९–५७ को एक सौ।

(ख) इस वेतन क्रम में और नौकरियां बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इस समय अनमित संख्या बताना सम्भव नहीं।

अनुसूचित जातियों क उम्मीदवार

†८६४. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-काय** मंत्री अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा गत पांच वर्षों में श्रेणी १ तथा २ के रक्षित पदों के लिये की गई मौखिक परीक्षा के बारे में ९ सितम्बर १९५७ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या जानकारी अब उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

†**गृह-काय मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :(क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४७**]

---

†**मल अंग्रेजी में**

अनुसूचित जातियों के लिय रक्षित स्थान

†८६५. **श्री सिदय्या :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री । गह-कार्य मंत्रालय में १९५६-५७ के लिए अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित किये गये पदों के बारे में ९ सितम्बर १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी अब उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४८**] ।

पंजाब में पुस्तकालयों और प्रयोग शालाओं के लिये वित्तीय सहायता

†८६६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के सुधार तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के हेतु वित्तीय सहायता मांगी ह; और

(ख) अब तक कितनी राशि की मांग की गई है और प्रत्येक कार्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४९**]

दिल्ली में बिना लाइसेंस के वेश्यालय

†८६७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री चांडक :
श्री रा० स० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में बिना लाइसेंस के वेश्यालयों की संख्या बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिये सरकार अथवा सहायता प्राप्त अभिकरणों ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†**मल अंग्रेजी में**

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) तथा (ख). दिल्ली और नई दिल्ली में वेश्यालयों अथवा वेश्यावृत्ति के लिए लाइसेंस जारी करने अथवा अनुमति देने की प्रथा नहीं है। दिल्ली नगर-पालिका के सिवाए निम्नलिखित क्षेत्रों के अपने क्षेत्राधीन सारे क्षेत्र को वेश्यावृत्ति अथवा वेश्यालय चलाने के लिए निषिद्ध घोषित कर रखा है :

(१) जी० बी० रोड

(२) टांडा निरीनिया

(३) झंडेवालान रोड।

क्योंकि दिल्ली और नई दिल्ली में वेश्यालयों की संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वेश्यालयों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इस समय दिल्ली प्रशासन पर लागू होने वाले बंगाल अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के उपबन्धों और पंजाब नगर-पालिका अधिनियम की धारा १५२ के अधीन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

पुस्तकाध्यक्षों का प्रशिक्षण

†८६८. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ४ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७७ (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्था स्थापित करने की प्रस्थापना तैयार हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके अध्यापक, प्रबन्ध, प्रशासन और वित्त व्यवस्था की रूपरेखा क्या है; और

(ग) प्रशिक्षार्थियों के लिए क्या अर्हताएं विहित की गई हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं श्रीमान् इस पर अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी पथ-प्रदर्शन

†८६९. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी पथ-प्रदर्शन सेवा आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान देने की योजना से कितना लाभ उठाया है ;

(ख) विभिन्न राज्यों ने इस प्रयोजन के लिए क्या संगठन और अभिकरण स्थापित किये हैं और उन्होंने किस स्तर पर काम करना आरम्भ किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस सेवा को माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लागू करने में कितना समय लगेगा ; और

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) से (घ) . एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५०]**

पंजाब में बहु-प्रयोजनीय स्कूल

†८७०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बहु प्रयोजनीय स्कूल आरम्भ करने के लिए पंजाब सरकार को वर्षानुसार कुल कितनी राशि अनुदान स्वरूप नियत की गई है ;

(ख) द्वितीय योजना काल में अब तक वर्षानुसार कितनी अनुदान राशि वस्तुतः मंजूर की गई है ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब में कितने बहुप्रयोजनीय स्कूल अब तक आरम्भ किये गये हैं अथवा कितने आरम्भ करने का विचार है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क)

		लाख रुपये
	१९५६–५७	४०,५६५
	१९५७–५८	१४,४४८
	१९५८–५९	१९,५६०
	१९५९–६०	३९,१८०
	१९६०–६१	५८,९६८
(ख)	१९५६–५७	२०,२८,२५०
	१९५७–५८	शून्य

(ग) अभी तक कोई बहुप्रयोजनीय स्कूल आरम्भ नहीं किया गया । यह योजना १९५८–५९ से लागू करने का विचार है । १९५८––६१ में कितने स्कूलों को ऐसे स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा, इसका पता नहीं ।

राष्ट्रीय ुस्तक न्यास

†८७१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री १३ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास स्थापित करने तथा उस के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के वेतन

†८७२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री निम्नलिखित दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की वेतन वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय सरकार की योजना के अधीन, किन किन राज्यों ने अब तक १९५७-५८ के लिए प्रस्थापनाएं भेजी हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५२**]

तीन वर्ष डिग्री पाठ्य-क्रम सम्बन्धी प्राक्कलन समिति

†८७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्री चिंतामणि द्वाराकानाथ की अध्यक्षता में तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्राक्कलनन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालिजों में शिक्षा सुधार के लिये अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) अब तक किन किन तथा कितने कालेजों को ऐसे अनुदान दिये गये हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है ।

पंजाब में स्मारकों का संरक्षण

†८७४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वर्ष १९५७-५८ के लिये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के सम्बन्ध में कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) क्या प्रत्येक स्मारक के संरक्षण के लिये अलग अलग राशि नियत की गयी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) ५५,९०४ रुपये ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

---

†मल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक असैनिक सेवा

†८७५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १३ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३० के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक असैनिक सेवा बनाने के लिये योजना तैयार की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व सैनिकों को काम पर लगाना

८७७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ३१ जुलाई, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस बीच और कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी पर लगाया गया है;

(ख) कितने भूतपूर्व सैनिक अब भी बेकार हैं; और

(ग) उन्हें रोजगार दिलाने के कार्य में तेजी लाने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) एक विवरण जिसमें प्रत्येक राज्य के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या दी गई है, जिन्हें अप्रैल १९५६ से अगस्त १९५७ तक नौकरियां दिलाई गईं, संलग्न है। सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५३]**

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों की ठीक ठीक संख्या बताना संभव नहीं जो अब तक नौकरियों पर नहीं लगाये गये । तथापि नौकरी की सहायता के लिये नौकरी दिलाने वाली संस्था के चालू रजिस्टर में २३,३०४ भूतपूर्व सैनिकों के नाम हैं ।

(ग) ३१ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०९ के भाग (क) के उत्तर में बताये गये तरीकों के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां दिलाने में दूसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप भिन्न क्षेत्रों में नौकरियां निकलने के अवसरों से लाभ उठाने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इस काम के लिये नियुक्त की गई संस्था भारत सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों समेत भिन्न नौकरियों पर लगाने वाली संस्थाओं से सम्बन्ध बनाये रखती हैं, और उन की आवश्यकताओं के आंकड़े ले कर आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार करने पर राजी करती है। अधिक आसानी से नौकरी पाने को समर्थ बनाने के लिये उन्हें तकनीकी और व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाता है, उदाहरणतः उपयुक्त भूतपर्व सैनिकों को चीनी के कारखानों में लगाने के लिये उन्हें हाल ही में इन-प्लांट प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

भौगोलिक नाम

८७८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गह-कार्य** मंत्री २९ नवम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच और किन किन भौगोलिक नामों में संशोधन किया गया है;

(ख) अगस्त १९५३ से, जब कि इस नई प्रणाली को अपनाया गया था, अब तक कुल कितने भौगोलिक नामों में संशोधन या परिवर्तन किया जा चुका है; और

(ग) शेष ऐसे नामों का संशोधन या परिवर्तन शीघ्र से शीघ्र सम्पन्न करने के उद्देश्य से और कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) १११ ।

(ग) इस विषय में सामान्य नियम और प्रक्रिया बना दी गई है । जब प्रस्ताव नियम के अनुकूल होता है तो उस पर यथा संभव शीघ्र ही निर्णय किया जाता है ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारियों की पद-च्युति

†८७९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थायी असैनिक नियुक्तियों पर ग्रहणाधिकार[14] रखने वाले लोगों को असैनिक सेवा से पद्च्युत करने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय किस प्रक्रिया का पालन करता है; और

(ख) इस प्रक्रिया का पालन कब से हो रहा है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री राघुरामैया)** : (क) सशस्त्र सेनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों, को, चाहे स्थायी असैनिक नियुक्ति का ग्रहणाधिकार उन्हें प्राप्त हो अथवा नहीं, सेना अधिनियम/वायु सेना अधिनियम/नौ सेना अनुशासन अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत नियमों के अधीन पदच्युत किया जाता है । यदि कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसे स्थायी असैनिक नियुक्ति का हणाधिकार प्राप्त हो, और जो सेना/वायुसेना में नियुक्त हो, किसी कारण पदच्युत किया जाये, तो वह पदच्युति स्वत: ही स्थायी असैनिक नियुक्ति से भी पदच्युति नहीं होती । उसे असैनिक सेवा में भेज दिया जाता है और सक्षम असैनिक प्राधिकारी मामले के गुण दोषों के आधार पर, और कर्मचारी को इस सुनवाई का अवसर दे कर कि उसे क्यों उसके ग्रहणाधिकार के असैनिक पद पर रखा जाये अथवा न रखा जाये, पदच्युति का निर्णय करता है । नौसैना के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही प्रक्रिया है; परन्तु यह अपवाद है कि यदि असैनिक नियुक्ति पर ग्रहणाधिकार रखने वाला व्यक्ति अपमानित कर के नौसैना से पदच्युत किया जाय तो उसे अपने असैनिक पद पर जाने का अधिकार नहीं रहता ।

(ख) उपरोक्त प्रक्रिया सेना और वायु सेना में १९५६ से और नौसैना में १९३४ से लागू है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[14] Sien

अफगानिस्तान के ऐतिहासिक भग्नावशेष

८८०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार का अफगानिस्तान के ऐतिहासिक भग्नावशेषों में बिखरी हुई भारतीय इतिहास सम्बन्धी सामग्री का, जिससे भारतीय इतिहास तथा सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है, उसे संग्रहीत करने तथा लेखबद्ध करने के उद्देश्य से, अध्ययन करने और उसके बारे में गवेषणा करने के लिये कोई दल संगठित करने का विचार है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : फिलहाल ऐसा कोई दल संगठित करने का विचार नहीं है ।

नागाओं द्वारा धावे और गोली कांड

†८८१. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के केन्द्रीय प्रशासन के सम्बन्ध में नागाओं की मांग मान लेने पर भी नागा विद्रोहियों द्वारा धावे और गोली कांड हो रहे हैं;

(ख) नागा पहाड़ी क्षेत्र प्रशासन के मामले के निबटारे के पश्चात् नागा विद्रोहियों ने कितने धावे और गोली कांड किये हैं; और

(ग) ये कांड किन परिस्थितियों में हुए ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) यह सच है कि धावे और गोली कांड अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए ।

(ख) २५ सितम्बर, १९५७ से १० नवम्बर, १९५७ तक २५ घटनाओं की सूचना मिली है ।

(ग) इन में अधिकतर घटनाओं में सरकारी रक्षा दलों व चौकियों पर दूर से विफल गोली चलाई गई । कुछ घटनाएं सशस्त्र डकैतियों की हुई हैं ।

भूतपूर्व राजाओं को मलिखाना[15]

†८८२. **श्री मणियंगाडन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दर्दनाद के भूतपूर्व राजा के परिवार को मलिखाना मंजूर किया था और क्या वह अब भी दिया जा रहा है;

(ख) नवम्बर, १९४८ से अक्तूबर १९५७ तक कुल कितनी राशि दी गई; और

(ग) क्या अक्तूबर, १९४८ में चेम्बरोल परिवार के कुछ सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार से कहा कि जब तक पूरी तरह छानबीन न करली जाये तब तक के मलिखाना का भुगतान रोक रखा जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[15] 'Malikhana' to Exrulers

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी हां । भारत सरकार ने मलिखाना का भुगतान रोकना उचित नहीं समझा । अतः जिन व्यक्तियों ने अभ्यावेदन भेजा था उन्हें कह दिया गया कि इस का निर्णय वे न्यायालय से करायें । हमें सूचना मिली है कि केरल राज्य के एक न्यायालय में इस बारे में एक दीवानी मुकद्दमा विचाराधीन है ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में विदेशी विशेषज्ञ

†८८३. **श्री वारियर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो :

(क) भारत की प्रतिरक्षा सेवाओं में इस समय काम कर रहे विदेशी विशेषज्ञ किन-किन राष्ट्रों में हैं और उन्हें क्या काम सौंपा गया है;

(ख) उन विशेषज्ञों की संख्या क्या है जो भारत में नौकरी समाप्त होने के पश्चात् पाकिस्तान चले गये; और

(ग) उन विदेशी विशेषज्ञों के नामों की एक सूची जो प्रतिरक्षा सेवाओं में नौकरी खत्म हो जाने पर अभी भारत में ही हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग) . एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५५]**

नौसेना के पदाधिकारी

†८८४. **श्री वारियर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौ सेना में प्रत्येक वर्ष औसतन कितने पदाधिकारी लिये जाते हैं; और

(ख) प्रत्येक वर्ष निम्न पदों में से उन्नति कर के कितने पदाधिकारी बनाये जाते हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) ६१ ।

(ख) १२$^{१}/_{२}$ प्रतिशत ।

अनुसूचित क्षेत्र

†८८५. **श्री संगण्णा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में ३० अगस्त १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यपालों ने अपने प्रतिवेदन भेज दिये हैं;

(ख) यदि हां तो क्या उन के प्रतिवेदनों में आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक सुधार के बारे में कोई नये सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) वे नये सुझाव क्या हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) उस के पश्चात् केवल उड़ीसा और पंजाब के राज्यपालों ने प्रतिवेदन भेजे हैं ।

(ख) उनमें नये सुझाव नहीं हैं । मुख्यतः उन में यह बताया गया है कि आदिवासियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिये वर्ष के दौरान में क्या कुछ किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश के राजनैतिक पीड़ित

८८६. **श्री पद्म देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के राजनैतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में राजनैतिक पीड़ित समिति के निर्णयों को लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन्हें कार्यान्वित करने में सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). देरी का मुख्य कारण यह है कि ४/५ मई १९५७ की रात को हिमाचल प्रदेश प्रशासन के सचिवालय में आग लग गई थी । उस समय राजनैतिक पीड़ित समिति की सिफारिशों पर काफी हद तक विचार हो चुका था किन्तु दुर्भाग्यवश सम्बन्धित कागजात आग में जल गये। हिमाचल प्रदेश प्रशासन जहां तक संभव हो, दुबारा फाइल बनाने के लिये कड़ी कार्यवाही कर रहा है और राजनैतिक पीड़ितों का विवरण जिला अधिकारियों द्वारा पुनः प्राप्त किया जा रहा है। उन्हें आशा है कि इन मामलों पर अन्तिम निर्णय शीघ्र हो जायेगा ।

गांजा के बागान

†८८७. **श्री ले० अबो० सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ के दौरान में मनीपुर के गांजा बागान से कुल कितना आबकारी राजस्व प्राप्त किया गया; और

(ख) इन वर्षों में कितने पौधे लगाने का अभ्यंश स्वीकृत किया गया था ?

†वित्त मंत्री (श्री टि० ट० कृष्णमाचारी) : (क)

		रुपये
	१९५४–५५	१६,८४१
	१९५५–५६	२३,२८६
	१९५६–५७	३२,९२८
		पौधे
(ख)	१९५४–५५	१,०००
	१९५५–५६	१३,०००
	१९५६–५७	१२,०००

गांजा का उत्पादन

†८८८. **श्री ले० अबो० सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष में एक पौधे से औसतन कितना गांजा प्राप्त होता है;

(ख) मनीपुर में आबकारी विभाग ने वास्तव में प्रति पौधा कितना गांजा खरीदा था; और

(ग) मनीपुर में प्रत्येक बागान मालिक को अधिक से अधिक कितने पौधे लगाने की स्वीकृति दी गई थी ?

†वित्त मंत्री (श्री टि० ट० कृष्णमाचारी) : (क) १९५५–५६ और १९५६–५७ में एक पाव प्रति पौधा और १९५७–५८ में अनुमानतः आध सेर प्रति पौधा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १६५५–५६ में ४.२१ छटांक प्रति पौधा, १६५६–५७ में ५.०८ छटांक प्रति पौधा। १६५७–५८ में अभी तक संग्रह नहीं किया गया है।

(ग) व्यक्तिगत बागान मालिक के लिये कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं थी। अपेक्षित संख्या में पौधे लगाने के लिये लाइसेंस टेंडर द्वारा बेचे जाते हैं।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†८८६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई पाकिस्तानी राष्ट्रजन पारपत्र ले कर भारत आते हैं और स्वीकृत अवधि से एक आध वर्ष अधिक रह कर लापता हो जाते हैं;

(ख) क्या उन विदेशी राष्ट्रजनों का कोई रिकार्ड रखा जाता है जो पारपत्र ले कर भारत आते हैं;

(ग) यदि हां तो उन्हें स्वीकृत अवधि से अधिक यहां क्यों रहने दिया जाता है; और

(घ) गत वर्ष कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन स्वीकृत अवधि से ३ मास ज्यादा समय तक भारत में रहे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सैलम के खनिज पदार्थ

†८६०. **श्री नरसिंहन्** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला सैलम में बाक्साइट, लोहे, क्रोमाइट, चूने, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कंकर तथा अन्य खनिज पदार्थों के विदोहन के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) इन में से किस किस का विदोहन राज्य-उपक्रमों द्वारा कराया जायेगा; और

(ग) इन में से किस-किस को गैर-सरकारी क्षेत्र में रहने दिया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). लौह-अयस्क, मैग्नेसाइट और क्रोमाइट के अतिरिक्त उक्त खनिज पदार्थों में से किसी के विदोहन के लिये सिवाये इस के कि जो गैर-सरकारी उपक्रम आवेदन पत्र दें उन्हें रियायतें दे दी जायें और कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है। लौह-अयस्क और क्रोमाइट जो कि औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची 'क' में रखे गये हैं के बारे में यह पता लगाने के लिये कार्यवाही की जा रही है कि क्या जिला सैलम में निक्षेप इतने अधिक हैं कि उन का बड़े पैमाने पर विदोहन किया जाये। यदि ऐसा हुआ तो उन का विदोहन स्वयं राज्य करेगा यदि नहीं तो वह गैर-सरकारी उपक्रमों को दे दिया जायेगा। मैग्नेसाइट के राज्य द्वारा विदोहन की प्रस्थापना पर मद्रास सरकार विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछड़े वर्गों के लिये छात्रावास

८९१. **श्री ह० च० शर्मा** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के हित के लिये दी गई सहायता से देश में कुल कितने छात्रावास बनाये गये;

(ख) उनमें से कितने राजस्थान में बनाये गये और उन पर कितना व्यय हुआ;

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने छात्रावासों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी, किन्तु उन्हें उस काल में पूरा नहीं किया जा सका; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (घ). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गाड़िया लोहारों का कल्याण

८९२. **श्री ह० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राजस्थान को दी गई धन-राशि में से कितनी राशि गाड़िया लोहार नामक अनुसूचित आदिम जाति के कल्याण पर खर्च की गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये राजस्थान सरकार को सहायता के अतिरिक्त कोई ऋण भी दिया है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) १९५६–५७ में २.०१ लाख रुपये की रकम गाड़िया लोहारों की कल्याण योजनाओं पर खर्च की गई थी। १९५७–५८ में अब तक के खर्च के आंकड़े राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छात्रवृत्तियां

†८९३. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश में कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी थीं;

(ख) उपरोक्त दो वर्ष में से प्रत्येक में उस प्रदेश में इस मद् के अधीन कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) क्या छात्रवृत्तियों के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५६]

राजनैतिक पीड़ित

†८९४. श्री स० चं० सामन्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९५५ और १९५६ में राजनैतिक पीड़ितों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त करने अथवा पुनर्नियुक्त करने के विषय में कोई रियायतें दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ये रियायतें दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार उनकी एक सूची सभा-पटल पर रखेगी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५७]

जिरातियां भूमि पर अधिकार

†८९५. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सोनामुक्त डिवीजन के जिरातिया कृषकों की भूमि खरीदने वालों को भूमि का पंजीयन हो जाने के बाद भी मालीकाना अधिकार प्राप्त नहीं होते;

(ख) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में जिरातिया कृषकों की भूमि खरीदने वालों को भी त्रिपुरा प्रशासन के पास अपनी फसल को उसी दर से और उसी तरीके से बेचने के लिये कहा जा रहा है जिस से कि त्रिपुरा के जिरातिया कृषक बेचते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि जिरातिया लोगों की भूमि को खरीदने वालों को मालिकाना अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाती; और

(घ) खरीदारों के मालिकाना अधिकारों को विनियमित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं, उस विक्रय के हस्तांतरण को जो त्रिपुरा में लागू जमींदार तथा कृषक विधि की धारा १२ के अनुसार किया गया हो और जो अधिनियम की धारा ११ के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया हो उसे विधि द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) जी नहीं; न तो जिरातिया कृषकों और न ही खरीदारों से कहा जाता है कि वे फसल बेचें बल्कि त्रिपुरा प्रशासन फालतू उपज बेचने में जिरातिया कृषकों की सहायता करता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

खमरिया में कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी की मत्यु

†८९६. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री हेम राज :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खमरिया युद्ध सामग्री कारखाने में नियुक्त प्रतिरक्षा मंत्रालय में सुरक्षा दल का एक कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी (जूनियर कमीशन्ड आफिसर) ९/१० सितम्बर, १९५७ की रात को कत्ल किया हुआ पाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई; और

(ग) जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) अभी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारी

†८९७. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध सामग्री कारखानों समेत प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कुल कितने असैनिक कर्मचारी हैं;

(ख) उनमें से कुल कितने स्थायी और अर्द्ध-स्थायी बनाये गये हैं; और

(ग) क्या गत तीन वर्ष में उनकी संख्या बढ़ी है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) २,५३,८७५।

(ख) ५३,८२४ को स्थायी और ३४,५१७ को अर्द्ध-स्थायी बनाया गया है।

(ग) जी हां।

पंजाब में जनता कालेज

†८९८. सरदार इकबाल सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में अब तक कितने जनता कालेज खोले गये हैं ;

(ख) ये किन-किन स्थानों पर हैं; और

(ग) इन संस्थाओं से कितने छात्रों ने लाभ उठाया है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) एक।

(ख) दुजाना, जिला रोहतक में।

(ग) १९५६-५७ तक ९८ ने।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में स्मारक

†८९९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ से १९५७–५८ (अब तक) तक पंजाब राज्य में राष्ट्रीय महत्व के किन किन स्मारकों की मरम्मत कराई गई; और

(ख) उक्त अवधि में यह मरम्मत का काम करने पर कितना खर्च किया गया ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). उन स्मारकों के नाम जहां १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ में जितनी मरम्मत की गई और इस अवधि में उन पर कितनी राशि खर्च को गई यह बस जानकारी १८–११–५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५९ के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में विवरण संख्या २ में दी जा चुकी है। १९५७–५८ के लिये अक्तूबर, १९५७ की समाप्ति तक की जानकारी एक विवरण में दी गई है जो कि सभा–पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५८]**

संयुक्त स्कंध समवाय

†९००. **श्री वें० प० नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "सचिवों तथा कोषाध्यक्षों" और लोक समिति प्रबन्ध अभिकरणों की तुलना में निजी सीमित प्रबन्ध अभिकरणों द्वारा मंत्रि प्रबन्ध किये जाने वाले संयुक्त संकल्प समवायों की कुल आस्तियां कितनी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मांगी गई जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिक

†९०१. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं;

(ख) अब तक त्रिपुरा में अथवा त्रिपुरा से बाहर उनमें से कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी गई हैं; और

(ग) उनमें से कितनों को फिर से बसाया जा चुका है और शेष के फिर से बसाये जाने की कब तक सम्भावना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) ५,६१८

(ख) ६१८

(ग) ऊपर के भाग (ख) में उल्लिखित संख्या के अतिरिक्त एक भूतपूर्व सैनिक को खेती के लिये भूमि दे दी गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र में फिर से बसाये गये भूतपूर्व सैनिकों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। त्रिपुरा प्रशासन कई एक योजनाओं पर विचार कर रहा है जिन से १४०० भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की सम्भावना हो जायेगी। ज्यादा से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु यह कहना सम्भव नहीं कि उन सब लोगों का पुनर्वास कब होगा जिन्हें पुनर्वास में सहायता की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डुडकंडी हवाई अड्डा

†९०२. श्री सुबोध हासदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पश्चिमी बंगाल में डुडकंडी हवाई अड्डे की मरम्मत कराने का है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने उक्त हवाई अड्डे के आसपास के गांवों में रहने वालों को वहां से कहीं और चले जाने के लिये नोटिस दे दिये हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी नहीं ।

युद्ध-कुक्कर प्रशिक्षण केन्द्र[16]

†९०३. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध-कुक्कुर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). प्रयोगात्मक रूप में तीन कुत्ते और उनके साथ एक कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी (जूनियर कमीशन्ड आफिसर) तथा तीन सैनिकों की सहायता से इस दिशा में श्रीगणेश किया गया है ।

भूतपूर्व देशी राज्यों की सेनाओं के पदाधिकारी

९०४. श्री खादीवाला :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व देशी राज्यों की सेनाओं के एकीकरण के समय उन के कुछ पदाधिकारियों को सेवा-काल की समाप्ती से पूर्व ही सेवा-निवृत कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है और वे किन-किन राज्यों के हैं;

(ग) क्या इन पदाधिकारियों को उन की सेवा की शर्तों के अनुसार प्रतिकर अथवा निवृत्ति-वेतन दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो किस क्रम से; और

(ङ) क्या यह सच है कि भूतपूर्व देशी राज्यों की सेनाओं के कुछ कर्मचारियों को, जो भारतीय सेना में नहीं लिये गये थे, उन का सेवा काल पूरा होने तक उन्हें प्रशानिक सेवाओं में रख लिया गया था ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[16] War Dog Training Centre

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार सेवा से मुक्त/निवृत होने वाले अफसरों की संख्या और प्रांत जिन से वह सम्बद्ध थे नीचे दिये गये हैं :—

राजस्थान .	१७०
पैप्सू .	७३
मध्य भारत .	१६६
सौराष्ट्र .	२०
हैदराबाद .	१४५
ट्रावनकोर कोचीन	३५
मैसूर .	५४
गुजरात	२
टैहरी गढ़वाल	२
कूच बिहार	१
कोल्हापुर	१३
बड़ोदा .	४८
रामपुर .	८
कच्छ . .	२
हिमाचल प्रदेश .	३
त्रिपुरा .	९
विंध्य प्रदेश .	१५
कुल संख्या .	७६६

(ग) तथा (घ) जी हां । भूतपूर्व रियासती सेनाओं में स्थायी कमिशन प्राप्त अफसरों के लिये दर संलग्न विवरण संख्या १ और २ में दिखाये गये हैं [देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या १५९] । अधिक लाभकारी होने की दशा में अफसर अपने अपने राज्य सरकार के सैनिक नियमों के अधीन सेवा निवृत्ति की रियायतों और दरों को चुनकर ग्रहण कर सकते थे ।

(ङ) कुछ भूतपूर्व रियासती सेनाओं के अफसरों को कई राज्य सरकारों द्वारा सरकारी नौकरी स्वीकार करने का अवसर दिया गया था, पर भारत सरकार को यह मालूम नहीं कि आया ऐसा इन अफसरों को अपनी सेवावधि पूरा करने का अवसर देने को किया गया ।

पोर्ट ब्लेयर में भवन

†१०५. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री अ० सि० सहगल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर, बाबूलाइन पर स्थित सरकारी भवन संख्या ८० का पुनर्नीलाम १९ जून, १९५७ को किया गया था;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस की कितनी कीमत प्राप्त हुई ;

(ग) पहली नीलामी में इसकी कितनी कीमत वसूल हुई थी;

(घ) दूसरी नीलामी के समय बोली लगाने वाले कितने थे; और

(ङ) क्या उसी एकाधिकारी सार्थ ने (जिसे डंडास प्वाइंट भवन दिया गया था) इस भवन को अपने एक भागीदार अथवा उसकी पत्नी के नाम पर खरीदा है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां।

(ख) १९,००० रुपये —इसमें उक्त स्थान की कीमत और प्रथम नीलामी के पश्चात् किये गये परिवर्द्धन और परिवर्तन कीमत भी सम्मिलित है ।

(ग) १,३७० रुपये— बगैर भूमि ।

(घ) छ ।

(ङ) पुनर्नीलामी की सफल बोली श्रीमती बीबी दाऊद खाजी की थी जो पिछले वर्ष डण्डास भवन के क्रेता आकूजीज की सम्बन्धी हैं ।

डाक्टरी परीक्षक

९०६. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा नियुक्त डाक्टरी परीक्षकों (रेफरीज) की योग्यता, अनुभव और कार्य क्या हैं;

(ख) जो डाक्टर रेफरी द्वारा बीमें की किश्तों की राशि नियत करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं क्या उनके लिये कोई योग्यता का मापदण्ड और अनुभव निर्धारित किया गया है; और

(ग) बीमे की पालिसियों की राशि निश्चत करने के सम्बन्ध में दो डाक्टरों की राय में मतभेद होने पर अन्तिम निर्णय कौन करता है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जीवन बीमा निगम द्वारा नियुक्त किये जाने वाले डाक्टरी परीक्षक चिकित्सा व्यवसाय में लगे उन अग्रणी डाक्टरों में से चुने जाते हैं जिनकी चिकित्सा सम्बन्धी योग्यता उच्चतम होती है और जिन्हें अपने कार्य का दीर्घकालीन अनुभव होता है । इन डाक्टरी परीक्षकों का कार्य निगम के क्षेत्रीय कार्यलयों को बीमा सम्बन्धी उन प्रस्तावों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में परामर्श देना है जो क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके पास भेजे जाते हैं।

(ख) और (ग). जीवन बीमा का प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षा के लिये चुने जाने वाले डाक्टर जीवन बीमा निगम द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, डाक्टरी परीक्षकों (रेफरीज) द्वारा नहीं । इन डाक्टरों की योग्यता कितनी होनी चाहिये और ये किस सीमा तक जीवन बीमे के लिये किये जाने वाले प्रस्तावों की स्वीकृति के लिये सिफारिश कर सकते हैं ये सब बातें निर्धारित कर दी गयी हैं । जीवन बीमे के लिये किये जाने वाले किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो डाक्टरों में मतभेद होने की स्थिति में निगम का निर्णय अन्तिम माना जायेगा ।

विज्ञान मन्दिर

†९०७. **श्री सिदय्या** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में प्रत्येक विज्ञान मन्दिर के लिये कितनी रकम नियत की गई है; और

(ख) मैसूर राज्य में किन-किन स्थानों पर इन की स्थापना की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) २८,९०० रुपये ।

(ख) मैसूर राज्य में अभी तक कोई विज्ञान मन्दिर स्थापित नहीं किया गया है ।

दिल्ली का लाल किला

†९०८. श्री संबंदम् : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लाल किले की मरम्मत में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) १९५२ के पश्चात् इस पर वर्षवार कितनी रकम खर्च की गई है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :(क) लाल किले की मरम्मत का प्रगति-विवरण लोकसभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६०]

(ख)

वर्ष	खर्च की गई रकम
	रुपये
१९५२-५३	२५,८३३
१९५३-५४	१६,७६१
१९५४-५५	१०,२८९
१९५५-५६	११,५७८
१९५६-५७	२८,२६०
१९५७-५८	२,०००
(नवम्बर, १९५७ तक)	(लगभग)

कावेरीपूमपत्तिनम् में खुदाई

†९०९. श्री संबंदम् : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग द्वारा मद्रास राज्य के तंजोर जिले के मयूरम तालुक में कावेरी-पूमपत्तिनम् स्थान पर खुदाई कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त कार्य कब आरम्भ करने का विचार है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) कावेरी पत्तनम में खुदाई कराने के पूर्व केवल भूमि के ऊपरी भाग में खोजबीन की जा रही है ।

(ख) ऊपरी भाग पर गवेषणा के पश्चात जो परिणाम निकले हैं वे इतने उत्साहवर्द्धक नहीं थे कि गहरी खुदाई की जाये और समुद्र तल में खुदाई व्यावहारिक भी नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक आयुक्त

†९१०. **श्री सिदय्या :** क्या गृह-कार्य मंत्री ९ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई, १९५७ में आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय सहायक आयुक्तों के कितने रिक्त पद थे और पूर्तिहेतु कितने स्थानों के बारे में विज्ञापन दिया गया था ;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग के चुनाव के पूर्व कोई नियुक्तियां की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो कब की गई थीं और ऐसा करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार प्रत्येक राज्य के लिये उन्हीं व्यक्तियों को भरती करने का विचार रखती है जो उक्त राज्य की प्रादेशिक भाषा जानते हैं और जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) आठ पद रिक्त थे, किन्तु केवल चार स्थानों के बारे में ही विज्ञापन दिया गया था । शेष स्थानों के लिये राज्यों से उपयुक्त व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये गये । उसके पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग से चार के स्थान पर आठ व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने के लिये कहा गया है ।

(ख) और (ग) . जी हां, इस तरह की चार नियुक्तियां १५ अप्रैल, १८ और २१ सितम्बर और २१ नवम्बर, १९५७ को की गई थीं । इनमें से दो राज्यों के डेपुटेशन अधिकारियों के रूप में थे । अन्य दो उपयुक्त और सरकारी व्यक्ति थे और ये नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी रूप में की गई थीं ।

(घ) और (ङ). इन मदों के लिये वांछनीय शर्तों में से एक यह भी है कि एक या एक से अधिक प्रादेशिक भाषा का ज्ञान और एक या दो आदिम जाति लिपियों की जानकारी हो ।

संघ लोक सेवा आयोग से यह भी कहा गया है कि अन्य बातें समान होने की स्थिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाये ।

आदिमजाति लोगों के लिये बहुप्रयोजनीय परियोजनायें

९११. **श्री मधुसूदन राव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में आदिम जाति लोगों के हित के लिये कितनी बहुप्रयोजनीय परियोजनायें चल रही हैं;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस क्षेत्र में अब और कितनी परियोजनायें आरम्भ करने का विचार है;

(ग) प्रस्तावित परियोजनाओं के ठीक-ठीक स्थान के बारे में क्या किन्हीं ठोस प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) दो

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस क्षेत्र में कोई और परियोजनायें आरम्भ नहीं की जायेंगी ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री एन्थनी पिल्ले** (मद्रास—उत्तर) : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है—मैं ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इसे अनुमति दे रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने एक विषय के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा है जो तीन या चार वर्ष से लम्बित चला आ रहा है अर्थात् हिन्दुस्तान विमान कारखाने में हड़ताल की धमकी का मामला । मैं नहीं समझता कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिये सभा की कार्यवाही रोकी जाय । ऐसी बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये केवल स्थगन प्रस्ताव का ही ऐसा तरीका नहीं है और भी तरीक़े हैं । इसलिये मैं ने इसकी अनुमति नहीं दी । अब वह दोबारा इसी के बारे में पूछने लगे हैं । सभा के एक-एक क्षण हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिये । यह मामला किसी हाल की घटना से सम्बन्धित नहीं है ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २३ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३७०१ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—३९९/५७]

लोक सहायक सेना नियम

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : श्रीमान्, मैं लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ की धारा ११ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ अक्तूबर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३८५ में प्रकाशित लोक सहायक सेना नियम, १९५७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—४००/५७]

एक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

†**सरदार मजीठिया** : मैं एयर फोर्स कालेज, बेगमपेट के बारे में २५ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वक्तव्य

२५-७-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के इस प्रथम अनुपूरक प्रश्न पर कि क्या जोधपुर में कुछ कठिनाइयों के अनुभव के बाद अकादमी के कुछ सैक्शनों को दोबारा बेगमपेट ले जाया गया है मैं ने उत्तर में यह कहा था कि प्रशिक्षण स्कूल अब भी वहीं है लेकिन वह केवल जैट विमानों का ही प्रशिक्षण देता है।

२. श्री ब० स० मूर्ति के दूसरे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में, जिसमें वह यह जानना चाहते थे कि परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं ने कहा था कि :

> "पहले बेगमपेट में पिस्टनदार इंजनों वाले और जेट, दोनों तरह के विमान थे और जोधपुर में पिस्टनदार इंजनों वाले विमान थे। अब हम ने इनको पृथक् कर दिया है और इसके फलस्वरूप प्रशिक्षण के लिये बेहतर सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी।"

३. इन अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। पहले प्रश्न का ठीक उत्तर यह होना चाहिये कि बेगमपेट के प्रशिक्षण स्कूल में परिवहन करने वाले विमानों के बारे में ही प्रशिक्षण दिया जाता था और दूसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर यह होना चाहिये :

> "पहले पिस्टनदार इंजनों वाले विमानों का प्रशिक्षण बेगमपेट तथा जोधपुर में दिया जाता था। अब हम यह प्रशिक्षण केवल जोधपुर में देते हैं और परिवहन-विमानों का प्रशिक्षण बेगमपेट में होता है। इससे प्रशिक्षण के बारे में बेहतर सुविधायें हो जायेंगी।"

सीमा शुल्क प्रत्याहृत (गैलवेनाइज्ड आयरन वायर प्राडक्टस) नियम

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २९ अक्तूबर १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४३० में प्रकाशित सीमा शुल्क प्रत्याहृत (गैलवेनाइज्ड आयरन वायर प्राडक्टस) नियम १९५७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०---४०२/५७]

राज्य-सभा से सदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि लोक-सभा द्वारा २५ नवम्बर, १९५७ को पारित नागा पहाड़ियां तुएन सांग क्षेत्र विधेयक, १९५७ को राज्य-सभा ने अपनी २८ नवम्बर, १९५७ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।"

हिमाचल प्रदेश में बस की दुर्घटना

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : श्रीमान्, २० नवम्बर, १९५७ को हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवा की एक बस शिमला से ३६ मील कोटखाई के लिये चली थी। शिमले से यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[पं० गो० ब० पन्त]

बस २ बज कर ४५ मिनट पर रवाना हुई और उसमें ड्राइवर तथा कंडक्टर के अतिरिक्त सत्तरह व्यक्ति थे । रास्ते में इसमें ५ यात्री और बैठे। ज्यों ही बस थियोग से चली वर्षा होने लगी और जब ६ बजे तक बस छैला पहुंची तो वर्षा अधिक होने लगी थी । छैला से ६ बज कर ३० मिनट पर बस चली और बड़ी कठिनाई से एक फर्लांग ही गयी होगी कि यह एक ओर को लुढ़की । ऐसा प्रतीत होता है कि ड्राइवर ने इसे शीघ्र ही मोड़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि निकट के पहिये फिसल गये और वह चोटी से टेढ़ी हो गई और १५० फीट नीचे गिरि नदी में जा गिरी । निकट के गांवों के लोग आ गये और उन्होंने सहायता की । २४ यात्रियों में से ५ तो उसी समय मर गये जिनमें कंडक्टर भी था और १९ घायल हुये । थियोग से चिकित्सा सहायता भेजी गयी और घायलों को वहां से ले जाया गया । ५ मृत व्यक्तियों में से दो के शव तो नदी में बह गये और शेष तीन शव मिल गये । १९ घायलों में से ३ के मामूली चोटें आईं और वे अपने घर चले गये । । शेष १६ में से १३ को शिमला के स्नो टाउन हस्पताल में दाखिल किया गया और ३ को थियोग के हस्पताल में । ३ व्यक्ति २२-११-५७ को हस्पताल में मर गये । शेष संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहे हैं ।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने दुर्घटना के कारण जानने के लिये एक समिति नियुक्त की है जिसमें तीन पदाधिकारी हैं । उसमें महासु ज़िले के सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस, पी० डब्ल्यू० डी० के एक्जीक्यूटिव इंजिनियर और हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवा के आटोमोबाइल इंजीनियर हैं । समिति जांच कर रही है और अनुसंधान के बाद अपना प्रतिवेदन देगी ।

सभा का कार्य

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान्, संसद् कार्य मंत्री की ओर से मैं सभा के कार्य की घोषणा करता हूं जो कि २ दिसम्बर से आरम्भ होने वाले आगामी सप्ताह तक के लिये है :—

१. आज की कार्यावलि से कल के लिये रखा हुआ कोई काम ।

२. खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले खाद्य स्थिति संबंधी प्रस्ताव के बारे में चर्चा ।

३. भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक ।

४. पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक ।

५. केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक ।

६. जीवन बीमा निगम के कार्यों के अन्तरिम प्रतिवेदन पर चर्चा जिस के बारे में प्रस्ताव सर्वश्री साधन गुप्त तथा राधा रमण ने रखा है ।

७. गैर-सरकारी (लाइट) रेलवे के भविष्य संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा जिसकी सूचना श्री झूलन सिंह ने दी है ।

८. भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ।

९. कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक ।

१०. भारतीय रक्षित दल (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ।

११. दिल्ली विकास विधेयक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय परिचर्या परिषद (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद ११७(३) के अधीन इसकी स्वीकृति दे दी है।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय परिचर्या परिषद् अधिनियम, १९४७, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

यह विधेयक विवादास्पद नहीं है और मैं इसकी सारी बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

भारतीय परिचर्या अधिनियम, १९४७, ३१ दिसम्बर, १९४७ को तत्कालीन प्रान्तों में लागू हुआ। बाद में उसे उन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया जिन्हें नवम्बर, १९५६ से पहले भाग 'ख' के राज्य कहते थे। इस बीच में भारतीय परिचर्या परिषद् ने इस में संशोधन करने के कई सुझाव दिये। अनुभव के आधार पर १९५० में मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (३) के परन्तुक के खण्ड (२) में संशोधन कर लिया गया था ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि भाग ख राज्यों की पूर्व मान्य अर्हताओं को जिन पर अब यह अधिनियम प्रभावी था उसी राज्य में पंजीयन के प्रयोजन के लिये मान्य अर्हतायें मान लिया जाये। अब हम कुछ और संशोधन भी करना चाहते हैं।

जिस समय यह अधिनियम केन्द्रीय विधान सभा ने पारित किया था उस समय उसे देशी रियासतों के बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं था। अब संवैधानिक परिवर्तनों के बाद संसद् जम्मू तथा काश्मीर के क्षेत्र को छोड़ कर शेष सारे देश पर इसे लागू कर सकती है। इसलिये इसे जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त शेष सभी राज्यों में लागू करने का विचार है।

दूसरा संशोधन है परिचर्या संस्थाओं के सभापतियों में से सदस्यों के चुनाव के बारे में। अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अनुसार ऐसी परिचर्या संस्थाओं के प्रधान या सभापति जिनमें नर्सों को प्रशिक्षण दिया जाता है अपने में से १ सदस्य का चुनाव कर सकते हैं। किन्तु उस समय नई दिल्ली में ही नर्सिंग का प्रशिक्षण होता था और एक ही कालेज था। अब दो या तीन कालेज और हैं इस कारण संशोधन आवश्यक है।

तीसरा संशोधन यह है कि परिषद् में दाइयों को भी सदस्यता मिलनी चाहिये। ऐसा समझा गया है कि दाइयों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है तथा उन राज्यों की दाइयों को जिनमें यह लागू किया गया है। इसलिये धारा ३(१) के खण्ड (छ) में भी संशोधन किया जा रहा है।

एक संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य के प्रधान चिकित्सक पदाधिकारी भी परिषद् के पदेन सदस्य चुने जायेंगे। अधिनियम की धारा ३(१) के खण्ड (१) के अनुसार इन अधिकारियों को पदेन सदस्यों के रूप में प्रत्येक भाग क राज्य में से लिया जा सकता है और यदि राज्य सरकार यह निदेश दे कि प्रधान चिकित्सा पदाधिकारी के मुख्य सुपरिन्टेंडेंट को रखा जाये तो वैसा भी हो सकता है जब कि खण्ड (ड) के अनुसार राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशकों को भी बारी बारी पदेन सदस्य रखा जा सकता है। यह भी उचित समझा जाता है कि परिचर्या अधीक्षकों को भी इस परिषद में सदस्य बनाया जाये क्योंकि इसके निर्णयों को लागू करने के लिये तो उन्हीं का सब से अधिक कार्य होता है। इसीलिये हम इन खण्डों में यथोचित संशोधन करने जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

इसके बाद परिषद् में संसद् का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इस समय भारतीय परिचर्या परिषद् में २ संसद् सदस्य रखे जाते हैं। संशोधन से तीन रखे जायेंगे अर्थात् १ राज्य-सभा से और दो लोक-सभा से।

इसके बाद आनुषंगिक रूप से धारा ६ की उपधारा (६) का उत्सादन किया जा रहा है। धारा १० की उपधारा (१), (२) तथा (३) में औपचारिक संशोधन किये जा रहे हैं ताकि राज्य परिचर्या परिषद् से सलाह ली जा सके और दाइयों इत्यादि की अर्हता की मान्यता देने का उपबन्ध भी किया जा सके।

इसके बाद धारा ११ का संशोधन है। भारत के मिशनों में बहुत से विदेशी भी काम कर रहे हैं जिन्हें राज्यों की परिचर्या परिषद् में पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि उन विदेशों के साथ यथारीति व्यवहार के प्रबन्ध नहीं हैं। अभी तक इस प्रकार के आदान प्रदान का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है। लेकिन जैसा कि इस सभा को ज्ञात होगा हमारे यहां सुशिक्षित नर्सों की कमी है और इसी कारण यह आवश्यक है कि विदेशों की प्रशिक्षित नर्सों को भी पंजीबद्ध किया जाये। और बहुत सी भारतीय नर्सों का प्रशिक्षिण भी विदेशों में होता है। उनके लिये शिक्षा निर्धारित है। उन्हें विदेशी अर्हता दिखानी पड़ती है। उन अर्हताओं को पर्याप्त समझा जाता है। भारतीय परिचर्या परिषद् उनकी अर्हताओं का परीक्षण करेगी और जब इसे संतोष हो जायगा तभी उन्हें पंजीबद्ध करेगी।

बहुत सी भारतीय नर्सें आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तथा अमरीका से प्रशिक्षित हैं। उन्हें उन्हीं देशों में पंजीयन का हक है यहां नहीं। इसी कारण हम चाहते हैं कि उनका पंजीयन यहां भी होना चाहिये।

इसके बाद धारा १३(१) में संशोधन है। विद्यमान उपबन्धों के अनुसार कार्यपालिका समिति किसी संस्था के निरीक्षणार्थ कई निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। यह स्पष्ट उपबन्ध नहीं है कि ये निरीक्षक भारतीय परिचर्या परिषद् के होंगे इस कारण इसको पूरा स्पष्ट बनाया जा रहा है।

धारा १४(१)(ख) के संशोधन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिनियम की धारा १०(२) के अनुसार सामान्य परिचर्या की अर्हताओं के मान्यीकरण की प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। अधिनियम की धारा १५ के अधीन ऐसी घोषणा को गजट में प्रकाशित करना पड़ता है। अधिनियम में स्पष्ट उपबन्ध नहीं है और इसी कारण संशोधन की आवश्यकता है।

संविधान के अनुच्छेद ७३(१) के अधीन केन्द्रीय सरकार को कार्यपालिका अधिकार देने के लिये स्पष्ट उपबन्ध बनाने की आवश्यकता है।

वर्तमान अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय नर्सिंग पंजी के रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं है जैसे कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९५६ के अधीन चिकित्सकों की पंजी रखने का है। हम समझते हैं कि ऐसी पंजी निस्संदेह ही बड़ी लाभदायक रहेगी और इसी कारण इस सम्बन्ध में भी हम, छोटा सा उपबन्ध करना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या डाक्टरों की भांति नर्सों के भी वर्ग होंगे ?

†**श्री करमरकर :** वास्तव में डाक्टरों के वर्गों का एक कारण है कि डाक्टरी के स्कूल भी हैं और कालेज भी हैं। अब यह कठिनाई नहीं रही हैं क्योंकि स्कूलों को कालेज बना दिया गया है। केवल लुधियाना का स्कूल वैसे ही रखा गया है। किन्तु नर्सों के बारे में ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

धारा १६ तथा १७ के संशोधनों के बारे में मैं सभा का समय व्यर्थ नहीं खोना चाहूंगा। पुराने अधिनियम के अधीन वाली सूची अब पुरानी हो गयी है। इसके स्थान पर नवीनतम सूची रखी जा रही है और इसमें एक नयी धारा की वृद्धि भी की जा रही है ताकि प्रत्येक राज्य की विद्यमान परिषदें जारी रहें।

श्रीमान्, मैं कुछ थोड़ा अधिक ही बोल गया हूं। मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक को अधिक विवाद के बिना शीघ्र पारित करेगी क्योंकि सभी संशोधन हितकारक हैं। यदि कोई सन्देहात्मक बात हो तो मैं उसका प्रसन्नता से उत्तर दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री मोहम्मद इलियास** (हावड़ा) : हमारे पास भारतीय परिचर्या परिषद् के कार्य का कोई प्रतिवेदन नहीं आया इसलिये हमें कोई पता नहीं लगा कि क्या काम वहां हुआ है। हां केवल योजना के पुनरीक्षण से जो कुछ थोड़ी जानकारी हमें मिली है उसी के आधार पर मैं इसके सम्बन्ध में यहां कहूंगा।

जिस समय १९४७ में भारत में परिचर्या परिषद् बनी थी उस समय यहां ७,००० नर्सें थीं। भोर समिति ने नर्सों की संख्या उनके काम की परिस्थितियों तथा प्रशिक्षण में सुधार करने के बारे में सिफारिशें की थी।

भोर समिति ने सिफारिश की थी कि हमें कम से कम इस अवधि में १५,००० नर्सें प्रशिक्षित करनी चाहियें थीं किन्तु हमने केवल १०,००० नर्सों को ही प्रशिक्षण दिया है। समिति की आशा थी कि द्वितीय योजना की समाप्ति पर देश में ८०,५०० नर्सें होनी चाहियें। लेकिन हम प्रत्येक वर्ष केवल २,००० नर्सें ही प्रशिक्षित करते हैं इस तरह से हम कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे।

राज्यों की हालत तो बड़ी ही भयंकर एवं दुखद है। पश्चिमी बंगाल में समस्त हस्पतालों में १५,००० स्थान हैं और भोर समिति की सिफारिश के अनुसार ५ स्थानों के लिये एक नर्स होनी चाहिये किन्तु हमारे राज्य में केवल १,०५८ नर्सें हैं जिन्हें सब रोगियों को चौबीस घंटे देखना पड़ता है। जब स्थिति ऐसी है तो हम कैसे विचार कर सकते हैं कि रोगियों की देखभाल अच्छी तरह से होती होगी। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

समिति ने दूसरी सिफारिश यह की थी कि प्रशिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिये। वास्तव में नर्सों को भी चिकित्सा के विद्यार्थियों की भांति ही समझा जाना चाहिये किन्तु उनसे बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है उनसे १० घण्टे काम लिया जाता है और फिर उन्हें पढ़ना भी पड़ता है। इस स्थिति में भी सुधार की आवश्यकता है।

दूसरे हमारे यहां प्रत्येक हस्पताल में स्टाफ की कमी है किन्तु तब भी प्रशिक्षित नर्सों को नौकरी नहीं मिलती। यह बड़ी हैरानी की बात है।

प्रशिक्षण नर्सों को विशिष्ट रोगों के आधार पर दिया जाना चाहिये। यह समिति ने भी कहा है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा परिषद् ने भी यह कहा है कि प्रशिक्षण यहां पड़े निम्न स्तर का ही है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहम्मद इलियास]

जहां तक काम करने की परिस्थितियों का संबंध है वह तो बड़ी खराब हैं। हमें इस बात पर लज्जा आनी चाहिये। नर्सों से कभी-कभी लगातार २४ घण्टे भी काम लिया जाता है।

हमारे देश में गैर-सरकारी हस्पतालों में नर्सों को ४०/४५ रुपये का वेतन मिलता है। अभी हाल ही में पश्चिमी बंगाल में नर्सों के वेतन क्रम में सुधार करने के लिये एक कार्यवाही की गई है जिससे वास्तव में उनके वेतन कम ही हो जाते हैं। वहां पर नर्सों में इस कारण बड़ा असंतोष फैला हुआ है। इन सब परस्थितियों को ठीक करने की आवश्यकता है।

नर्सों को मिलने वाली आवास सुविधाओं का भी यही हाल है। उन्हें हस्पताल के अधिकारी सदैव नौकरी से अलग करने की धमकियां दिया करते हैं इसलिये उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय है।

उन्हें संगठन या संस्थायें बनाने का भी कोई अधिकार नहीं है। अभी पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक गोपनीय पत्र में पंजीयक को लिखा है कि नर्सों के संघ का पंजीयन न किया जाये। यह बात किस आधार पर की गई है। संविधान के अनुसार यह तो उनका मूलभूत अधिकार है।

इस समय नर्सें न तो अपनी शिकायतें ही ऊपर पहुंचा सकती हैं और न ही वे कोई अन्य कार्यवाही कर सकती हैं। यदि कोई नर्स ऐसा करने का साहस करती भी है तो उसे तुरन्त नौकरी से निकाल अलग कर दिया जाता है।

हस्पतालों में पदाधिकारी बड़ी खराबियां करते हैं किन्तु उस बात की जिम्मेदारी नर्सों पर डाल दी जाती है। हस्पतालों से महंगी महंगी औषधियां उड़ा ली जाती हैं और लोग बड़ा फायदे उठाते हैं।

सरकार को चाहिये कि वह डाक्टरों का एक केन्द्रीय पुंज बनायें और उस केन्द्रीय पुंज से डाक्टरों को गांवों में भेजा जाय। अधिकतर डाक्टर गाँवों में जाना पसन्द नहीं करते इसका फल यह होता है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं तथा सामुदायिक परियोजनाओं के लिये डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं।

नर्सों तथा अस्पताल के अन्य कर्मचारियों की अवस्था नितांत असंतोषजनक है। जब वे अपनी शिकायतें किसी अधिकारी के समक्ष रखती हैं, तो उनसे कहा जाता है कि वे फ्लोरेंस नाइटिंगल की शिष्यायें हैं अतः उन्हें सर्वस्व बलिदान के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये। जब कि बड़े पदाधिकारी रुपया कमाने में लगे रहते हैं।

अतः इस संशोधन से मेरा आशय यह है कि भारतीय नर्सिंग परिषद में संघ के सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाय और संघ क्षेत्रों को भी उसमें शामिल किया जाय।

†**श्री क० उ० परमार** (अहमदाबाद-रक्षित अनुसूचित जातियां): भारत में नर्सिंग की सुविधायें अपर्याप्त हैं। इसका कारण यह है कि नर्सों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण का तरीका उपयुक्त नहीं है। वस्तुतः भारत में नर्सों और डाक्टरों की संख्या बहुत कम है। गावों की नब्बे प्रतिशत जनता को उचित चिकित्सा की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

नर्सों के वेतन तथा भत्ते बहुत कम हैं इसी कारण कोई अन्य कार्य न मिलने पर ही वे इस कार्य को करती हैं। शिक्षित लड़कियां इस पेशे की ओर बहुत कम आकर्षित होती हैं हम अब भी इस कार्य को नीची नजर से देखते हैं। नर्सिंग का प्रशिक्षण भी समस्त भारत में एकरूप नहीं है। उनका पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण सारे भारत में एक समान होना चाहिये। उन्हें अपना कार्य करने में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये तथा उनके कार्य के घंटे भी कम होने चाहियें। आज कल नर्सों को १२ घंटे प्रतिदिन से भी अधिक कार्य करना होता है फल यह होता है कि रोगियों का बहुत हानि होती है अतः नर्सों के वेतन तथा भत्तों में उचित वृद्धि करनी चाहिये।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : यह संशोधन विधेयक बहुत उपयुक्त है। किसी भी व्यक्ति को इसके उद्देश्य से विरोध नहीं हो सकता है। इसके द्वारा दोनों सभाओं के कुछ सदस्य परिषद् में शामिल किये जायेंगे और इसके द्वारा राज्यों के कुछ ऐसे समुदाय बना दिये गये हैं कि प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि इस परिषद में हो। इस समूहीकरण में कुछ सुधार किये जा सकते हैं। यद्यपि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

अब मैं नर्सिंग की सामान्य समस्यायें लेती हूँ। दिल्ली राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक नर्सिंग समिति में भाग लिया था उस समिति ने उनकी दशा में सुधार करने के लिये कुछ सिफारिशें की थीं। लेकिन ज्ञात होता है कि किसी भी राज्य ने उन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री को चाहिये कि वे सभा से ऐसे अधिकारों की मांग करें कि इस प्रकार के प्रतिवेदनों पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करना अनिवार्य हो।

हमारे देश में नर्सों की संख्या बहुत कम है इसका पहिला कारण यह है कि कई राज्यों में उनके वेतन भत्ते इत्यादि बहुत अनुपयुक्त है। दूसरा कारण जिसकी वजह से लोग अपनी पुत्रियों को नर्स के स्थान पर डाक्टर बनाना चाहते है, उनका सामाजिक पद है। उनका सामाजिक पद तथा वेतन बहुत कम है इसके कारण लड़कियां नर्स नहीं बनना चाहती हैं। अतः हमें अपने देश में ऐसा वातावरण तैयार करना है कि प्रतिष्ठित परिवारों की कन्यायें भी इस पेशे को अपनायें।

चिकित्सा के क्षेत्र में नर्स आधारभूत शिला की तरह कार्य करती है। डाक्टर तब तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि नर्स उसके अनुदेशों का पालन न करें। लोक स्वास्थ्य सेवा में भी नर्सों का कार्य अत्यंत उपयोगी है वे ही स्वास्थ्य का संदेश घर घर पहुँचा सकती हैं।

अधिकारियों को विवाहत नर्सों की नियुक्ति भी करनी चाहिये। नर्स के लिये अविवाहित रहना अवांछनीय है। हमें चाहिये कि हम थोड़े समय काम करने वाली विवाहिता नर्सों की भी नियुक्ति करें।

नर्सों के लिये आवास प्रबन्ध भी उचित नहीं है। विवाहिता नर्सों के लिये क्वार्टर और अविवाहित नर्सों के लिये होस्टल में पूरे कमरों का प्रबन्ध होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

एक ओर देश में नर्सों की कमी है दूसरी ओर कई नर्सें बेकार है वस्तुतः हमारी व्यवस्था ही ठीक नहीं है। इसलिये हमें नर्सों, डाक्टरों, औषधिनिर्माताओं की नियुक्ति इत्यादि का समुचित प्रबन्ध करना चाहिये जिससे यह कमी दूर हो। स्वास्थ्य मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

कई राज्यों में अंग्रेजी में प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं में प्रशिक्षित नर्सों से दुगुना वेतन दिया जाता है। यह विषमता तत्काल दूर होनी चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली): इस संशोधक विधेयक का उद्देश्य परिषद का क्षेत्र विस्तृत करना तथा पिछले दस वर्षों के अनुभव से लाभ उठा कर विधेयक में कुछ परिवर्तन करना है।

वस्तुतः इस परिषद की स्थापना भोर समिति की सिफारिश से हुई थी। इसके दो उद्देश्य थे पहिला प्रशिक्षण का स्तर ऊँचा करना और दूसरा नर्सों का जीवन स्तर बढ़ाना। लेकिन हमें यह देखना है कि पिछले दस वर्षों में इन दोनों उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति हुई। जहां तक प्रशिक्षण का प्रश्न है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। अधिकांश प्रशिक्षण केन्द्रों की नर्सों को सारे समय संलग्न अस्पताल में काम करना होता है और उन्हें पढ़ाई का समय नहीं मिलता है। फलतः उनका प्रशिक्षण अधूरा रह जाता है। अतः परिषद् को उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कुछ विनियम बनाने का अधिकार दिया जाय।

दूसरे परिषद् को नर्सों का सामाजिक स्तर ऊँचा करने में सहायता देनी चाहिये जिससे समाज में इस पेशे की प्रतिष्ठा बढ़े।

†**श्री करमरकर** : मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति चाहता हूँ। ये प्रश्न वस्तुतः विधेयक से सम्बन्धित नहीं हैं तथापि अब क्योंकि ये प्रश्न उठाये गये हैं मैं उनका उत्तर देना चाहता हूँ।

यह अधिनियम भी नर्सों को उचित प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में है। मैं परिषद् के कार्य के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं उनकी व्याख्या नहीं करूँगा तथापि विरोधी पक्ष के सदस्यों को, जिन्होंने नर्सिंग प्रणाली के विरोध में भी कई बातें कही है उन्हें यह बताना न्यायोचित होगा कि उन्हें इस कार्य के सम्बन्ध में सही जानकारी नहीं है।

समय की कमी के कारण मैं केवल नर्सों के सम्बन्ध में ही बताऊँगा जो इस समय क्षेत्र में काम कर रही हैं। १९४९ में नर्सिंग की शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या २५०० थी जो १९५६ में बढ़ कर ७४०० हो गई। ३१ दिसम्बर १९५६ तक पंजीयित नर्सों की संख्या २४७२४ थी जबकि दस वर्ष पूर्व कुल नर्सों की संख्या केवल ७००० थी। निस्संदेह उक्त संख्या में से कुछ नर्सों ने विवाह कर गृहस्थ जीवन बिताना प्रारम्भ कर दिया होगा और कुछ ने नर्सों का पेशा अपनाया ही नहीं होगा तो भी अनुमानित संख्या १९५०० होगी।

अपने कार्यक्रम के अनुसार हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ९००० नर्सों को प्रशिक्षित करेंगे। आशा है हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी क्योंकि हम प्रतिवर्ष २००० नर्सों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

नर्सों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। हम इनकी संख्या में और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं लेकिन प्रशिक्षण सुविधायें और प्रशिक्षक कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। इस सम्बन्ध में गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों प्रकार की संस्थायें हैं। मेरे विचार से सभा इस बात से सहमत होगी कि १९४७ से नर्सों की संख्या के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति हो रही है।

वस्तुतः प्रशिक्षण को विनियमित करना नार्सिंग परिषद् का कार्य है। इस सम्बन्ध में हम प्रत्येक राज्य को सहमत नहीं कर सके हैं उदाहरणार्थ नर्सिंग संस्थाओं में भरती के लिये न्यूनतम अर्हता होनी चाहिये। उड़ीसा में उन्हें विद्यार्थी ही नहीं मिलते हैं क्योंकि वह राज्य अपेक्षाकृत रूढ़िवादी हैं। इसलिये हमने उस राज्य को न्यूनतम विहित अर्हता में भी कमी करने की अनुमति दे दी है। जिन सदस्यों ने इन संस्थाओं के कार्यों को ध्यान से और निष्पक्षता से देखा है वे इस बात से सहमत होंगे कि इन संस्थाओं का पाठ्यक्रम तथा कार्य नितांत संतोषजनक है।

यह सब नर्सों की व्यक्तिगत क्षमता तथा अर्हता पर निर्भर करता है। माननीय सदस्यों ने यहां जो कुछ भी बातें कही हैं वे जानबूझ कर अनजान बनकर नहीं कही हैं अपितु वस्तुतः वे किसी प्रशिक्षित नर्स की देखभाल के अधीन रहे ही नहीं हैं। अन्यथा वे ऐसी बातें नहीं कहते। यदि माननीय सदस्य कुछ दूरी से भी नर्सों के कार्य को देखें तो वे उनकी कुशलता, लगन तथा क्षमता के सम्बन्ध में मुझसे सहमत होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा ही हमें अच्छी नर्सें प्राप्त हुई हैं।

मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि अधिकांश सदस्यों ने जो बातें कही हैं वे किसी से सुन कर कहीं हैं न कि व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा।

नर्सिंग परिषद् और प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कार्यक्रम में नर्सिंग, प्रसाविका, स्वास्थ्य निरीक्षण तथा नर्सिंग का बी० एस० सी० पाठ्य कम भी शामिल है। तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के सम्बन्ध में ऐसे नियम बनाये गये हैं जिनका उन्हें कर्मचारियों, सामग्री, कक्षा तथा प्रयोगिक क्षेत्रों तथा अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में पालन करना होता है।

यह सिफारिश की गई है कि विद्यार्थी अड़तालीस घंटे से अधिक समय कार्य न करें जिन से कम से कम ६ घंटे कक्षा के कार्य में व्यय किये जायें। हम जानते हैं कि नर्सों की कमी के कारण कुछ संस्थायें नर्सों से विहित घंटों से अधिक देर तक काम लेती हैं लेकिन हम उन्हें बार बार यह बताते रहते हैं कि नर्सों से अधिक कार्य न लिया जाय। ऐसे मामलों में राज्यों को कुछ स्वतंत्रता है। हम केवल सिफारिश कर सकते हैं इसको हम उस रूप में क्रियान्वित नहीं करवा सकते हैं।

परीक्षा के विनियम बना दिये गये हैं। इस प्रकार नर्सिंग परिषद् ने नर्सिंग शिक्षा का स्तर निर्धारित करने का भरसक प्रयत्न किया है जिन लोगों ने अस्पतालों में नर्सों के काम को ध्यान से देखा है वे इस बात से सहमत होंगे आज नर्सों का स्तर बीस वर्ष पहिले के स्तर से कहीं ऊंचा है।

माननीय सदस्य ने बंगाल का जिक्र किया है मैं बंगाल के सम्बन्ध में कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं क्योंकि डाक्टरी शिक्षाओं के सम्बन्ध में वह काफी प्रयत्नशील हैं और उनके यहां नर्सों के काम करने की शर्तें पर्याप्त अच्छी हैं।

यह सुझाव भी दिया गया था कि प्रशिक्षण में विभिन्न रोगों के सम्बन्ध में विशेषज्ञता भी शामिल की जाय। उनके पाठ्यक्रम में विभिन्न रोगों के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी शामिल है तथा कुछ महत्वपूर्ण रोगों के सम्बन्ध में उन्हें व्यवहारिक जानकारी होनी भी अनिवार्य है।

[श्री करमरकर]

मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि उन्हें सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी है। भारत सरकार ने अपने अधीन अस्पतालों में उनका वेतन क्रम १००–१८५ रुपये मासिक रखा है। विभिन्न राज्यों में वेतन की दरें भिन्न भिन्न हैं। हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि राज्य नर्सों को अधिक अच्छी सुविधायें प्रदान करें।

उदाहरणार्थ स्त्री नर्सों का वेतन क्रम मध्य प्रदेश में १५०–१६० रुपये तक है। पश्चिम बंगाल में ज्येष्ठ नर्सों का वेतन क्रम १३०–१८० रुपये है। पंजाब में ६०–१०० रुपये है। आसाम में ५०–१०० रुपये है। भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न दरें हैं। राजस्थान में उनका वेतन क्रम १००–१५० रुपये है। हम चाहते हैं कि उनके कार्य की अवस्थायें ऐसी हों कि उनसे जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी हो जायें। लेकिन हम राज्यों की धन सम्बन्धी तथा अन्य कठिनाइयों भी समझते हैं। सभा इससे सहमत होगी कि इस मामले में राज्यों को विवश करना वांछनीय नहीं है तथापि केन्द्र में हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनकी कार्य करने की अवस्थायें अच्छी हों।

डा० सुशीला नायर ने पूछा है कि हम इस पेशे के प्रतिष्ठित स्थान क्यों नहीं दे रहे हैं। लोग अपनी पुत्रियों को नर्स बनने के लिये कह कर उन्हें समाज में प्रतिष्ठित स्थान क्यों नहीं देते हैं। तथापि प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा हो सकती है कि उनकी पुत्री स्वास्थ्य मंत्री हो क्योंकि इससे उसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्राप्त होगा। क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को व्यापक प्रतिष्ठा देने के लिये मुझे यह महत्वकांक्षा करनी चाहिये कि मेरा पुत्र चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बन जाय। कुछ लोगों का दुर्भाग्य होता है। हमें इन दोनों प्रश्नों को मिलाना नहीं चाहिये। वस्तुतः देश के हित में सब कुछ बलिदान करना बहुत अच्छा है मैं चाहूँगा कि सभी ऐसा करें। लेकिन व्यक्तियों से एक विशेष पेशा अपनाने को नहीं कहा जा सकता है। यदि एक व्यक्ति अपने पुत्र तथा पुत्री के सम्बन्ध में पूछे कि वे कौन सा पेशा अपनायें? तो मैं केवल पेशे को प्रतिष्ठित बनाने के नाते उसे ऐसी सलाह नहीं दूंगा जिससे कि वह अपनी महत्वाकांक्षायें ताक पर रख दे।

बीस तीस वर्ष पहिले नर्सिंग का पेशा ग्राह्य नहीं समझा जाता था। अब न केवल जनता का दृष्टिकोण ही परिवर्तन हो गया है अपितु यह कार्य उपयोगी और आवश्यक समझा जाने लगा है। तथापि यह कहना कि नर्सों का पद डाक्टरों के समकक्ष किया जाय, हमारे लिये असंभव है क्योंकि डाक्टर का पद नर्स से सदैव ऊँचा रहेगा। यह सामान्य बात है कि नर्सों का आदर किया जाना चाहिये। वे ऐसा कार्य करती हैं जो देश के लिये अत्यधिक उपयोगी है।

जहां तक उनके जीवन निर्वाह की दशाओं का प्रश्न है उनमें सुधार होना चाहिये। इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। क्वार्टरों के सम्बन्ध में, वेतन, दैनिक भत्ते और भोजन भत्ते इत्यादि के सम्बन्ध में जहां कहीं सुधार की गुंजायश है सुधार होना चाहिये। अन्ततोगत्वा ये बातें राज्यों पर निर्भर हैं तथापि यदि प्रत्येक राज्य जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक सुविधायें प्रदान करें तो हमें प्रसन्नता ही होगी।

अब मैं कुछ विशेष राज्यों में भ्रष्टाचार इत्यादि का जिक्र करूंगा। यदि प्रत्येक अस्पताल में डाक्टर की गलती नर्स पर थोप दी जायेगी तो विचित्र बात होगी। यदि डाक्टर कोई आपरेशन करे और उसके असफल होने पर उसका दोष नर्स के मत्थे मढ़ दिया जाय तो मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। यदि डाक्टर अयोग्य है तो उसे अस्पताल से हटा देना चाहिये। यदि मेरे माननीय मित्र भ्रष्टाचार इत्यादि के कुछ मामले जानते हों तो मैं उन्हें पुलिस को देना चाहूंगा। यदि केवल सभा में शिकायत करनी हो

तो यह उपचार ठीक नहीं है । यदि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी हो तो वह उसे संगत विभाग तक पहुंचा देवें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर के सम्बन्ध में मैं अपने द्वारा कही गई बात वापस लेना चाहता हूं उन्होंने अपने भाषण में न केवल कोई काम की बात कही बल्कि बातों को गलत ढंग से कहा । मैं उनसे उन अस्पतालों की पहिले के अस्पतालों से तुलना करने को कहूंगा जिससे वे कुछ निष्कर्ष निकाल सकें । मैं विश्वास करता हूं कि वे इस बात से सहमत होंगे कि नर्सों के प्रशिक्षण में प्रसंशनीय तथा चतुर्दिग विकास हुआ है । मुझे उनकी बातों पर दुख है । ज्ञात होता है उन्होंने इस विषय पर आज प्रातः ही बोलने का निश्चय किया ।

दूसरी बात उन्होंने यह बतायी कि विद्यार्थियों से अधिक कार्य लिया जाता है । लेकिन विद्यार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण देना होता है । हमने प्रशिक्षार्थी नर्सों के लिये घंटे निर्धारित किये हैं । मेरे माननीय मित्र को चाहिये कि वे राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में शिकायत करें ।

उन्होंने यह भी कहा है कि जहां ११० नर्सें होनी चाहियें वहां ६० से ६५ तक प्रशिक्षार्थी नर्सें होत हैं । मैं ऐसी संस्था को बधाई देता हूं कि जो इस प्रकार का त्याग करती है कि वह आवश्यकता से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे सकती हैं । क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिले । क्योंकि यदि प्रशिक्षण के समय उन्हें ज्येष्ठ नर्सों की सहायता और अनुदेश मिलते हैं। हमारा यही आदर्श है हम चाहते हैं कि अस्पताल अधिक नर्सों को प्रशिक्षित करें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मेरी बातों को समझने में भ्रांति हुई है । वस्तुतः नर्सों के प्रशिक्षण का जिक्र करते हुए मैं ने बताया था कि एक विशेष अस्पताल में जहां १०५ वैतनिक नर्सें होनी चाहियें वहां केवल ५० वैतनिक नर्सें हैं अवशेष ६५ प्रशिक्षार्थी नर्सों को पूरे दिन काम करना पड़ता है । यह बहुत आपत्तिजनक है ।

यह ठीक है कि इस बात की शिकायत राज्य सरकार से की जानी चाहिये—मैंने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कहा है ।

†**श्री करमरकर :** मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में इससे अधिक और कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि यह विशेष मामले पर आधारित हैं । मान लीजिये विद्यार्थी परिचारिकाओं[1] को धन बचाने के लिए रखा जाता है जिसके कारण रोगियों का उपचार ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है तो हमें इसकी ओर ध्यान देना हैं । परन्तु जैसा कि मैंने बताया कि केवल इस आधार पर कि विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है, मामला खराब नहीं होता है । इसके अतिरिक्त मेरा तो अपना यह विचार है कि यदि विद्यार्थियों को अस्पतालों में निर्धारित घंटों से अधिक प्रशिक्षण दिया जाये तो वह अधिक प्रवीण परिचारिकायें बन सकती हैं ? यह दूसरा मामला है कि हम जितना उचित है उससे अधिक काम उनसे लें ।

मैं विवाहित परिचारिका के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनकी अपनी समस्यायें होती हैं और उन पर भी विचार करना आवश्यक है । भारत सरकार के अधीन दिल्ली के एक अस्पताल में, हमने १५ विवाहित परिचारिका नियुक्त की थीं । मैं ने देखा

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Nurse.

[श्री करमरकर]

कि उनको काम करने की उचित सुविधायें दी गई हैं । सफदरजंग अस्पताल में १५ पद तथा विलिंगडन में ६ पद पार्ट-टाइम नर्सों के बनाए गए । ये परिचारिकायें दिन में ६ घंटे काम करती थीं और साधारणतया उनको रात्रि में काम करने के लिए तथा रविवार को काम करने के लिए आदेश नहीं दिए जाते हैं । इन पार्ट टाइम नर्सों के लिए वेतन क्रम ७०-५-१०० रुपये और मंहगाई भत्ता तथा और भत्ते जिनकी राशि ७३.७५ रुपये होती है स्वीकृत है । इस सम्बन्ध में मैं, और कुछ नहीं कहूंगा ।

जैसा कि मैं ने बताया विवाहित परिचारिका के द्वारा बड़ी समस्यायें उत्पन्न होती हैं। अविवाहित परिचारिका से आशा की जाती है कि वह अस्पतालों में पूरे समय काम कर सकेंगी । परन्तु विवाहित परिचारिकाओं को प्रसूती अवकाश आदि सुविधायें दी जाती हैं । मैं नहीं जानता कि एक समय में कितनी परिचारिकायें काम पर होती हैं । मैं इस प्रश्न पर और अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है केवल मूं ही डा० सुशीला नायर ने उत्पन्न कर दिया था ।

†श्री नारायणन कुट्टि मेनन (मुकंदपुरम) : मुझे लोक सभा सचिवालय से एक जानकारी मिली है कि सफदरजंग अस्पताल की कुछ नर्सें अस्पताल से बाहर रहती हैं ।

†श्री करमरकर : मुझे प्रसन्नता है कि कुछ इस ओर के सदस्यों ने तथा कुछ उस ओर के सदस्यों ने सफदरजंग अस्पताल की नर्सों की काम करने की दशा के सम्बन्ध में रूचि दिखाई है । ऐसा मालम होता है कि यह प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न बन गया है । यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है इसलिए मैं इसके सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहूंगा। एक विवाहित नर्स का मामला है । यह नर्स कुछ माननीय सदस्यों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित कर सकी । मैं उस मामले की भलाई बुराई के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं । सफदरजंग अस्पताल में विवाहित नर्सों के किसी अतिथि ने शिकायत की हो ऐसी बात नहीं है । केवल एक नर्स का मामला बार बार उठाया जा रहा है । मैंने उस मामले पर विचार किया था और उसमें मुझे कोई आपत्तिजनक बात नजर नहीं आई।

सामान्य प्रथा इस प्रकार की रही है कि व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं की जाती है परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि सफदरजंग अस्पताल में विवाहित नर्सों के बहुत से महत्वपूर्ण मामले असुविधाओं के सम्बन्ध में हुए हों । मैं बार बार यह बताना चाहता हूं कि केवल एक मामला था जिस पर हम विचार कर चुके हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"भारतीय परिचर्या परिषद् अधिनियम, १९४७, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ तथा ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ तथा ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

(खण्ड ४—धारा ३ का संशोधन)

†**श्री मोहम्मद इलियास** : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५ से १० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ११—(नई धारा १५ क तथा १५ख का रखा जाना)

†**श्री मोहम्मद इलियास** : मैं अपने संशोधन संख्या २ तथा ३ प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संख्या २ और ३ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११ विधेयक का अंग बने ।"

खण्ड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२ से १५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

†**श्री करमरकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : विधेयक के तृतीय वाचन में, मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में एक गलत धारणा फैल गई है और मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का आरोप डाक्टरों तथा नर्सों पर नहीं लगाया गया है अपितु अस्पताल के सभी प्राधिकारियों के विरुद्ध लगाया गया है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री भी इससे सहमत होंगे कि चिकित्सा सेवाओं में से भ्रष्टाचार पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन कुट्टि मेनग]

मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जिससे परिचर्या परिषद् को कुछ अधिक प्राधिकार मिल जायेंगे । परन्तु मैं आशा करता हूं कि जो कुछ बुराइयां अभी इस विधेयक में हैं उनको शीघ्रता से दूर कर दिया जायेगा ।

माननीय मंत्री ने कहा कि नर्सों की भरती के लिए अर्हतायें निर्धारित हैं । मैं मानता हूं कि कुछ राज्यों में अर्हतायें हैं परन्तु वह सब राज्यों में अलग अलग प्रकार की हैं । चर्चा में बताया गया कि सरकार ने यह व्यवस्था रखी है कि विवाहित कर्मचारियों को इस सेवा में नहीं लिया जाये । यह तर्क का विषय है कि विवाहित से कार्य क्षमता बढ़ती है अथवा घटती है । इसीलिए हमने इसकी सिफारिश नहीं की है।

एक नर्स का मामला उठाये जाने पर माननीय मंत्री क्रोधित हो उठे परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि मामला केवल एक नर्स का नहीं है अपितु कुछ और नर्सों का भी है । इसलिए सरकार को एक सिद्धान्त बना लेना चाहिए कि विवाहित कर्मचारियों को परिचर्या सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा। अन्यथा जब उनको सेवा में ले लिया गया है तो उनके साथ उदारता से व्यवहार करना चाहिए । माननीय मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत मामलों पर सभा में विचार नहीं किया जाता है । परन्तु मैं कह देना चाहता हूं कि हम जितना ध्यान करोड़ों लोगों का रखते हैं उतना ही ध्यान एक व्यक्ति का भी रखते हैं । और चाहते हैं कि उनके साथ भी न्याय हो । यह मामला एक नर्स के साथ पक्षपात का मामला नहीं है। हमारी जितनी रूचि विवाहित नर्सों में है उतनी ही अविवाहित नर्सों में भी है । हम तो यह चाहते हैं कि उनके साथ न्याय किया जाये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नर्सों की अर्हताओं तथा भरती के तरीकों को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए । हमारे देश में अर्हता प्राप्त नर्सों की बड़ी भारी कमी है और हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जितनी अधिक हो सकें उतनी नर्सों का प्रशिक्षण किया जाये । जिससे नर्सों से जो अधिक काम लिया जाता है वह न लिया जा सके । मेरी माननीय मंत्री से अपील है कि वह इस विधेयक के पारित हो जाने से ही संतुष्ट न हो जायें अपितु सेवा में ऐसे संविदित अधिकार बनाने चाहिएं जिससे सभी राज्यों में सेवा की शर्तें समान हो जावें । क्योंकि किसी किसी राज्य में नर्सों को १५-१६ घंटे काम करना पड़ता है । बम्बई के अस्पतालों में नर्सों ने सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में कुछ औद्योगिक विवाद उठाये थे । हम इससे सहमत हैं कि अस्पताल के कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए परन्तु साथ ही साथ हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि उनको किन कारणों से बाध्य होकर हड़ताल करनी पड़ी । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री सेवा की शर्तें बनाने हेतु अधिकार लेने के सम्बन्ध में नया संशोधन शीघ्र प्रस्तुत करेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था कि एक बड़ी बुरी प्रथा प्रचलित है । यदि उनके पास इस प्रथा को दूर करने के अधिकार नहीं हैं अथवा, यदि यह राज्य का मामला है तो बात दूसरी है । परन्तु यदि माननीय मंत्री इसको अपना समर्थन दें तो अच्छा होगा और इसीलिए मैं ने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है कि वह इस पर उचित विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** केवल दो बातें हैं जिनका मुझे उत्तर देना है क्योंकि अन्य बातें ऐसी हैं जिनका मैं उत्तर दे चुका हूं । मेरा विचार है कि पहले जब माननीय सदस्य बोले थे उस समय वह पत्रों को बिना पढ़े बोले थे । क्योंकि जिन अधिकारों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा वह अधिकार लेने के लिए हमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी । मैं चाहता हूं कि वह जानते हैं कि यह विषय राज्य सरकारों का है । हम राज्य सरकारों तथा केन्द्र को समान बनाने का प्रयत्न करते हैं । मेरे विचार से उन्हें संविधान का अध्ययन करना चाहिए । हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि किसी राज्य के अस्पतालों के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।

श्री माथुर के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपा करके वह उस अस्पताल का नाम बतायें जहां उन्होंने इस प्रकार की बातें देखी हैं । मेरे विचार से सभी अस्पतालों में इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं । यदि वह मुझे अस्पताल के बारे में सभी बातें बतायें तो मैं वादा करता हूं कि मामलों के तथ्य उस राज्य को भेज दूंगा । परन्तु इस प्रकार के प्रश्नों का सदा यही उत्तर आता है कि इन परिस्थितियों में हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर दिया है । मैं आशा करता हूं कि वह सभी ब्यौरे मुझे बता देंगे जिससे मैं उन्हें राज्य सरकार को भेज दूंगा । और राज्य सरकार जो कुछ कर सकेगी कर देगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अफीम विधि (संशोधन) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अफीम अधिनियम, १८७८, तथा खतरनाक औषधि अधिनियम, १९३०, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक सीधा सा विधेयक है । इससे अफीम शब्द की परिभाषा की गई है और कुछ अधिकार लिए गए हैं जिससे तस्कर व्यापार को रोका जा सके । इस के सम्बन्ध में कुछ बताना आवश्यक है ।

अफीम बनाने के लिए पोस्त की खेती पर, मादक औषधि आयुक्त द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के द्वारा केन्द्रीय सरकार नियंत्रण रखती है । इस प्रकार अनुज्ञप्ति प्राप्त खेती उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, तथा मध्य प्रदेश के स्वीकृत जिलों में की जाती है। इसके अतिरिक्त पंजाब में पोस्त की खेती राज्य सरकार द्वारा की गई अनुज्ञप्ति के अधीन होती है । पोस्त के डोडों में नश्तर लगाकर अनुज्ञप्ति प्राप्त किसान कच्ची अफीम निकालते हैं जिसकी पूर्व निश्चित मूल्य पर मादक वस्तु आयुक्त को दे दिया जाता है । पोस्त तथा डोडे किसान की सम्पत्ति होते हैं जिनको वह बाजार में बेचते हैं । इस प्रकार खरीदी गई कच्ची अफीम में से शोधित अफीम गाजीपुर अफीम कारखाने में बनाई जाती है, और इस की बिक्री पर राज्य उत्पादन विभाग का नियंत्रण रहता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

परन्तु कुछ राज्य पोस्त के डोडों की बिक्री तथा उसके आयात निर्यात पर भी नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि इनमें भी कुछ मात्रा में अफीम रहती है और अफीम के खाने वाले प्रायः इसमें से अफीम की मात्रा निकाल लेते हैं । सामान्यतया यह व्यवस्था पंजाब, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में है क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों से पोस्त के डोडों का आयात करते हैं ।

१९४९ में मादक वस्तु सम्मेलन में राज्य सरकारों के परामर्श से एकमत हो कर निर्णय किया गया था और उसी आधार पर केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में घोषणा की थी कि १९५९ तक अफीम को खाने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । केवल उन्हीं को खाने की अनुमति होनी चाहिए जिनको औषधि रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो । इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए, राज्य सरकारों को अफीम का संभरण क्रमशः प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत के हिसाब से कम कर दिया गया है । और मार्च १९५९ को संभरण बिल्कुल बंद कर दिया जायेगा । अफीम के संभरण को धीरे धीरे कम कर देने से दूसरी मादक वस्तु 'मुक्की' को लोग खाने लगगे । इसके साथ भारत सरकार को १९२५ के जेनेवा अभिसमय, १९३१ के मादक वस्तु अभिसमय तथा १९३६ के अभिसमय के सम्बन्ध में भी प्रशासनिक कार्यवाही करनी है जिससे अफीम समेत, सभी मादक वस्तुओं की खपत तथा तस्कर व्यापार को रोका जा सके । इसी आधार पर वर्तमान विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

अफीम की परिभाषा अफीम अधिनियम १८७८ की धारा ३(१) में दी हुई है तथा खतरनाक औषधि अधिनियम १९३० की धारा २(५) में पोस्त में डोडे में भी शामिल कर लिए गए हैं । अभी तक ऐसा विचार था कि दोनों अधिनियमों की परिभाषा में दिये हुए डोडे भी शामिल हैं । परन्तु दिसम्बर १९५५ में पंजाब उच्च न्यायालय ने तीन मामलों में निर्णय दिया कि पोस्त के डोडे अफीम की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इस निर्णय के फलस्वरूप पंजाब सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा और यह बाजार में खुले आम बिकने लगे । पंजाब सरकार को इसकी बड़ी चिन्ता है । उन्होंने भारत सरकार को लिखा है कि या तो परिभाषा में कुछ अन्तर कर दिया जाये अथवा कोई ऐसी कार्यवाही की जाये जिससे इस प्रकार की बातें न हों । यदि स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई अफीम निषेध की नीति लागू नहीं की जा सकती है । कुचले हुए रूप में नश्तर लगे डोडे तथा बिना नश्तर लगे डोडे को पहचाना जाना बड़ा कठिन है । इसलिए पंजाब सरकार ने प्रार्थना की है कि दोनों अधिनियमों की परिभाषा बदल दी जाये । आप जानते ही हैं कि 'मुक्की' की अनियंत्रित बिक्री पर जनता भी नियंत्रण लगाना चाहती है । इसीलिए इन दोनों अधिनियमों में अफीम की परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए संशोधन प्रस्तुत किया गया है ।

विधेयक के खण्ड ३, ६ तथा ७ में उपबंधित दण्ड की बढ़ोतरी करने के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने अभी बताया कि अफीम के संभरण में कमी करने के कारण राज्यों में तस्कर व्यापार बढ़ता जा रहा है । १९५६ तक पाकिस्तान से बहुत कम अफीम भारत में तस्कर व्यापारियों द्वारा लाई गई थी परन्तु अब अफीम के तस्कर व्यापार के कितने ही मामले पकड़े गए हैं । इसलिए तस्कर व्यापार पर नियंत्रण लगाना भी आवश्यक हो गया है । १८७८ अधिनियम में मुख्यतः अफीम पर राज्यों का एकाधिपत्य था और अफीम से पर्याप्त राजस्व मिलता था और इसलिए जो पण्य निर्धारित किए गए थे वह इसी आधार पर किए गए थे कि राजस्व में हानि होती है । १९३० में खतरनाक औषधि-अधिनियम के अधिनियमित

होने पर भी भारत में मद्य निषेध की नीति नहीं अपनाई गई थी। परन्तु अब स्थिति बदल गई हैं तथा राजस्व के मामले होने के बजाये अब वह अपराध माने जाने लगे हैं। इसलिए दण्ड देने के अधिकार अधिक दिए जाने चाहिएं।

आन्तरिक निषेध की नीति क्रियान्वित करने के अतिरिक्त भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय आलोचना को भी सहन करना पड़ता है। अपने अन्तर्राष्ट्रीय कर्त्तव्यों के प्रति यदि हम उदासीन रहें और अफीम का तस्कर व्यापार होता रहा तो हमें इसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। हमारे अन्तर्राष्ट्रीय वायदों के कारण भी हमें ऐसे विधि अधिकारों को लेना चाहिए जिससे तस्कर व्यापार रोका जा सके। इसलिए इन उपबन्धों का रखा जाना आवश्यक है।

गत वर्ष शिमला में हुए अखिल भारतीय मादक वस्तु सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि विभिन्न मादक वस्तु से सम्बन्धित अपराधों के लिए दण्ड बढ़ा दिया जाये। मादक औषधि आयोग के १२वें सत्र जो अप्रैल, मई, १९५७ में हुआ था। सरकारों से कहा गया था कि वह अवैध उत्पादन के रोकने के प्रयत्न करें और अवैध व्यापारियों पर प्रतिबन्ध लगावें तथा इसके अपराधियों को कठोर सजा दें। भारत भी इसमें शामिल था और उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने कथन का मान रखे।

इन परिस्थितियों में, ऐसा प्रस्ताव किया गया है, कि जहां अभी एक अथवा दो वर्षों के दण्ड की व्यवस्था है वहां तीन वर्ष के कारावास की व्यवस्था की जाये। इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य यह है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ पदाधिकारियों को अधिकार दिए जायें जिनके द्वारा वह अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। अभी राज्य सरकारें उत्पादन शुल्क, पुलिस, सीमा शुल्क, नमक, अफीम अथवा राजस्व विभाग के अधिकारियों को अधिकार देती है।

अब तस्कर-व्यापार अधिक बड़े क्षेत्र में होने लगा है और साथ ही उसका आकार भी बढ़ गया है। इसीलिये, उसके बारे में कोई उपाय करना ही चाहिये। अब तस्कर-व्यापार केवल एक ही राज्य तक सीमित नहीं रहा है। वह भारत के समूचे सीमा-प्रान्तों में फैल चुका है और एक से दूसरे राज्य में फैलता जा रहा है। हम स्वर्ण इत्यादि में होने वाले तस्कर-व्यापार के मामलों को देख कर, इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें मार्ग-दर्शन के लिये एक सामान्य गुप्तचर विभाग रखना चाहिये और केन्द्रीय आधार पर उसका कार्य संचालन करना चाहिये, जिस से कि हम इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ सकें। इसलिये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को ऐसे तस्कर-व्यापारियों तथा उनके माल को पकड़ने और इस प्रकार तस्कर-व्यापार निरोधक उपायों को बदलने की भी शक्तियां प्रदान की जानी चाहियें।

इस विधेयक की मुख्य व्यवस्थायें यही हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कासलीवाल (कोटा) : मैं इस चर्चा में दो कारणों से भाग ले रहा हूं। पहला तो यह कि संसद् में पहली बार अफीम सम्बन्धी विधियों पर चर्चा करने का अवसर मिला है, और दूसरा यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अफ़ीम की खेती एक बड़े पैमाने पर होती है। और में अफ़ीम विधियों के प्रशासन के सम्बन्ध में एक-दो बातें कह सकता हूं।

तस्कर-व्यापार के लिये अधिक दन्ड करने की व्यवस्था से मैं सहमत हूं। अन्य अधिकारियों को अधिक शक्तियां देने की व्यवस्था से भी मैं सहमत हूं।

लेकिन, मेरी भावना यह है कि देश में तस्कर-व्यापार निरोधक उपायों में कुछ अधिक सख्ती करनी चाहिये। उसके लिये कुछ अधिक पुलिस रखनी चाहिये। उन्हें जनता से सहयोग बढ़ाना चाहिये।

माननीय मंत्री ने यह तो कहा है कि भारत सरकार अफ़ीम रखने की आदत में क्रमशः कमी करना चाहती है, लेकिन अफ़ीम की खेती के सम्बन्ध में उनकी नीति क्या है? क्या इसकी खेती के क्षेत्र को भी कम किया जायेगा? बताया गया है कि यह इस बात पर निर्भर है कि विदेशों से इस की कितनी मांग आती है। शायद यही सही है।

एक बार एक ऐसे प्रस्ताव की चर्चा हुई थी कि शायद सरकार स्वयं ही अफ़ीम की खेती अपने अधिकार में ले लेगी, निजी व्यक्तियों पर उसकी खेती का भार नहीं रहने दिया जायेगा। लेकिन, अब शायद सरकार ने वह विचार त्याग दिया है।

मैं सरकार की इस नीति का स्वागत करता हूं कि सरकार अधिक तस्कर-व्यापार वाले क्षेत्रों को बन्द करने जा रही है। राजस्थान और जम्मू में इसे बन्द कर दिया गया है। लेकिन, अफीम की खेती के लिये कृषकों को भूमि का बंटवारा करने के सम्बन्ध में सरकारी नीति क्या है? यह निश्चित न होने से कृषकों को बड़ी कठिनाई पड़ती है। इसका कारण यही है कि अफ़ीम की खेती बड़ी लाभ-दायक है।

सरकार को प्रति वर्ष अफ़ीम की मांग के अनुसार अपनी नीति निश्चित करनी पड़ती है, इसलिये अच्छा हो यदि सरकार काफ़ी पहले से कृषकों को अपनी नीति के सम्बन्ध में चेतावनी दे दे, जिससे कि आवश्यकतानुसार वे अपना प्रबन्ध कर सकें।

दूसरी चीज़ यह है कि सरकार को अफ़ीम की खेती के लिये भूमि के आवंटन की व्यवस्था में सुधार करना चाहिये। व्यक्तिगत रूप से किसानों को बुला कर जिला अफीम अधिकारी द्वारा आवंटन कराने से भ्रष्टाचार की काफी गुंजायश रहती है।

मैंने पांच वर्ष पूर्व भी इसकी शिकायत की थी, और उस समय के सम्बन्धित माननीय मंत्री ने उस पर कार्यवाही भी की थी। आज उच्चाधिकारियों में तो भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन नीचे के स्तर के लोग अवश्य उससे रुपये बनाते हैं।

एक और भी सुधार यह किया जा सकता है कि अफीम को तौलने और कृषकों को रुपया अदा करने का कार्य जिला प्रधान कार्यालयों में या तहसीलों में नहीं किया जाना चाहिये। ज़िला अफ़ीम अधिकारी स्वयं तहसीलों में जा कर उसकी तोल और कृषकों की अदायगी करा सकते हैं।

कृषक जब अपनी अफ़ीम तौलने के लिये जिला प्रधान कार्यालय में लाता है तब रास्ते में ही कुछ अफ़ीम गायब हो जाती है, और शायद उसी का तस्कर-व्यापार होता है। इसलिये, इस सम्बन्ध में अधिक सतर्क उपाय करने चाहियें और कृष कों को कुछ सुविधायें भी दी जानी चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कोडियान (क्विलोन–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : यह कोई विवाद-ग्रस्त विषय नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अफ़ीम खाने की आदत को क्रमशः कम करने के साथ साथ, सरकार को इसके कृषकों के हित भी ध्यान में रखने चाहियें। उन्हें काफ़ी पहले से अगले वर्ष की सम्भावना के बारे में बता देना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे इस की व्यवस्थाओं से बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन सरकार को इस विधेयक के कार्यान्विति और इसके प्रभावी नियंत्रण के लिये सतर्कता से कार्य करना चाहिये।

विभिन्न अधिनियमों के बावजूद, देश में तमाम औषधियां ऐसी भी निर्मित होती हैं जो खतरनाक और जाली होती हैं। इसलिये, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन विधानों को कार्यान्वित करने के लिये एक प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिये। निरीक्षक अधिकारियों को और अधिक कर्मचारी दिये जाने चाहियें।

दूसरी चीज़ यह है कि इस विधान के अन्तर्गत अन्य नशीले पदार्थों जैसे चरस और गांजे को भी रखना चाहिये।

†श्री ब० रा० भगत : मैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस विधान का पूरा-पूरा समर्थन किया है। उन्होंने अफ़ीम अधिनियम के प्रशासन, अफ़ीम की खेती सम्बन्धी नीति और इनके भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बातें कही हैं। वे सभी राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं।

अफ़ीम के उत्पादन के सम्बन्ध में ही, केन्द्र द्वारा नीति निर्धारित की जाती है। उसकी बिक्री और उसके तस्कर-व्यापार के प्रश्न राज्य के क्षेत्राधिकार में हैं। इसलिये, इस में प्रशासन और संगठन की विविधता ही है। इसीलिये, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रशासन के कुछ क्षेत्रों में कुछ त्रुटि हो सकती है।

हमने दण्ड बढ़ाने और प्रशासन से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को भी सम्बद्ध करने की जो शक्तियां ग्रहण की हैं, उनके फलस्वरूप केन्द्र मार्ग-दर्शन और कार्य-संचालन में भी योग दे सकेगा। उससे कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि प्रशासन के तरीक़ों और तस्कर-व्यापार निरोधक उपायों में कुछ सख़्ती करने की आवश्यकता है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि इसके लिये जितने भी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी नियुक्त किये जायेंगे और इस की ओर भविष्य में अधिक ध्यान दिया जायेगा। सभी माननीय सदस्यों और विशेषतया इस की खेती वाले क्षेत्रों के माननीय सदस्यों के सुझावों का स्वागत किया जायेगा। कार्यक्षमता में वृद्धि करने या तस्कर-व्यापार रोकने के सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य ने इसके उद्देश्य या महत्व के सम्बन्ध में जो भी अन्तर बताया है वह सही नहीं है।

मैं समझता हूं कि अफ़ीम की खेती के सम्बन्ध में भी सरकार की नीति स्पष्ट है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ही, मैंने बताया था कि मार्च १९५९ तक अफ़ीम की आंतरिक खपत केवल पंजीयित व्यसनी लोगों तक ही सीमित कर दी जायेगी। इसलिये, इसकी खेती औषधि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली मार्फीन और कोकीन के सम्भरण की मांग को पूरा करने के लिये ही की जायेगी। माननीय सदस्य जानते हैं कि इसका निर्यात भी किया जाता है। हम मार्फीन और कोकीन बाहर भी भेजते हैं। भविष्य में अफ़ीम की खेती का प्रयोजन केवल औषधीय उपयोगों की मांग पूरी करने के लिये ही होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

आज भी इस की खेती का क्षेत्र घट गया है। पहले इसकी खेती ७–८ लाख बीघों में होती थी, जो अब एक लाख ही रह गई है। भविष्य में इसकी खेती देश की आंतरिक औषधीय मांगों और निर्यात के लिये ही की जायेगी। इसकी खेती के सम्बन्ध में हमारी यही निश्चित नीति है।

मैं मानता हूं कि अनुज्ञप्तिकरण की पद्धति से कृषकों को कठिनाई होती है, क्योंकि उन्हें यह निश्चय नहीं रहता कि उन्हें अनुज्ञप्ति मिलेगी या नहीं। लेकिन, प्रशासन इस में कुछ सहूलियतें पैदा कर सकता है। हमें यथासम्भव कम से कम भ्रष्टाचार होने देना चाहिये। इसके उद्देश्यों से तो हम सभी सहमत हैं ही। इस में निरन्तर सतर्कता की आवश्यकता है।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य, विशेषकर इसकी खेती के क्षेत्रों वाले माननीय सदस्य, इस में सतर्कता रखें। भ्रष्टाचार खत्म करने का यही तरीका है।

मैं अन्त में बोलने वाले माननीय सदस्य की बात ठीक से नहीं समझ सका हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अफ़ीम अधिनियम, १८७८, तथा खतरनाक औषधि अधिनियम, १९३०, में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ९ तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ९ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १ (संक्षिप्त नाम)

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

मैं अपने संशोधन द्वारा कोई नया विचार विधेयक में नहीं जोड़ रहा हूं। मैं केवल इसका संक्षिप्त नाम बदलना चाहता हूं जिससे कि इसकी कोई अवांछित व्याख्या न की जा सके।

चूंकि इसमें खतरनाक औषधि अधिनियम की भी कुछ व्यवस्थाओं का संशोधन किया जा रहा है, इसलिये इसे केवल अफीम विधि न कह कर, अफीम तथा खतरनाक औषधि (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहना भी अधिक उचित है।

लेकिन, खण्ड १ में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

खण्ड १ के अनुसार तो यह केवल अफीम विधि से ही सम्बन्धित है। इससे इसकी न्यायिक व्याख्याओं में गड़बड़ी पैदा हो सकती है।

मेरे संशोधन का आशय यही है कि अनियमित व्याख्याओं की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए।

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य ने इस विषय में जो विद्वतापूर्ण निरूपण किया है, वह सराहनीय है। सरकार ने इस दृष्टिकोण पर भी विचार किया था। विधि

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय ने भी इस प्रश्न पर विशेष तौर से विचार किया था । इस विधेयक द्वारा दो अलग अलग अधिनियमों की समान व्यवस्थाओं में संशोधन किया जा रहा है । उनके शब्द और व्यवस्थायें वास्तव में समान ही हैं । विधि मंत्रालय ने इसके विधि सम्बन्धी सभी पक्षों की, माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित प्रश्न की भी, जांच की थी । उसने हमें सलाह दी है कि माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये नाम की अपेक्षा वर्तमान नाम ही अधिक उपयुक्त रहेगा । इसलिये, मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम गैर-सरकारी कार्य लेंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

दसवां प्रतिवेदन

†**श्री श० च० गोडसोरा** (सिंहभूम–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २७ नवम्बर, १९५७ को प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं प्रस्ताव को सभा के सामने रखता हूं ।

प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

कास्टिंग परिणामों के प्रमाणीकरण के बारे में आवश्यक योग्यता वाली परीक्षाओं के नियंत्रण के लिये संविहित निकाय सम्बन्धी संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री नरसिंहन् के १५ नवम्बर, १९५७ के संकल्प से सम्बन्धित चर्चा को जारी रखेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं श्री नरसिंहन् के संकल्प का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं ।

इस संकल्प का यही सब से उपयुक्त समय है । अब देश समाजवादी ढंग के समाज की ओर प्रगति कर रहा है और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में नियंत्रण की आवश्यकता भी साथ ही बढ़ती जा रही है । श्री नरसिंहन् ने जो साधन बताया है, वह उद्योग के दोनों क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिये नितान्त आवश्यक है ।

प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति ने प्रशिक्षित लागत लेखा-परीक्षकों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है । लोकलेखा समिति ने तो यह भी कहा है कि यदि आरम्भिक अवस्था में ही लेखे ठीक ढंग से रखे जायें तो बाद में कोई बड़ी गलती नहीं हो सकती । हमें यह जानने के लिये कि हमारी निधियों का व्यय उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं लागत-लेखा परीक्षकों की बड़ी आवश्यकता है ।

इन दोनों संसदीय समितियों की भी यही राय है कि प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम में आवश्यक रूप से लागत लेखा परीक्षक रखे जाने चाहियें । उस समय के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री ने भी उस समय इसी आवश्यकता पर जोर दिया था । उन्होंने तो यहां तक कहा था कि उद्योगपति जो भी मांग उठाते हैं, उन्हें उनका औचित्य लागत-लेखा परिणामों से सिद्ध करना चाहिये । उनका यह भी मत था कि लागत लेखा परिमाणों को प्रमाणित करने वालों की प्रशिक्षा के निकायों को सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिये ।

इस लिये, इस संकल्प को स्वीकार करने का पर्याप्त आधार सरकार के पास मौजूद है । अभी तक माननीय मंत्री ने इस दिशा में क्या किया है ?

मैं लागत लेखा परीक्षा का महत्व जानता हूं । प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अपना-अपना लागत लेखा-परीक्षक रखती है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण-कार्यों को देखते हुए, उनका महत्व और भी बढ़ जाता है ।

श्री श्रीनारायण दास ने एक संशोधन रखा है कि इस प्रश्न की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जाये । मैं उसकी आवश्यकता नहीं समझता ।

†श्री हेडा (निज़ामाबाद) : वैसे तो स्वतंत्र व्यापार की अर्थ-व्यवस्था में प्रतियोगिता की भावना रहने के कारण लागत में स्वयं ही कमी होती जाती है और मूल्य गिर जाते हैं, इसलिये ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहती । लेकिन, अब तो सभी देशों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यापार की अर्थ-व्यवस्था नहीं रह गई है ।

लेकिन, कुछ उद्योगों में, जैसे कि आन्ध्रप्रदेश की हैदराबाद लैमिनेटेड फैक्टरी में, कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण एक एकाधिकार सा हो जाता है ।

दूसरी चीज़ यह भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र भी बनते जा रहे हैं और उन में प्रतियोगिता की भावना को स्थान नहीं रहता । वहां लागत में मितव्ययता करने की कोशिश नहीं की जाती ।

हमारा अनुभव यह है कि भिन्न-भिन्न कोयला खदानों में कोयले की लागत भिन्न-भिन्न होती है, इसलिये वहां उत्पादों की वास्तविक लागत का लेखा करने की कोई व्यवस्था होनी ही चाहिये । तभी हम उस में मितव्ययता करने के उपाय निकाल सकते हैं । इसीलिये, इन सब को देखते हुए, उचित रूप में लागत लेखा-परीक्षा की आवश्यकता स्पष्ट ही है । प्राक्कलन समिति और लोकलेखा समिति

†मूल अंग्रेजी में

दोनों ने ही इस पर जोर दिया है। हमारी सरकार समस्याओं को समझती है और उनके हल भी निकालने के लिये विख्यात है, लेकिन मुश्किल तो यह है कि वह उन हलों को कार्यान्वित करने में तत्परता नहीं दिखाती ।

१९४८ में पारित किये गये औद्योगिक नीति संकल्प को कार्यान्वित करने के लिये अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है । इसके सम्बन्ध में भी यही कठिनाई है ।

हो सकता है कि सरकार इस संकल्प को भी वापस कराने की चेष्टा करे, लेकिन जब तक सरकार कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं देती तब तक माननीय प्रस्तावक को इसे वापस नहीं लेना चाहिये। सरकार को स्पष्ट रूप से आश्वासन देना चाहिये कि लागत लेखा परिणामों के प्रमाणीकरण के लिये योग्य व्यक्तियों की प्रशिक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा ।

हमारी औद्योगिक प्रगति को देखते हुए इसकी आवश्यकता और भी महत्वपूण होती जा रही है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम्) : मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लें ।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है । हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी लागत लेखा-परीक्षा उचित ढंग से नहीं की जाती, रेलवेज़ में भी नहीं। प्राक्कलन समिति ने हाल ही में कहा था कि रेलवेज में लागत लेखा-परीक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। उसने उनकी अधिक भर्ती की भी सिफारिश की थी, लेकिन उस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं किया गया है। लागत, लेखा-परीक्षकों के अभाव में हम उत्पादों की वास्तविक लागत की गणना नहीं कर पाते ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट रेलवेज़ को जो सवारी डिब्बे सम्भरित करता है, वह उनकी ठीक लागत नहीं बता पाता । लागत लेखा-परीक्षा के बाद पता चला है कि उनकी लागत स्विटजरलैंड से आयात किये जाने वाले सवारी डिब्बों की तुलना में बहुत ही कम बैठती है । अमरीका और सोवियत संघ में लागत लेखा-परीक्षक को बहुत महत्व दिया जाता है । लागत लेखा-परीक्षकों की आवश्यकता को देखते हुए, हमें यह संविहित निकाय स्थापित करना ही चाहिये ।

कोयला खदानों का नियंत्रण सरकार करती है, लेकिन यह उत्पादन-लागत का शीघ्र ही कोई मूल्यांकन नहीं कर पाती । उसके लिये न्यायाधिकरण को निर्णय करना पड़ता है । अब इसके लिये एक समिति नियुक्त की जा चुकी है। इस से स्पष्ट है कि हमारे देश में उचित लागत लेखा-परीक्षा नहीं होती ।

इसलिये, मैं इसका समर्थन करता हूं और मेरा अनुरोध है कि श्री नरसिंहन् इसे वापस न लें ।

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : माननीय मित्र श्री नरसिंहन् द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प के दो भाग हैं। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा था । पहले भाग में तो उद्देश्य है, और दूसरे भाग में कार्यक्रम ; मैं उसे क्रियाकारी भाग कहता हूं ।

मुझे संकल्प के पहले भाग, अर्थात् इसके उद्देश्य से पूरी सहानुभूति है । यह तो स्वाभाविक है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के युग, अणु-शक्ति और स्पुटनिकों के युग में लागत लेखा-परीक्षा का

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्धी निकाय

[श्री ब० रा० भगत]

महत्व अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। १९ वीं शताब्दी के दिनों में, प्रौद्योगिकी की आरम्भिक प्रगति के काल में, तो प्रतियोगिता की प्रक्रिया काम करती थी। वह अधिक मितव्ययता पूर्ण और कार्य-क्षम भी थी। लेकिन, प्रौद्योगिकी और विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ, हमारी औद्योगिक मशीनें भी अधिकाधिक पेचीदा बनती गई हैं। एक इकाई मात्र के उत्पादन में भी सैकड़ों प्रक्रिया चलती हैं, और कोई भी लेखा-परीक्षक या अधिकृत लेखा-परीक्षक उत्पादन के प्रतियोगी पक्ष को निर्धारित नहीं कर सकता।

इसलिये, मैं लागत लेखा-परीक्षा की आवश्यकता को समझते हुए भी, श्री दासप्पा की इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रतियोगी तत्व के स्थान की पूर्ति लागत लेखा-परीक्षक द्वारा की जा सकती है। मैं तो यह कहूंगा कि लागत लेखा-परीक्षा प्रतियोगिता की प्रक्रिया का एक साधन है, उसी साधन द्वारा औद्योगिक उत्पादन की किसी व्यवस्था विशेष की कार्यक्षमता और मितव्ययता का निर्धारण किया जाता है।

माननीय सदस्य ने आधुनिक संसार के दो सब से उन्नत देशों का उदाहरण प्रस्तुत किया था। अमरीका को ही लीजिये। अमरीका लागत लेखा-परीक्षा की इस व्यवस्था का सब से अधिक और सर्वोत्तम उपयोग करता है। इसी प्रकार सोवियत संघ में भी पूर्णतया उत्पादक व्यवस्थायें और संगठन हैं। वह भी उस व्यवस्था का उपयोग करता है। अमरीका तो इस व्यवथा को प्रतियोगी कार्य-क्षमता निर्धारित करने के एक साधन के रूप में उपयोग करता है और सोवियत संघ इस का उपयोग औद्योगिक व्यवस्था की विभिन्न प्रक्रियाओं या संगठन की मितव्ययता और कार्यक्षमता निर्धारित करने के एक साधन के रूप में करता है।

इसलिये, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि विकास और उद्योगीकरण का कार्यक्रम बनाने वाले भारत देश के लिये लागत लेखा-परीक्षा अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। सभा जानती है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने गृह-कार्य मंत्री के सभापतित्व में योजना की परियोजनाओं के लिये एक समिति नियुक्त की है। उस समिति ने विभिन्न उप-समितियां नियुक्त की हैं, जिन में कई मुख्य मंत्री भी हैं,। और, जहां भी विशेषज्ञों की आवश्यकता समझी गई है, वहां इंजीनियरिंग विशेषज्ञों, प्रौद्योगिक विशेषज्ञों, लेखा-परीक्षकों, लागत लेखा-परीक्षकों इत्यादि के दल और तालिकायें नियुक्त की गई हैं।

मैं ने कल सभा के कुछ आंकड़े बताये थे। इमारत सम्बन्धी समिति, इमारतों सम्बन्धी दल ने स्टोरेज के पक्ष, भवन-निर्माण के पक्ष की परीक्षा की है कि सामग्री का क्या उपयोग किया जाये, उस में कितना सीमेंट लगना चाहिये और कंकरीट लगाने इत्यादि की क्या प्रक्रिया होनी चाहिये। यही लागत लेखा परीक्षा है। इसी के द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया की कार्यक्षमता और मितव्ययता का निर्धारण किया जायेगा। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। यह एक अत्यन्त ही प्रविधिक प्रक्रिया है, जिस का विकास करना पड़ेगा और जो औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक यंत्र के साथ ही साथ बढ़ती जायेगी।

हम प्राक्कलन समिति की सिफारिशों तथा जो विचार माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उनकी सराहना करते हैं क्योंकि यह सरकार की आज की नीति के अनुरूप ही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि शीघ्र ही कॉस्टिंग तथा कार्य लेखापालों के लिये एक संस्था स्थापित की जाये। अब मैं आगे चलता हूं और उन्हें सरकार का उत्तर भी बताता हूं जो कि उससे उलट है। वह है "कॉस्टिंग और कार्य लेखापालों की एक संस्था कलकत्ता में है जो कि समवाय अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड समवाय है। उसकी परिषद् के अच्छे माननीय सदस्य भी हैं।" यह कॉस्टिंग और कार्य लेखापालों की संस्था देश में १९४४ से चल रही है। इसका मुख्य केन्द्र जैसा कि प्रतिवेदन में लिखा है कलकत्ता में

है। और यह इसलिये किया जा रहा है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के फैलाव तथा गैर-सरकारी औद्योगिक उत्पादन के विस्तार के कारण, अच्छी कॉस्टिंग सम्बन्धी संस्था की आवश्यकता अनुभव हुई थी। और इस सब का प्रभाव यह था कि सरकार ने इस विषय की जो संस्था अव्यवस्थित रूप से १९४४ से चल रही थी, को सहायता देकर शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। उसे ३० नवम्बर, १९५६ को प्रशासनिक मान्यता प्रदान की गई। और उन्होंने सरकार की इच्छानुसार अपनी संस्था के सीमा नियमों में भी परिवर्तन किया। केन्द्रीय सरकार को संचालन संस्था में ५ आदमियों तक मनोनीत करने का अधिकार होगा इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यापार मण्डल तथा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ के प्रतिनिधि भी उसमें होंगे। सरकारी अथवा गैर-सरकारी दोनों पक्षों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। सरकार की इच्छा के बिना कोई नियम, उपनियम अथवा उपविधि नहीं बनाई जा सकती है। कोई भी उपविधि, उपविधि नहीं कहला सकती जब तक कि सरकार उसे स्वीकार न कर ले।

इस प्रकार मूल रूप में तो संस्था कार्य कर ही रही थी। परन्तु वास्तविक प्रश्न जिसे कि माननीय सदस्य चाहते हैं यह है कि इस प्रकार की संस्था हो जिसमें कॉस्टिंग लेखापालों को अधिक संख्या में प्रशिक्षण दिया जा सके और उत्पादन के विभिन्न विभागों में उनका सदुपयोग कर सके। इससे सरकारी और अन्य औद्योगिक संस्थाओं को काफी लाभ होगा। परन्तु इसे संविहित मान्यता दी जायेगी जिस प्रकार कि अधिकृत लेखापालों की संस्था तथा अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई है। इसलिये प्रस्तावक और सरकार के दृष्टिकोण में अन्तर है। अभी से ही संविहित संस्था बनाने का क्या लाभ हो सकता है? हमने एक संस्था बनाई है, और मैंने बताया है कि संस्था में परिवर्तन किया गया है और सरकार के अधिकारों की वृद्धि की गई है। प्रश्न तो यह है कि प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। संस्था द्वारा आजकल कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और पूना में परीक्षायें ली जाती हैं। आजकल विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी विभागों के लिये समुचित कॉस्टिंग लेखापालों की आवश्यकता है। जो कुछ प्रशिक्षण की सुविधायें इस संस्था द्वारा प्राप्त हो रही हैं वह भी बहुत अच्छी अवस्था में नहीं हैं। परन्तु फिर भी पुस्तकालय इत्यादि की जो भी सुविधायें संस्था द्वारा दी जा सकती हैं विद्यार्थी उससे लाभ उठा रहे हैं।

यह तो हुआ देश में कॉस्टिंग लेखा पालों के व्यवसाय को पुनर्गठन करने की ओर प्रथम पग, और सरकार ने इस संस्था को प्रशासनिक मान्यता भी प्रदान कर दी। मेरे विचार में यह अच्छा ही होगा, यदि हम इस सम्बन्ध में कुछ देर प्रतीक्षा करें और देखें कि अब सरकार के नियंत्रण में रह कर संस्था किस प्रकार प्रगति की ओर जाती है। क्योंकि प्रथम पग इस ओर प्रशासनिक मान्यता है। और मेरा विचार है कि कॉस्टिंग लेखापाल के व्यवसाय के विकसित होते ही, जब अधिक से अधिक लोग प्रशिक्षित होने लगेंगे तो हम संविहित निकाय की व्यवस्था पर भी विचार करेंगे। उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है। हमने अधिकृत लेखापालों को संविहित मान्यता प्रदान कर ही दी है। परन्तु मान्यता से पूर्व वह काफी समय तक काम करते रहे, और काम भी काफी अच्छा कर रहे थे। इसलिये इससे पूर्व कि हम इसे मान्यता दें कॉस्टिंग लेखापाल का व्यवसाय भी अधिकृत लेखापाल व्यवसाय की भांति काफी विकसित हो जाना चाहिये। और देश की अर्थ-व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को अपना स्थान बनाना चाहिये। उस समय ही ऐसी अवस्था होगी कि हम अनुभव के आधार पर इस उद्देश्य से संविहित निकाय का निर्माण कर सकेंगे। तब तक हमें शान्ति से प्रतीक्षा करनी चाहिये।

जैसा कि मैंने कहा है कि प्रस्ताव से पूर्ण रूप से सहानुभूति रखते हुए भी मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उन्हें सरकार की ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिये। सरकार

[श्री ब० रा० भगत]

इस व्यवस्था को इस संस्था द्वारा ठीक आधार पर लाने की कोशिश करेगी। और विभिन्न औद्योगिक और उत्पादक क्षेत्रों के लिये अधिकाधिक कॉस्टिंग लेखापालों की व्यवस्था की जायेगी। इसलिये मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर जोर न दें।

†श्री नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : अपने संकल्प के समर्थन के लिये सदन का आभारी हूं। इस सम्बन्ध में मैं मैसूर के भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा श्री विट्ठलराव का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस सम्बन्ध में विस्तार से विभिन्न निकायों की कठिनाइयों का वर्णन किया है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस सम्बन्ध में काफी सचेत है और कुछ कर भी रही है, परन्तु इस युग में कदम शीघ्र बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। और सरकार को जरा कुछ अधिक तेजी तथा शक्ति से चलना चाहिये। उसे याद रखना चाहिये कि इस सम्बन्ध में सदन में तथा प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति तक में यही मत प्रकट किया गया है। इस लिये मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि उसे शीघ्र ही इस कार्य को सन्तोषजनक रूप मे करना चाहिये, नहीं तो मुझे पुनः यही प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब यदि सदन मुझे अनुमति देगा तो मैं प्रस्ताव वापिस ले लूंगा।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

'इस सभा की यह राय है कि उपयुक्त व्यक्तियों को कॉस्टिंग के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधायें दी जानी चाहियें और आवश्यक योग्यता वाली परीक्षाओं के संचालन पर नियंत्रण और व्यावहारिक प्रशिक्षण के विनियमन तथा ऐसी परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त सदस्यों के एक संविहित (स्टेट्यूटरी) निकाय को स्थापित करने की कार्यवाही की जानी चाहिये तथा केवल ऐसे सदस्यों को ही औद्योगिक उपक्रमों के कॉस्टिंग परिणामों को प्रमाणित करने की अनुमति दी जानी चाहिये'।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अब मूल संकल्प को प्रस्तावक वापिस लेना चाहते हैं। क्या माननीय सदस्य को प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति है ?

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

बौद्ध धर्म अपनाने वालों के लिये संरक्षणों के बारे में संकल्प

†श्री बा० चं० कामले (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की राय है कि विधान मण्डलों में स्थानों के संरक्षण को छोड़ कर अनुसूचित जातियों को प्रदत्त और जिनका उपबन्ध है ऐसे सारे संवैधानिक संरक्षण अनुसूचित जातियों में से बौद्ध धर्म को अपनाने वाले व्यक्तियों को दिये जायें और यह सिफारिश करती है कि सरकार, यदि आवश्यक हो तो, इसके हेतु संविधान में संशोधन करने के लिये उपयुक्त विधान प्रस्तुत करे।"

यह संकल्प उन लोगों की ओर से जो कि लगभग एक लाख की संख्या में बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। इन लोगों की अवस्था बड़ी शोचनीय है। उनके पास व्यापार, जमीन कुछ भी नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

है। प्रशासन में उनका कुछ प्रभाव नहीं है और रोजगार के कुछ साधन नहीं हैं। यह लोग इससे पहले भी शोषित थे और अब भगवान बुद्ध की शरण में आने पर भी उनकी ऐसी ही अवस्था हो रही है। मैंने देखा है कि कई ग्रामों में इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो रहा है परन्तु सरकार कुछ भी नहीं कर रही। उत्तर सतारा, दक्षिण सतारा और अहमदाबाद के कुछ इलाकों में राज्य सरकार ने यह सब स्थिति देखते हुये भी कुछ नहीं किया है, और केन्द्रीय सरकार का भी यही हाल है। इस कारण इन लोगों की आंखें इस संकल्प की ओर लगी हुई हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि इस संकल्प का कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया।

[श्री पट्टाभिरामन् पीठासीन हुए]

उनकी मांगें तीन हैं। शिक्षा तथा आर्थिक मामलों और सरकारी नौकरियों में कुछ संरक्षण दिये जायें। संसद् तथा विधान मण्डलों में कुछ स्थान सुरक्षित किये जायें। वे यह संरक्षण कभी भी नहीं मांगते यदि भेदभाव की नीति के कारण वे सचमुच तंग न आ जाते। मेरी मांग का आधारभूत सिद्धांत यह है कि एक ही सम्प्रदाय का एकाधिकार नहीं होना चाहिये और सबको अनुपात से हिस्सा मिलना चाहिये। १९३४ और १९४३ में सरकार इस प्रकार का संकल्प स्वीकार भी कर चुकी है। संविधान सभा ने इसी सिद्धांत को स्वीकार किया है। और उसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। परन्तु बौद्धों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया जा रहा। सरकार एक स्वीकृत अधिकार को क्यों नहीं मान रही। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू की सरकार और सदन के माननीय सदस्य मेरी इस बात की ओर ध्यान देंगे।

जब भी कभी मामला सदन में प्रस्तुत हुआ तो मैंने यही प्रश्न प्रायः प्रस्तुत किया है कि अनुसूचित जातियों के लोग बौद्ध बन गये हैं क्या उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होंगे। इसका उत्तर सरकार की ओर से नहीं में दिया गया था। यह बात उन सिद्धान्तों के विरुद्ध है जिसका कि ढिंढोरा हमारी सरकार पीटती चली आ रही है। और यह इस देश और अन्य देशों में जो व्यवस्थायें की गई हैं उनके भी विरुद्ध है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन दो राज्यों में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया वहां अवस्था क्या है। १८५० में जाति-भेद उन्मूलन अधिनियम पास किया गया। इसे धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिनियम भी कहते थे। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन की पूरी आज्ञा थी। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के कई विनिर्णय मौजूद हैं। इससे कोई भी अपने किसी प्रकार के अधिकारों से वंचित नहीं हो सकता।

शायद सरकार और सदन को विश्वास दिलाने के लिये इतनी बात काफी न हो। मैं अन्य देशों की स्थिति भी सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। ताकि उन पर यह स्पष्ट हो जाये कि अन्य देशों में इस मामले के बारे में क्या व्यवहार किया जाता है। क्या राजनैतिक अधिकारों का धर्म से कोई सम्बन्ध है? मेरे हाथ में एक पुस्तक "सांविधानिक पूर्व दृष्टान्त" नाम की है उसमें भी स्विटज़रलैण्ड, जर्मनी, यूगोस्लाविया तथा अन्य देशों के सम्बन्ध में सांविधानिक पूर्व दृष्टान्तों की चर्चा है। उन से भी यही स्पष्ट होता है कि राजनैतिक अधिकारों से धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं होता। और धर्म परिवर्तन के साथ किसी के राजनीतिक अधिकार छीने नहीं जाते। इसलिये मैं कहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार का दिया उत्तर मूर्खतापूर्ण है। और उस पर पुनः विचार करना चाहिये।

[श्री बा० चं० कामले]

अब मैं अन्य मंत्रियों द्वारा कही गई बातों की ओर आता हूं । मैं चाहता था कि इस सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री भी कुछ कहें । परन्तु सदन में उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा । परन्तु महाबोधि सोसाइटी के मंत्री से पत्र व्यवहार के समय उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं । उन्होंने कहा है कि बौद्धों को किसी प्रकार से तंग नहीं किया जायेगा । उन्होंने कहा कि सरकार को संविधान के अनुसार चलना ही होगा परन्तु साथ में यह भी कहा कि संविधान को परिवर्तन करना ज़रा कठिन होता है । परन्तु यदि सरकार कभी अच्छ कामों के लिये भी संविधान का उल्लंघन करती है तो मामला उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है । इससे यह प्रकट होता है कि प्रधान मंत्री कुछ करना तो चाहते हैं परन्तु उनकी कठिनाई यह है कि मामला उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत हो उन से मेरा निवेदन है कि अमेरिका में नीग्रो अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिये वहां के २२ संविधानिक संशोधनों में से तीन संशोधन इसी उद्देश्य के थे । पांच प्रमुख कानून इस मतलब के लिये बनाये गये थे । और लगभग ४०० ऐसे कानून थे जिनके द्वारा भेद भाव और नीग्रोज़के विरुद्ध फैली भावनाओं से उनका संरक्षण करने के लिये अधिनियमित किये गये थे । क्या यहां एक भी ऐसा कानून पारित किया गया है जिनसे कि बौद्धों के लिये संरक्षण की व्यवस्था की गई हो । यदि प्रधान मंत्री मामले को न्यायोचित समझते हैं तो उन्हें संविधान के संशोधन विधेयक को भी प्रस्तुत करने में संकोच नहीं करना चाहिये । और बौद्धों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में वह एक ऐतिहासिक कृत्य हो जायेगा यह कहां तक ठीक बात है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति बौद्ध हो जाये तो उसे सब सुविधाओं से वंचित कर दिया जाये । यह सुविधायें धर्म के आधार पर नहीं दी गई थीं इनका आधार तो नीचे गिरे हुए और पिछड़े वर्गों को जिन्हें कि ऊंची जाति के लोगों ने पीछे छोड़ दिया था आगे लाना है । इस मामले का न जात पात से कोई सम्बन्ध है और न ही धर्म से ही इसका कोई वास्ता है । इस बात को सरकार अथवा प्रधान मंत्री को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिये । गृह-कार्य मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में जो कुछ सदन में कहा है उन्हें तो विधि को प्रशासित करना है बिलकुल गलत और भ्रांति फैलाने वाला है । यह सदन से अन्याय है ।

वास्तव में बौद्धों के सम्बन्ध में कोई कानून ही नहीं है । कहा गया है कि यदि बौद्धों को सुविधायें दी गईं तो यह धर्मों के बीच भेद भाव फैलाने वाली बात होगी । मेरे विचार में अब यह दलील दी जायेगी परन्तु यह निराधार बात है । परन्तु यह केवल बौद्धों की ही बात नहीं है हम तो एक बेबस वर्ग के लिये कुछ सुविधायें मांग रहे हैं । अधिक से अधिक आप उन्हें 'अनुसूचित जातियों से बौद्ध बनने वाले' लिख सकते हैं । परन्तु यह सब तो तभी हो सकता है जब कि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे । और वह प्रगतिशील रूप में उसे परिवर्तन करना ही होगा । संविधान के अनुच्छेद १६(४) में लिखा है कि :

"इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी ।" इसके अनुसार सरकार संकल्प के सिद्धांत को स्वीकार करने से इन्कार नहीं कर सकती ।

परन्तु यदि सरकार इस संकल्प को अस्वीकृत कर दे तो इसका प्रभाव यह होगा कि यह वर्ग एक प्रकार की राष्ट्रीयता का रूप धारण करना आरम्भ कर देगा और इसे कोई रोक नहीं सकेगा । संसार में आतंक के कारण अलग अलग राष्ट्रों का उत्थान हुआ ही है । प्रसिद्ध लेखक ब्रनार्ड जौसिफ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रीयता में इस प्रकार का अच्छा उल्लेख किया है । हमारे प्रधान

मंत्री तो सहअस्तित्व के बहुत चाहता है, यदि वह हमें वैसे सम्मिलित नहीं कर सकते तो हमें अलग अलग छोड़ दें और हमें सहअस्तित्व का आश्रय लेने दें। इसी विचार से तो हमने संकल्प प्रस्तुत किया है। प्रधान मंत्री का कहना है कि इसमें अवश्य कोई राजनीति होगी। मैं यह बात नहीं समझ सका। इसका तो एक ही मतलब होगा कि धर्म और राजनीति का घनिष्ट सम्बन्ध होता है। परन्तु मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि इस धर्म परिवर्तन में कोई राजनीति नहीं थी, यह तो जाति भेद-भाव के विरुद्ध बगावत थी। और मुझे भय है कि कहीं देश में विभिन्न जातियों का गृह-युद्ध ही न हो जाय। रामनाथपुरम् का उदाहरण तो अभी ताजा ही है।

सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि जातिवाद के होते हुये समानता का सिद्धान्त लागू नहीं हो सकता। इसी कारण ही हमने भगवान बुद्ध के धर्म की शरण ली है। और इसी आधार पर आपको यह संकल्प स्वीकार करना ही होगा। मैंने प्रश्न पूछा था कि देश के किस किस नगर और ग्राम में छुआछूत दूर नहीं की गयी। मेरे प्रश्न को स्वीकृत ही नहीं किया गया। क्योंकि उसका उत्तर संविधान के अनुच्छेद १७ के विरुद्ध होता। और यदि कहीं भी हरिजन नहीं रहे तो उनके सम्बन्ध में बने सभी कानूनों को हटा देना चाहिये। मेरा मत यह है कि छुआछूत के बारे में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। असमानता और जातिभेद को दूर किये बिना यह नहीं किया जा सकता। यही उसका उद्देश्य हैं और इसमें कुछ भी राजनीति नहीं। हम जो अधिकार मांग रहे हैं उन का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं। अन्त में मेरा कहना है कि यह लोक-सभा, जिसे न्याय सभा भी कहा जा सकता है, से हमारी अपील है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह संकल्प स्वीकार होना चाहिये। परन्तु यदि सरकार ने अपने बहुमत के मद में इसे अस्वीकृत कर दिया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लोगों का दमन किया जाना अच्छा नहीं। प्रधान मंत्री के कहने के अनुसार सब का सर गर्व से ऊंचा रहना चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सम्मानीय सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री दिगे** (कोल्हापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं श्री कामले के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। खेद है कि सरकार अस्पृश्यता निर्वारण में नितान्त असफल रही है। आज भी जातिभेद के भयंकर परिणामों की बातें हम सुन रहे हैं। इसलिये इन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर उस जाति-भेद के विरुद्ध बगावत की है। क्योंकि बौद्ध धर्म जात-पात के भेद-भाव को न मानने वाला एकमात्र धर्म है। एक करोड़ लोग बौद्ध बन चुके हैं और बन रहे हैं। परन्तु वे अल्पसंख्या में हैं और उच्च जातियों के हिन्दू उनका दमन करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में उदाहरण दिये जा सकते हैं।

बम्बई के प्रबुद्ध भारत नामक एक साप्ताहिक पत्र में २३ नवम्बर, १९५७ में एक समाचार छपा था कि गावों में बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर आक्रमण किया गया। इस समाचार को पढ़ कर कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि सवर्ण हिन्दू बौद्ध धर्म अपनाने वालों को कैसी यातनायें दे रहे हैं। वे उन्हें पनपने नहीं देते।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अनुसूचित जातियों के जिन लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है उनको अब भी वही सुविधायें मिलनी चाहियें जो उन्हें अनुसूचित जाति का सदस्य रहने पर प्राप्त थीं। यदि सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दिगे]

उनसे वह सभी सुविधायें छीन लेती है तो यह उनके साथ महान् अन्याय होगा। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार उनके सभी अधिकार उन्हें दें। मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद ४६ के अनुसार जिन लोगों को अनुसूचित जातियों में माना गया है और जिन्हें कुछ सुविधायें दी गई हैं उनसे केवल इस आधार पर कि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, वे सुविधायें छीनना कहां का न्याय है? मैं समझता हूं कि बौद्ध धर्म स्वीकार करना ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उन्हें उन अधिकारों से वंचित करे। मैं विधि मंत्रालय से पूछता हूं कि वह बातयें कि किसी व्यक्ति के जन्म सिद्ध अधिकार को क्या इसी आधार पर छीना जा सकता है कि उसने एक विशेष धर्म स्वीकार कर लिया है।

अब इन बौद्ध धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जातियों के बच्चों का मामला लीजिये। यदि उनके बाप-मां ने धर्म बदल दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उन १८ या २१ वर्ष की कम आयु के उनके बच्चों ने भी अपना धर्म बदल दिया है। पर बम्बई सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि उन अनुसूचित जातियों के बच्चों को, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के होस्टलों में स्थान न दिया जाये और न ही ऐसे बच्चों को फीस आदि की रियायत दी जाय। यह सरासर अन्याय है उन बच्चों के साथ। इसमें उन बच्चों का क्या दोष है।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार के गृह-कार्य विभाग ने बम्बई सरकार को निदेश भेजा था कि उन अनुसूचित जातियों के लोगों के बच्चों को शिक्षा आदि की वे सुविधायें अवश्य दी जायें जो उन्हें अभी तक मिलती रही हैं। यह निदेश बम्बई की विधान सभा में भी रखा गया था पर वहां के मुख्य मंत्री का कहना है कि हमें ऐसा कोई निदेश नहीं प्राप्त हुआ है। अतः मैं गृह-कार्य मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकारों को एक बड़ा निदेश भेजा जाये कि वे अनुसूचित जातियों के बच्चों को शिक्षा आदि सम्बन्धी वे सुविधायें अवश्य देते रहें जो उन्हें अभी तक मिलती रही हैं।

श्री बालकृष्ण वासनिक (भंडारा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो यहां पर लाया गया है, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है और वह इसलिये कि कुछ दिन पूर्व यहां पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट की चर्चा के उत्तर में गृह-मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया था, उस में इस सवाल के सम्बन्ध में पूरी पूरी जानकारी थी। परन्तु आज यह सवाल एक विशेष प्रस्ताव के रूप में यहां पर पुनः उपस्थित किया गया है।

हमने अपने विधान के द्वारा यहां पर एक सैकुलर स्टेट स्थापित की है और उसके अनुसार, हम किसी भी एक विशेष धर्म को कोई विशेष संरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो फिर यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है, उन को विशेष प्रकार के संरक्षण दे कर हम सैकुलर स्टेट की नीति के खिलाफ़ कैसे जा सकते हैं। हमारे विधान के आर्टिकल २७ में भी यही बात कही गयी है और मेरा ऐसा ख्याल है कि यदि बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाले लोगों की शिक्षा और ऐसी अन्य बातों के लिये लोगों से वसूल किये गये टैक्स में से खर्चा किया जाय, तो हो सकता है कि आगे चल कर इस देश में ऐसा आन्दोलन हो और लोग यह कहें कि हम इस बात के लिये टैक्स नहीं दे सकते कि सरकार उस का उपयोग किसी एक धर्म को पनपाने के लिये करे। मेरा कहना यह है कि हम किसी एक धर्म को इस प्रकार का विशेष संरक्षण नहीं दे सकते हैं। यदि ऐसा किया गया, तो कल चल कर यह बात भी

---

† मूल अंग्रेजी में

उपस्थित हो सकती है कि जिन अस्पृश्य भाइयों ने बौद्ध धर्म के सिवा दूसरे धर्म--जैसे ईसाई, मुस्लिम या अन्य कोई धर्म--को अपनाया है, वे भी कहें कि चूंकि हमारी परिस्थिति में कोई तबादला नहीं हुआ है, इसलिये हम को भी वही सहूलियतें दी जायें, जैसी बौद्ध लोगों को दी जाती हैं ।

गृह मंत्री महोदय ने उस दिन साफ़ तौर से बता दिया था कि हम लोग अपने विधान के खिलाफ़ नहीं जा सकते हैं और उस के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को वे फ़ैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, जो कि शिड्यूल्ड कास्ट की व्याख्या के अन्तर्गत आते हैं । परन्तु ये जो नये बौद्ध लोग हैं, विधान के अनुसार, उन को वे फैसिलिटीज़ नहीं दी जा सकती हैं । उन्होंने यह भी बताया था कि वे सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं और वे एक पिछड़ा वर्ग हैं, इस नाते तो उन को सहूलियतें दी जा सकती हैं, परन्तु शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम पर उन को सहूलियतें नहीं मिल सकती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज इन लोगों को अस्पृश्य कहा जाता है वह उन्हें कहा नहीं जाना चाहिये और उन के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता है वह नहीं होना चाहिये और अस्पृश्यता के निवारण के लिये और जातीयता को नष्ट करने की दृष्टि से इस नये धर्म को कुछ अस्पृष्य भाइयों ने अपनाया है । उस के सम्बन्ध में तो मुझे कुछ कहना नहीं है । परन्तु अस्पृश्यता और जातीयता को समाप्त कर देने के लिये उन्होंने इस नये धर्म को अपनाया है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि अस्पृश्यता और जातीयता के नाम पर अलग अलग सहूलियतें मांगने का कौन सा कारण है । वे सहूलियतें मांग सकते हैं अपने आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को बता कर परन्तु कुछ दिन पूर्व वे हिन्दू थे और जब वे हिन्दू थे तो वे शिड्यूल्ड कास्ट्स थे आज वे बुद्धिस्ट हो गये हैं इसलिये उन को फ़ैसिलिटीज़ दी जानी चाहिये, यह कारण नहीं हो सकता है। गृह मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया था, मैं उस का पूर्ण समर्थन करता हूं और इस प्रस्ताव का आज वह पूर्ण उत्तर हो सकता है ।

अब मैं कुछ दूसरी बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं । कुछ अस्पृश्य भाइयों में जो इन्फ़ीरियारिटी कम्पलैक्स--निम्न भावना--था, उस को दूर करने की दृष्टि से भी शायद यह धर्म-परिवर्तन किया गया होगा, परन्तु वह भावना किस रूप में दूर हो गई है, उस की मैं मिसाल दूंगा । कुछ दिन पूर्व मैंने अपने निर्वाचन-क्षेत्र का दौरा किया । अनेक लोगों से मैंने अनेक प्रकार की बातें सुनीं । जो लोग पहले अस्पृश्य थे--हिन्दू थे--और जो बाद में बौद्ध हो गये, उन लोगों का, जो लोग बौद्ध नहीं हुये हैं, उन के प्रति जो आचरण है, उस की तरफ आप ध्यान देंगे, तो आपको अजीब बातें नज़र आयेंगी । ग़ैर बौद्ध--सवर्ण भाई--पहले भी और आज भी अस्पृश्यता का पालन करते हैं और अस्पृश्यता का मतलब यह है कि उन लोगों को मानव-सम्बन्ध से दूर रखना । मैं ने कम से कम अपनी कांस्टीच्युएन्सी में या अपने क्षेत्र में यह देखा कि अगर कोई ग़ैरबौद्ध किसी ऐसे व्यक्ति के दरवाज़े से गुजरता है, जो कि बौद्ध-धर्म को अपना चुका है, तो वह व्यक्ति वहां पर पानी छिड़क देता है ताकि वह जगह साफ़ हो जाय । अगर कोई ग़ैर बौद्ध इन बौद्धों के स्पर्श में आता हैं, तो ये लोग नहा लेते हैं, इसलिये कि वह स्पर्श उनको कुछ अशुद्ध कर देता है ; ये बातें कुछ ठीक हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता । अस्पृश्यता का निवारण करने के लिये जब ये लोग एक अलग धर्म को स्वीकार करते हैं, फिर वही लोग बौद्ध और ग़ैर-बौद्धों में इस प्रकार की अस्पृश्यता मानने लगते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

मैंने यह भी देखा है कि बम्बई राज्य के महाराष्ट्रीय हिस्से को अगर छोड़ दिया जाय, तो हिन्दुस्तान की दूसरी जगहों में ज्यादा लोग बौद्ध नहीं हुये हैं। मैं कह देना चाहता हूं कि बम्बई के महाराष्ट्रीय हिस्से में भी एक विशिष्ट जाति के—जो कि कामले जी की जाति है—एक ज्यादा हिस्से ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया है, परन्तु उस जाति का भी बहुत सा हिस्सा है, जिस ने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया है।

जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है, वे दूसरी ग़ैर-बौद्ध जातियों के लोगों के हाथों का पानी नहीं पीते हैं, उन को नल या कुंई पर पानी नहीं देते हैं, उन से रोटी और बेटी का व्यवहार नहीं करते हैं और उनसे ऐसा व्यवहार करते हैं, जिस का आरोप सामान्य हिन्दू समाज पर अस्पृश्यों के सम्बन्ध में लगाया जाता है। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों के लिये यदि फ़ैसिलिटीज़ दी जायें, तो मैं नहीं समझता कि यह राजनीतिक बातों के लिये फ़ैसिलिटीज़ देना होगा या नहीं होगा। इस दृष्टि से ही इस प्रस्ताव पर ठीक ढंग से विचार किया जाना चाहिये।

एक बात मैं आप के ध्यान में और लाना चाहता हूं। जो नये बौद्ध लोग हैं, वे बुद्ध के तत्व और उसकी शिक्षा के अनुसार चलें और शान्ति और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करें, तो ठीक है। परन्तु आम तौर से जो प्रचार होता है, या उन के नेता जो बातें कहते हैं, जैसे कि कुछ बातें कोर्ट में भी गईं, जिसके कारण कुछ लोग दंडित भी हुये यह गलत हैं। हिन्दुओं के देवी देवताओं के लिये गाली गलौच करना, उनके धर्म ग्रंथों की डिसरेस्पेक्ट करना, या इस प्रकार की और बातें कहना खुले आम, जिस से जातीयता की भावना ज्यादा बढ़े, मेरा खयाल है भगवान बुद्ध का मार्ग नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर वह भगवान बुद्ध के शिष्य नहीं हुये, तब तो उन को यह हक दिये ही जाने चाहियें।

श्री वासनिक : इस प्रकार की बातें आम तौर से हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की बातें करने के लिये उन को सहूलियतें दी जानी चाहियें।

श्रीमती उषा नेहरू (सीतापुर) : जनाब डिप्टी साहब, मुझे आज बहुत खुशी है यह देख कर कि हमारी तवज्जह आज बुद्धिज्म की तरफ जा रही है। मैं समझती हूं कि अगर देश इस को समझे तो हमारे यहां कास्ट, बिरादरी वगैरह के झगड़ों में भी बहुत कमी हो जायेगी। आज जिन भाई ने यहां पर यह प्रस्ताव रक्खा है उन को भी मुबारकबाद देती हूं, इसलिये कि आज हमारा देश बुद्धिज्म की तरफ जा रहा है और जिन लोगों को हम ने शेड्यूल्ड कास्ट और अछूत कर के रक्खा था आज वही देश में लीड ले रहे हैं। आज वह देश में सामने आये हैं और देश को दिखा रहे हैं कि बुद्धिज्म से ही देश का कल्याण हो सकता है।

मैं बहुत देर से उन का व्याख्यान सुन रही थी। लेकिन उस को सुनने के बाद मैं समझ नहीं सकी कि वह इस त्याग और सच्चे धर्म को कहां तक ग्रहण कर सके हैं। आज जो वह यह कहते हैं इस हाउस के अन्दर कि अपने कांस्टिट्यूशन को बदलो, तो वह तो इस धर्म के आगे कोई भी चीज नहीं है। उन्होंने तरह तरह की बातें अमेंडमेंट लाने के लिये कहीं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टरों की पूजा भी की और बताया कि कैसी कैसी चीजें खुद प्राइम मिनिस्टर ने रक्खीं और क्या क्या बातें हुईं। जब मैं ने उन की बातों को सुना तभी मुझे शंका हुई और मैं ने सोचा कि खड़ी हो कर यहां बोलूं। जो भी आदमी बुद्धिज्म को मंजूर करता है या जो सच्चा बुद्धिस्ट होता है उस की जबान, उस के विचार, उस की हर चीज पवित्र होती है। लेकिन कोई बुद्धिज्म का झंडा ले कर फिर पालिटिक्स में पड़े तो यह मेरी समझ में नहीं आता है कि वह बुद्धिज्म को कितना लाभ पहुंचा सकता है।

संरक्षणों के बा`में संकल्प

मुझे अपने भाई से कहना है कि अगर उन्होंने दिल से बुद्धिज्म को मंजूर किया है, तो आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया है, इस में कोई शक नहीं कि जो कास्ट हिन्दू कहलाते थे उन्होंने उन पर बहुत अत्याचार किया, उन को अपवित्र समझा। और इसी लिये आज उन्होंने अपनी शुद्धि की है। जो शेड्यूलड कास्ट्स के भाई-बहनें हैं, वह जब बुद्धिस्ट हो जाते हैं तो कास्ट हिन्दू उन को गले से लगा लेते हैं। वह उन को गले से लगाने के बाद कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही तुम हो। ऐसी हालत में मैं नहीं समझती कि क्यों उन के दिलों में यह शंका होती है और वह यह कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट तो हुए हैं लेकिन ब्रैकेट्स में लिखो कि यह लोग पहले शेड्यूल्ड कास्ट के थे। इसको मंजूर करो और यह भी लिखो कि इन को अधिकार ज्यादा मिलेंगे। मैं इन भाइयों से कहती हूं कि अगर वह बुद्धस्ट हुए हैं और उन को वही अधिकार मिलते हैं जो हम सब को मिलते हैं तो कोई फर्क नहीं होगा। वह क्यों खास तौर पर कोई भी अधिकार मांगें।

मुझे सरकार से यह भी कहना है कि सरकार तो सैकुलर स्टेट है, उस का कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। उस को हर एक धर्म की इज्जत करना है। हम तो चाहते हैं कि जो देश के बच्चे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स के ही नहीं, गरीब अमीर सब के लिये फ्री एजुकेशन हो। लेकिन जो गरीब बच्चे हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, हमारा फर्ज है कि हम उन सब को पढ़ाई की फैसिलिटीज दें। हमारी सरकार को भी यह करना है, बम्बई की सरकार को भी करना है। मैं अपने भाई से यह कहने खड़ी हुई हूं कि उन को इस तरह का खयाल नहीं करना चाहिये कि चूंकि वह शेड्यूल्ड कास्ट के थे और अब उन की शुद्धि हुई है तो अब फिर उन को शेड्यूल्ड कास्ट का लिखा जाये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अगर हम बुद्धिस्ट होते हैं और बुद्धिस्ट होने के बाद इस धर्म को हम मंजूर करते हैं, और उस धर्म को समझते हुए फिर हम संसार में कहें कि हमें सेफगार्डस दो, तो यह कहां तक ठीक है। हमारे भाई ने पश्चिमी मुल्कों की चर्चा की। हमें बताया कि क्या क्या चीजें वहां हैं। वहाँ पर कैसे कैसे एजुकेशन वगैरह होती है। मैं उन को बतलाऊं कि पश्चिमी मुल्कों में और हमारे मुल्क में बहुत भेद है। हमारा समाज अभी तंग खयाली का है, अभी हम उस में से निकल रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम जितनी उन्नति करेंगे, हम में भी वही खूबियां आ जायेंगी। जब तक तंग खयालात हैं तब तक ऐसे ही हमारा गुजारा हो सकता है। पश्चिमी मुल्कों से हमें मिलाना एक फुजूल सी बात है। लेकिन साथ साथ मैं यह भी कह दूं कि अभी उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में जिक्र किया। "फिलासफी आफ कंसेप्शन" की बातें कहीं। क्यों यह सब बातें हुईं, गवर्नमेंट की इस फिलासफी को समझना है। मैं आज साफ कह दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वह सैकुलर स्टेट की है, उस का किसी तरह का धर्म नहीं है। वह फिलासफी को खूब समझती है। मगर उस की इन्सानियत की फिलासफी है, यानी हर एक को इन्सान समझना और इन्सानियत के साथ बर्ताव करना।

हमारे भाई श्री इंदू लाल जी भी बोले। उन्होंने भी कई बातें कहीं। बम्बई गवर्नमेंट के बारे में भी उन्होंने कुछ चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि बिहाइन्ड दि स्क्रीन की बहुत सी बातें जानते हैं। वह जानते होंगे, मैं तो नहीं जानती कि अपनी सरकार बिहाइन्ड दि स्क्रीन क्या बातें करती है। अगर मैं सी०आई०डी० का काम करूं तो शायद जान सकूं। लेकिन यह कहना कि हमारी सरकार जो है वह पता नहीं क्या सलाह देती है और बम्बई की सरकार क्या करती है यह हमारे भाई श्री इंदुलाल जी के लिये कहना जरा कठिन नहीं है। वे बुजुर्ग भी हैं और ऐसी बातों में उन्हें नहीं पड़ना चाहिये। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये हम दिलोजान से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो शड्यल्ड कास्टस

[श्रीमती उमा नेहरू]

के हमारे भाई हमारे पास बुद्धिस्ट हो कर आते हैं, उन को मैं विश्वास दिलाती हूं कि हम और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग बिल्कुल एक हैं, कोई फर्क नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट्स का होना न होना, हम इन्सानों का बनाया हुआ कायदा है, यह भगवान की बनाई हुई चीज नहीं है। भगवान ने किसी भी जीव को जात-पांत ले कर नहीं भेजा है, हम ने ही उसे बनाया है और हम ही उसे खत्म करेंगे।

अगर आज हमारे भाई बुद्धिस्ट होते हैं तो बुद्धिस्ट फिलासफी पर अमल करें। हम भी उसे जानते हैं। मेहरबानी कर के उस के आइडियल्स को देखें जो कि इतने पवित्र हैं। उन को मंजूर करें और गन्दी पालिटिक्स में बुद्धिज्म को ला कर न फेंकें।

ज्यादा न कह कर मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि अब आप को हमारा विचार मालूम हो गया है। आप मेहरबानी कर के अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

†श्री तिम्मय्या : (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे खेद है कि श्री कामले ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो सका। इस धर्म परिवर्तन द्वारा आखिर वह क्या चाहते हैं? क्या अस्पृश्यता हटाना चाहते हैं या अनुसूचित जातियों के लोगों की दशा सुधारना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं। यदि वे अस्पृश्यता हटाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि इस धर्म परिवर्त : के बाद भी अस्पृश्यता दूर नहीं हुई है। यदि आप उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति में धर्म परिवर्तन के बाद भी कोई सुधार नहीं हो पाया है न हो सकता है।

श्री कामले ने मांग की है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से उनके अधिकार छीने न जायें बल्कि उनको सभी अधिकार प्राप्त रहें। पर अनुसूचित जातियों के बहुत से लोगों ने इसाई धर्म तथा इस्लाम भी स्वीकार कर लिया है। मैं पूछता हूं कि क्या वे अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे। क्या उनको उनके अधिकार नहीं दिये जायेंगे। यदि बौद्ध धर्म, इसाई धर्म तथा इस्लाम स्वीकार करने वाले सभी अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को यह सुविधायें दे दी जायेंगी तो सरकार बड़ी कठिनाई में पड़ जायेगी और सरकार अनुसूचित जातियों की उचित सेवा भी नहीं कर सकेगी।

मुख्य परित्राण तो संविधान में दिये गये हैं और वे हैं राजनैतिक परित्राण। परन्तु श्री कामले कुछ शिक्षा सम्बन्धी तथा पदों के रक्षण के बारे में सुविधायें चाहते हैं। उन्हें परित्राण नहीं चाहियें। यदि ऐसा है तो इस संकल्प की आवश्यकता नहीं। तब तो उन्हें बौद्ध धर्म के आश्रम में जाने की बजाये हिन्दू धर्म की अनुसूचित जाति में रहते हुए इस के हित के लिये प्रयत्न करना चाहिये। धर्म परिवर्तन से भी अस्पृश्यता दूर नहीं होगी। जो लोग बौद्ध हो गये हैं उन्हें उन के ही भाई कुएं से पानी नहीं भरने देते। अतः हमें इकट्ठे इस बुराई का मुकाबला करना चाहिये।

†श्री नारायणन कुट्टि मेनन (मुकंदपुरम) : माननीय मंत्री का दल केरल में आन्दोलन कर रहा है कि जो सुविधायें अनुसूचित जातियों को दी जाती थीं वे इसाई धर्म ग्रहण करने वाली अनुसूचित जातियों को भी मिलनी चाहियें। माननीय मंत्री कृपया इस स्थिति को स्पष्ट कर दें।

†श्री मणियंगाडन : यह आन्दोलन वे लोग कर रहे हैं जिन्हें साम्यवादी दल ने आश्वासन दिया था परन्तु पूरा नहीं किया।

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : मैं संकल्प का विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं ने प्रस्तावक के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना है और यह अनुभव किया है कि उन की किसी बात का भी समर्थन सरकार नहीं कर सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

संरक्षणों के बारे में संकल्प

उन्होंने प्रासंगिक अप्रासंगिक सभी प्रकार के विषयों का उल्लेख किया है अर्थात् प्रधान मंत्री के पत्र से ले कर उन देशों के संविधानों तक की बात कह दी है जहां वर्ण व्यवस्था नहीं है। केवल इसी देश में जाति पाति है और मुझे श्री कामले के इस तर्क पर आश्चर्य हुआ कि वे ३० मिनट तक उस धर्म में जाति पाति पैदा करने के लिये कहते रहे जिस में जाति पाति नहीं है। आज श्री कामले अधिकाधिक लोगों के धर्म परिवर्तन द्वारा यह चाहते हैं कि नये बौद्धों को वही अधिकार दिये जायें जो कतिपय सामाजिक निषेधों के कारण उन्हें मिलते थे। परन्तु बौद्ध, इसाई अथवा इस्लाम धर्म जाति-पाति की प्रणाली नहीं है। अतः बौद्धों के सम्बन्ध में यह संकल्प अपूर्ण है।

उन्होंने अपने भाषण में स्वीकार किया कि वे मानवोचित व्यवहार चाहते हैं और निस्संदेह गत शताब्दियों से इस देश में जो बुराइयां फैली हुई हैं उन्हें दूर करना मानवोचित व्यवहार ही है। हम न्यूनतम संभव समय में इन बुराइयों को दूर कर देना चाहते हैं। परन्तु हम यह नहीं चाहते कि वे लोग धर्म परिवर्तन द्वारा इसे राजनैतिक विषय बना लें और फिर और अधिकार मांगें।

वे कहते हैं कि विवेकशीलता का परिचय देते हुए नये बौद्धों को पुराने अधिकार देने चाहियें। मैं समझती हूं कि यदि हम मस्तिष्क के साथ ही हृदय से भी काम न लेंगे तो हमारे पुराने पाप नहीं धुल सकते।

इस समस्या पर बुद्धि की बजाये हृदय से विचार करने की आवश्यकता है। यदि संकल्प के समर्थक मिल कर इस पर हृदय से विचार करते तो बात और ही होती। सरकार का तो निश्चय दृढ़ है कि यह राज्य धर्म निर्पेक्ष है और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान सुविधायें तथा समान अवसर प्राप्त हैं। हम नित्य प्रति यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को ऊपर उठाया जाये ताकि वे हमारे स्तर पर आ जायें। परन्तु यह जो कहा गया है कि केवल नये बौद्धों को कुछ सुविधायें दी जायें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यदि कोई व्यक्ति बौद्ध, इसाई या मुस्लिम हो जाये तो इस का अभिप्राय यह है कि उस में पर्याप्त साहस है और उसे वे अधिकार, सुविधायें और विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहियें जो हीन जाति का सदस्य होने के नाते प्राप्त थे। यदि अधिकाधिक लोग धर्म परिवर्तन करें तो इस में कोई हानि नहीं। ऐसा करने पर उन्हें समाज में अपना स्थान प्राप्त कर लेना चाहिये। मैं आप से सहमत हूं कि स्वर्ण हिन्दुओं का व्यवहार आपसे अच्छा नहीं है। परन्तु यह प्रश्न बुद्धि का नहीं वरन् हृदय का है और हमें उसी पहलू से इस को हल करना है।

श्री याज्ञिक ने बम्बई के सम्बन्ध में जो कहा था उस बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि मुझे पता नहीं कि बम्बई सरकार क्या कर रही है। तो भी उन की बात पर गृह-कार्य मंत्रालय जांच कर रहा है कि उन बच्चों के साथ विशेष व्यवहार किया जायेगा अथवा नहीं जिन के पैदा होने के समय माता पिता अनुसूचित जाति के थे। परन्तु मुझे पता नहीं कि बम्बई सरकार का इस सम्बन्ध में क्या मत है।

प्रस्तावक और उस के समर्थकों ने बौद्धों के लिये ही विशेष सहायता की मांग क्यों की है। उन्होंने क्यों उन सब को इस में सम्मिलित नहीं कर लिया जिन्होंने ऐसे धर्म ग्रहण कर लिये हैं जिन में जाति-पाति नहीं है इस से यह संकल्प और भी व्यापक हो जाता। बौद्ध, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में जाति पाति की व्यवस्था नहीं है और वे अपने धर्म में इन जातियों के प्रति निषेधपूर्ण व्यवहार नहीं करते। मैं स्वीकार करती हूं कि कभी इन धर्मों में भी जातियां पाई जाती हैं परन्तु इस कारण हमें विधान द्वारा उस स्थिति को स्वीकृति प्रदान नहीं करनी चाहिये।

[श्रीमती आल्वा]

यदि विपक्ष के माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि हमारा व्यवहार निष्पक्षतापूर्ण नहीं है तो मैं उन से कहूंगी कि वे देखें कि हम ने पंच वर्षीय योजना और संविधान में किस प्रकार प्रत्याभूतियां और उपबन्ध रखे हैं जिन से उन सब प्रकार के लोगों को सामाजिक सहायता मिल सकती है जो अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि श्री कामले भी कुछ कहना चाहेंगे। परन्तु निश्चय ही इस संकल्प को किसी पहलू से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह संकल्प भेद-भाव पूर्ण है। इसाई और इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले लोगों के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो बौद्ध धर्म अपनाने वालों के साथ किया जाता है और श्री कामले अन्य धर्मावलम्बियों की उपेक्षा कर रहे हैं। सुविधाओं और रियायतों की दृष्टि से हम इन सब लोगों को पिछड़ी हुई जातियां मानते हैं और उन की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिये वे सब सुविधायें देते हैं जो पिछड़ी जातियों को दी जाती हैं।

संविधान में संशोधन करने अथवा यह संकल्प पारित करने से हम देश में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं पा सकते। इस के विपरीत प्रस्तावक के लिये यह बहुत कठिन होगा कि वे राजनैतिक अधिकारों को छोड़ कुछ बूंदों पर संतोष करें। जैसा श्री तिम्मय्या ने कहा है किसी जाति के लिये राजनैतिक अधिकारों का बहुत महत्व है और कुछ पदाधिकार प्राप्त करने के लिये राजनैतिक अधिकारों को छोड़ देने से देश में किसी जाति अथवा वर्ग को कोई लाभ नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का विरोध करती हूं।

†श्री बा० छौ० कामले : मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्हों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। परन्तु मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने मेरी बात का उत्तर देने की बजाये और ही बातों का उल्लेख किया है। उन्हों ने कहा है कि इस संकल्प में और धर्मों को भी तो आना था परन्तु इस के लिये तो वही सक्षम है। श्रीमती उमा नेहरु ने मेरे सख्त शब्दों का विरोध किया है परन्तु मैंने तो सख्त कृत्यों का सख्त भाषा में उल्लेख मात्र किया है। हम ने शासन प्रणाली में पश्चिमी पद्धति को अपनाया है अतः पश्चिमी देशों के संविधानों के उल्लेख पर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी।

श्री वासनिक ने कहा कि किसी धर्म को संरक्षण नहीं मिलना चाहिये परन्तु मैं ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी।

श्री तिम्मय्या ने कहा कि हम केवल कतिपय परित्राण मांग रहे हैं और क्यों राजनैतिक परित्राणों की मांग नहीं करते। यदि वे ऐसा चाहते हैं तो हम इस के लिये भी तैयार हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प मतदान के लिये रखा गया।

सभा में मतविभाजन हुआ। पक्ष में २५ और विपक्ष में ४७।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"इस सभा की यह राय है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समक्ष जो कठिनाइयां हैं उन के होते हुए भी योजना के भौतिक लक्ष्य बिना किसी प्रकार की कटौती किये योजना काल के भीतर ही साध्य किये जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सभा की आगे यह राय है :—

(१) कि योजना की ऐसी कार्यान्विति को सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग द्वारा सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाये जिसमें योजना सम्बन्धी नीति तथा उपायों पर चर्चा की जाये ताकि उसमें आवश्यक रूपभेद और परिवर्तन किये जा सकें ; और

(२) कि इस प्रकार के एक सर्वदलीय सम्मेलन के आयोजित किये जाने तक सरकार योजना में हेर-फेर और कटौती करने के बारे में सारी एक-पक्षीय घोषणायें करना लोक-हित में बन्द कर दे ।"

†अध्यक्ष महोदय : यह संकल्प पूर्व संकल्प के संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । अब माननीय सदस्य पहले कही हुई बातों की चर्चा नहीं करेंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २ दिसम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . १४४१—६६

तारांकित

प्रश्न संख्या

६३० नागा पर्वतीय क्षेत्र १४४१-४२
६३१ केन्द्रीय राष्ट्रीय पौधशाला . . . १४४३-४४
६३२ भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर . . . १४४४-४५
६३३ व्यावसायिक पथ प्रदर्शन १४४५-४६
६३४ जहाजी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा सम्बन्धी छूट . . १४४६-४७
६३६ माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक १४४७-४८
६३७ कोयला उत्पादन की लागत का ब्यौरा . . १४४८
६३८ छोटी कोयला खानों का मिलाया जाना . . १४४९
६३९ हिमालय का भूतत्वीय सर्वेक्षण . . . १४४९-५०
६४० बैंकों के प्रबन्ध निदेशक . . . १४५०-५१
६४१ माध्यमिक प्रक्रम पर तीन भाषाओं का अध्यापन . १४५१-५२
६४३ मद्यनिषेध के बारे में केन्द्रीय समिति . १४५३,
६४४ बन्दूकों का वितरण . १४५३-५४
६४७ दिल्ली के स्कल १४५४-५५
६४८ दिल्ली में बेघर लोगों का सर्वेक्षण . . १४५६
६४९ परीक्षाओं में असफलतायें . १४५७
६५० भूमिहीन अनुसूचित जातियां . १४५७—५९
६५१ पंजाब विश्वविद्यालय १४५९
६५७ सेंट्रल आर्डनेंस डिपो, कानपुर से श्रमिकों का निकाला जाना १४५९-६०
६५९ जीवन बीमा निधि का विनियोजन . १४६०—६२
६६० मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स . . १४६२-६३
६६१ मशीन का तेल . . १४६४-६५
६६२ आदिम जातीय संस्कृति १४६५
६६३ औद्योगिक वित्त निगम १४६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . १४६७—१५००

तारांकित

प्रश्न संख्या

६३५ विद्युत् उत्पादक १४६७
६४२ दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए शिक्षा योजनायें . १४६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

६४५ बिलासपुर नगर का भाखड़ा बांध द्वारा जलमग्न होना १४६७-६८
६४६ पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादनों का आयात . . १४६८
६५२ सरकारी कर्मचारियों द्वारा भेंटों का स्वीकार किया जाना १४६९
६५३ जर्मन छात्रवृत्तियां . १४६९
६५४ दिल्ली में साइकिल रिक्शा १४६९
६५५ केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड . १४७०
६५६ दिल्ली के टैक्सी ड्राइवरों द्वारा हड़ताल . १४७०
६५८ पंजाब विश्वविद्यालय भवन . . १४७०-७१
६६४ घाटे की अर्थ-व्यवस्था १४७१
६६५ अर्ध सरकारी निकायों के साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व १४७१
६६६ दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संध्याकालीन कक्षायें १४७१
६६७ पन्ना स्थित हीरे की खानें . १४७२
६६८ उत्कल विश्वविद्यालय . १४७२
६६९ अस्पृश्यता . . १४७३

अतारांकित

प्रश्न संख्या

८४२ झूमियों का पुनर्वास १४७३
८४३ झूमियों की बस्तियां . . १४७३-७४
८४५ त्रिपुरा में मकान भाड़ा . . १४७४
८४६ त्रिपुरा में अध्यापकों की गोष्ठियां . . १४७४
८४७ त्रिपुरा में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक १४७४—७५
८४८ कपड़ा उद्योग से आय . १४७५
८४९ पुस्तकालय आन्दोलन १४७५
८५० बिहार में सम्पदा शुल्क सम्बन्धी मामले १४७६
८५१ प्रव्याजि पुनर्नवीकरण . . . १४७६
८५२ युद्ध सामग्री कारखानों में दुर्घटनायें . . १४७६-७७
८५३ केन्द्रीय उंगली चिन्ह विभाग . १४७७
८५४ हिन्दी प्रबोध और प्रवीण परीक्षायें . . १४७७
८५५ स्वातंत्र्य संग्राम के स्मारक . १४७७
८५६ राष्ट्रीय पंचांग . . १४७८
८५७ केन्द्रीय मूल्यांकन संगठन . १४७८
८५८ हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता देना . १४७८
८५९ मानचित्र प्रकाशन निदेशालय . . १४७९
८६० २५० रुपये से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी १४७९
८६१ सैनिक इंजीनियरिंग सेवा . . १४८०
८६२ युद्ध सामग्री कारखानों में औद्योगिक कर्मचारी . . १४८०
८६४ अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार . १४९०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
८६५	अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित स्थान . . .	१४८१
८६६	पंजाब में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं के लिए वित्तीय सहायता .	१४८१
८६७	दिल्ली में बिना लाइसेंस के वेश्यालय	१४८१-८२
८६८	पुस्तकाध्यक्षों का प्रशिक्षण .	१४८२
८६९	शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी पथ-प्रदर्शन	१४८२-८३
८७०	पंजाब में बहु-प्रयोजनीय स्कूल	१४८३
८७१	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास . .	१४८३
८७२	प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के वेतन .	१४८४
८७३	तीन वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम सम्बन्धी प्राक्कलन समिति	१४८४
८७४	पंजाब के स्मारकों का संरक्षण	१४८४
८७५	वैज्ञानिक असैनिक सेवा . .	१४८५
८७७	भूतपूर्व सैनिकों को काम पर लगाना .	१४८५
८७८	भौगोलिक नाम . . .	१४८६
८७९	प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारियों की पद्च्युति	१४८६
८८०	अफगानिस्तान के ऐतिहासिक भग्नावशेष .	१४८७
८८१	नागाओं द्वारा धावे और गोली काण्ड	१४८७
८८२	भूतपूर्व राजाओं को "मलिखाना" .	१४८७-८८
८८३	प्रतिरक्षा सेवाओं में विदेशी विशेषज्ञ	१४८८
८८४	नौसेना के पदाधिकारी	१४८८
८८५	अनुसूचित क्षेत्र . .	१४८८-८९
८८६	हिमाचल प्रदेश के राजनैतिक पीड़ित	१४८९
८८७	गांजा के बागान	१४८९
८८८	गांजा का उत्पादन .	१४८९-९०
८८९	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	१४९०
८९०	सैलम के खनिज पदार्थ .	१४९०
८९१	पिछड़े वर्गों के लिये छात्रावास	१४९१
८९२	गाड़िया लोहारों का कल्याण	१४९१
८९३	छात्रवृत्तियां . .	१४९१-९२
८९४	राजनैतिक पीड़ित . . .	१४९२
८९५	जिरातिया भूमि पर अधिकार . .	१४९२
८९६	खमरिया में कनिष्ठ आयुक्त अधिकारी की मृत्यु	१४९३
८९७	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारी	१४९३
८९८	पंजाब में जनता कालेज	१४९३
८९९	पंजाब में स्मारक	१४९४
९००	संयुक्त स्कन्ध समवाय	१४९४
९०१	त्रिपुरा में भूतपूर्व सैनिक	१४९४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

६०२	डुडकुण्डी हवाई अड्डा	१४६५
६०३	युद्ध-कुक्कुर प्रशिक्षण केन्द्र	१४६५
६०४	भूतपूर्व देशी राज्यों की सेनाओं के पदाधिकारी	१४६५-६६
६०५	पोर्ट ब्लेयर में भवन	१४६६-६७
६०६	डाक्टरी परीक्षक	१४६७
६०७	विज्ञान मन्दिर	१४६७-६८
६०८	दिल्ली का लाल किला	१४६८
६०६	कावेरी पूमपत्तिनम में खुदाई	१४६८
६१०	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहायक आयुक्त	१४६६
६११	आदिम जाति लोगों के लिये बहुप्रयोजनीय परियोजनाएं	१४६६-१५००

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५००-०१

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये—

(१) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १६५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १६५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २३ नवम्बर, १६५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३७०१ की एक प्रति।

(२) लोक सहायक सेना नियम, १६५७ की एक प्रति।

(३) एयर फोर्स कालेज, बेगमपेट के बारे में २५ जुलाई, १६५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति।

(४) समुद्र सीमा शुल्क प्रत्याहृत (गेलवेनाइज्ड आयरन वायर प्राडक्ट्स) नियम, १६५७ की एक प्रति।

राज्य-सभा से सन्देश १५०१

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा अपनी २८ नवम्बर, १६५७ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २५ नवम्बर, १६५७ को पारित किये गये नागा पहाड़ियां तुएनसांग क्षेत्र विधेयक १६५७ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

मंत्री द्वारा वक्तव्य १५०१-०२

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने २० नवम्बर, १६५७ को हुई हिमाचल प्रदेश परिवहन की एक बस-दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया।

पृष्ठ

सभा का कार्य १५०२

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने २ दिसम्बर, १९५७ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी विधान-कार्य तथा अन्य कार्य के क्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पारित . . . . . १५०३—२१

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया :—

(१) भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में ।

(२) अफीम विधि (संशोधन) विधेयक ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १५२१

दसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वापस लिया गया . . . १५२१—२६

कास्टिंग परिणामों के प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षाओं को नियन्त्रित करने के लिए एक संविहित निकाय सम्बन्धी श्री च० रा० नरसिंहन् के संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प अस्वीकृत . . . . १५२६—३६

श्री बा० चं० कामले ने बौद्ध धर्म अपनाने वालों के संरक्षणों के बारे में संकल्प पेश किया । चर्चा के बाद लोक-सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में २५, विपक्ष में ४७ । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन . . . १५३६-३७

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प पेश किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, २ दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि—

छावनी (कर नियंत्रण विधियों का विस्तार) विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करना तथा उसे पारित करना और खाद्य स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करना तथा उसे पारित करना ।